

वार्षिक रिपोर्ट  
**Annual Report**  
2018-19



भारत सरकार  
Government of India



संसदीय कार्य मंत्रालय  
नई दिल्ली  
Ministry of Parliamentary Affairs  
New Delhi

वार्षिक प्रतिवेदन  
2018–19

.....

संसदीय  
कार्य  
मंत्रालय

.....



## विषय वस्तु

अध्याय	विषय वस्तु	पृष्ठ
अध्याय-1	प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना	1 - 3
	(क) प्रस्तावना	1 - 2
	(ख) संगठनात्मक संरचना	2
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	3
अध्याय-2	संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान	4 - 6
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	4
	(ख) सत्र	4 - 5
	(i) बुलाया जाना	4
	(ii) सत्रावसान	5
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से सोलहवीं लोक सभा)	5 - 6
अध्याय-3	राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश	7 - 15
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	7 - 8
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	8
	(ग) अध्यादेश	8 - 12
	(घ) राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.03.2019 तक प्रख्यापित अध्यादेश	12 - 15
अध्याय-4	संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण	16 - 22
	(क) सरकारी कार्य	16
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	16 - 17
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	17
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	18 - 19
	(i) विधायी	18
	(ii) वित्तीय	18
	(iii) बजट	19
	(ङ.) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	19
	(च) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	19 - 20
	(छ) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	20
	(ज) अन्य गैर-सरकारी कार्य	21
	(झ) बैठकों की संख्या	21 - 22
अध्याय-5	गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य	23 - 28
	(क) लोक सभा	23 - 24
	(i) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	23
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	24
	(ख) राज्य सभा	24
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	24
	(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	24
	(iii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	25

	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख	25
	(घ) दिनांक 06.01.2018 से 13.02.2019 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	26
	(ङ) दिनांक 06.01.2018 से 13.02.2019 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	26 – 27
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2019 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	26 – 28
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प	28
अध्याय-6	आश्वासनों की मानीटरिंग	29 – 34
	(क) सामान्य प्रक्रिया	29 – 30
	(ख) लोक सभा	30 – 32
	(ग) राज्य सभा	32 – 34
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	34
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	34
अध्याय-7	लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख	35 – 36
	(क) नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले (लोक सभा)	35
	(ख) नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख (राज्य सभा)	35
	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	35 – 36
	(घ) प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	36
अध्याय-8	परामर्षदात्री समितियां	37 – 39
अध्याय-9	सद्भावना शिष्टमंडलों में संसद सदस्य	40 – 50
	(क) सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों के विदेश दौरे	40 – 49
	(ख) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों में संसद सदस्यों का नामांकन	50
	(ग) संसद सदस्यों के विदेश दौरे	50
	(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	50
	(ङ.) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति	50
अध्याय-10	युवा संसद योजना	51 – 57
	(क) प्रस्तावना	51 – 52
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता	52 – 53
	(i) 52वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का पुरस्कार वितरण समारोह	52
	(ii) 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	52
	(iii) 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का मूल्यांकन	53
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	53 – 54
	(i) 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	53
	(ii) 31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	54
	(iii) 31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का मूल्यांकन	54
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	54 – 56
	(i) 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का पुरस्कार वितरण समारोह	55
	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	55

	(iii) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का मूल्यांकन	55 - 56
(ड)	विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता	56 - 57
	(i) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का मूल्यांकन	56
	(ii) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का पुरस्कार वितरण समारोह	56
	(iii) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	57
(च)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	57
अध्याय-11	मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	58 - 60
अध्याय-12	डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)	61 - 76
	(क) प्रस्तावना	61 - 62
	(ख) नेवा की मुख्य विशेषताएं	62 - 64
	(ग) संसदीय सौध स्थित मंत्रालय के कार्यालय में सीपीएमयू का शुभारंभ	64
	(घ) नेवा पर राष्ट्रीय कार्यशाला	65 - 68
	(ङ) राज्य विधानमंडलों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यशाला	69 - 74
	(च) नोडल अधिकारियों को ज्ञान हस्तांतरित करने हेतु संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	75 - 76
अध्याय-13	सामान्य	77 - 84
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	77
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	77
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	77
	(घ) संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता	78
	(ङ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	78
	(च) नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान	78
	(छ) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन	79
	(ज) केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	79
	(झ) संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं	80 - 81
	(i) संसद सदस्यों का कल्याण	80
	(ii) संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रिभोज की व्यवस्था	80 - 81
	(ञ) महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य	81
	(ट) संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क	81
	(ठ) अनुसंधान कार्य	82
	(ड) मारुंट एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित गंगोत्री-धाराली सांस्कृतिक समारोह में प्रतिभागिता	82 - 84
	(ढ) बजट की स्थिति	85
	(ण) दिव्यांग व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप	85



परिषिष्ट

पृष्ठ

परिषिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	86
परिषिष्ट-2	दिनांक 06.01.2018 से 13.02.2019 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	87 – 89
परिषिष्ट-3	16वीं लोक सभा के 17वें सत्र और राज्य सभा के 248वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	90 – 92
परिषिष्ट-4	दिनांक 06.01.2018 से 13.02.2019 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	93 – 94
परिषिष्ट-5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	95 – 96
परिषिष्ट-6	दिनांक 06.01.2018 से 09.01.2019 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	97 – 111
परिषिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश	112 – 116
परिषिष्ट-8	16वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची	117 – 118
परिषिष्ट-9	दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	119 – 124
परिषिष्ट-10	14 से 28 सितंबर, 2018 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण	125 – 126
परिषिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	127
परिषिष्ट-12	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	128
परिषिष्ट-13	संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	129 – 134
परिषिष्ट-14	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	135 – 136



# अध्याय

## अध्याय-1

# प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

### प्रस्तावना

- 1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले – वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया और बृहत् जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।
- 1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।
- 1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रुख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।
- 1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुरःस्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू रूप से पारित होना सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।
- 1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्तःसत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध 35 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।
- 1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।


- 1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।
- 1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।
- 1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत जैसे देश के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरो का आयोजन भी करता है।
- 1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

### संगठनात्मक संरचना

- 1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं जिन्होंने प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला :-

1. श्री अनंतकुमार, दिनांक 05.07.2016 से 12.11.2018 तक  
कैबिनेट मंत्री (12.11.2018 को निधन होने के कारण)
2. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, दिनांक 12.11.2018 से आगे  
कैबिनेट मंत्री
3. श्री विजय गोयल, दिनांक 03.09.2017 से आगे  
राज्य मंत्री (राज्य सभा)
4. श्री अर्जुन राम मेघवाल, दिनांक 03.09.2017 से आगे  
राज्य मंत्री (लोक सभा)

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट



**आख्यान**  
 रा.स. - राज्य सभा  
 लो.स. - लोक सभा  
 प्रो.क. - प्रोटोकॉल और कल्याण  
 सां.प. - सांसद परिलब्धियाँ

## अध्याय-2

# संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

### एक झलक

- दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान चार सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा की क्रमशः 73 और 75 बैठकें हुईं।

### सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबिनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

### सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के चार सत्र बुलाए गए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सोलहवीं लोक सभा			
सत्र	अवधि	बैठक	दिन
14वां	29 जनवरी, 2018 से 06 अप्रैल, 2018	29	68
15वां	18 जुलाई, 2018 से 10 अगस्त, 2018	17	24

16वां	11 दिसंबर, 2018 से 8 जनवरी, 2019	17	29
17वां	31 जनवरी, 2019 से 13 फरवरी, 2019	10	14
राज्य सभा			
245वां	29 जनवरी, 2018 से 06 अप्रैल, 2018	30	68
246वां	18 जुलाई, 2018 से 10 अगस्त, 2018	17	24
247वां	11 दिसंबर, 2018 से 9 जनवरी, 2019	18	30
248वां	31 जनवरी, 2019 से 13 फरवरी, 2019	10	14

(ii) सत्रावसान

- 2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सोलहवीं लोक सभा		
सत्र	तारीख	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	सत्रावसान
14वां	06 अप्रैल, 2018	06 अप्रैल, 2018
15वां	10 अगस्त, 2018	13 अगस्त, 2018
16वां	08 जनवरी, 2019	10 जनवरी, 2019
17वां	13 फरवरी, 2019	14 फरवरी, 2019
राज्य सभा		
245वां	06 अप्रैल, 2018	06 अप्रैल, 2018
246वां	10 अगस्त, 2018	14 अगस्त, 2018
247वां	09 जनवरी, 2019	10 जनवरी, 2019
248वां	13 फरवरी, 2019	14 फरवरी, 2019

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण

(पहली से सोलहवीं लोक सभा)

लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014	03.06.2019	25.05.2019
सत्रहवीं	19.05.2019	25.05.2019			

\*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

### अध्याय-3

## राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

#### राष्ट्रपति का अभिभाषण

- 3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलेंडर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।
- 3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।
- 3.3 राष्ट्रपति द्वारा कलेंडर वर्ष 2018 और 2019 के पहले सत्र के आरंभ में क्रमशः 29 जनवरी, 2018 और 31 जनवरी, 2019 को अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

16वीं लोक सभा का 14वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री राकेश सिंह (प्रस्तावक)	2 और 5 फरवरी, 2018
श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी (अनुमोदक)	(स्वीकृत)
राज्य सभा का 245वां सत्र	
श्री अमित अनिल चंद्र शाह (प्रस्तावक)	2, 5 और 6 फरवरी, 2018
डॉ. विनय पी. सहस्रबुद्धे (अनुमोदक)	(स्वीकृत)
16वीं लोक सभा का 17वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें



श्री हुकुमदेव नारायण यादव (प्रस्तावक)	5 और 7 फरवरी, 2019
श्री जगदंबिका पाल (अनुमोदक)	(स्वीकृत)
राज्य सभा का 248वां सत्र	
श्री भुपेन्द्र यादव (प्रस्तावक)	6, 7 और 13 फरवरी, 2019
श्री विजय गोयल (अनुमोदक)	(स्वीकृत)

#### अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

- 3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुनः सत्रारम्भ से छः सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छः सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।
- 3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।
- 3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छः सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

#### अध्यादेश

- 3.7 दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, 22 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इन अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक – एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों

द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। उनके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न विवरणों की सूचना नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुरःस्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 1)	18.07.18	18.07.18	*12.03.2018	19.07.2018	25.07.2018	<u>17 का 2018</u> 31.07.2018
2	दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 2)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	30.07.2018	06.08.2018	<u>2018 का 22</u> 11.08.2018
3	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 3)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	01.08.2018	10.08.2018	<u>2018 का 28</u> 20.08.2018
4	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 4)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	30.07.2018	09.08.2018	<u>2018 का 23</u> 13.08.2018
5	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 5)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	03.08.2018	09.08.2018	<u>2018 का 25</u> 17.08.2018

क्र. सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुरःस्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
6	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 6)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	31.07.2018	10.08.2018	<u>2018 का 26</u> 17.08.2018
7	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 7)	11.12.18	11.12.18	17.12.2018	27.12.2018	---	---
8	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 8)	11.12.18	11.12.18	14.12.2018	31.12.2018	---	---
9	कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का संख्या 9)	11.12.18	11.12.18	20.12.2018	04.01.2019	---	---
10	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 1)	04.02.19	04.02.19	---	---	---	---
11	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 2)	04.02.19	04.02.19	---	---	---	---
12	कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 3)	04.02.19	04.02.19	---	---	---	---

क्र. सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुरःस्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
13	मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 4)	---	---	---	---	---	---
14	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 5)	---	---	---	---	---	---
15	कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 6)	---	---	---	---	---	---
16	अविनयमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 7)	---	---	---	---	---	---
17	जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 8)	---	---	---	---	---	---
18	आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 9)	---	---	---	---	---	---
19	नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 10)	---	---	---	---	---	---

क्र. सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक का पुरःस्थापन	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीखें		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
20	होमियोपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 11)	---	---	---	---	---	---
21	विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 12)	---	---	---	---	---	---
22	केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 13)	---	---	---	---	---	---

\* भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 लोक सभा में मार्च, 2018 की 12 तारीख को पुररूस्थापित किया गया था। जबकि उक्त विधेयक को उस सत्र के दौरान लोक सभा में विचारण और पारण के लिए नहीं लिया जा सका था।

### 3.8 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 31.03.2019 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	—
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	13 (31.03.2019)

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979: कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक) 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक; कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)

नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक; (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रषेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक; कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक; भारतीय जनता पार्टी / संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक; भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा:	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा:	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा:	18 मई, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी, 26 मई, 2014 से आगे)



## अध्याय-4

# संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

### एक झलक

- वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट 01 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 33 विधेयक पारित किए गए।

### सरकारी कार्य

- 4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अतः सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।
- 4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

### सरकारी कार्य की आयोजना

- 4.3 संसद के सत्र की शुरुआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी बैठकें 18 जनवरी, 2018 को बजट सत्र, 2018 से पहले, 11 जुलाई, 2018 को मानसून सत्र, 2018 से पहले और 29 नवंबर, 2018 को शीतकालीन सत्र, 2018 और 28 जनवरी, 2019 को अंतरिम बजट सत्र, 2019 से पहले आयोजित की गईं।

तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं हैं और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी तीन बैठकें – पहली बैठक 24 जनवरी, 2018 को बजट सत्र, 2018 से पहले, दूसरी बैठक 11 जुलाई, 2018 को मानसून सत्र, 2018 से पहले और तीसरी बैठक 30 नवंबर, 2018 को शीतकालीन सत्र, 2018 से पहले आयोजित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्री ने सत्र की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए दिनांक 28.01.2018, 17.07.2018, 10.12.2018 और 31.01.2019 को विभिन्न राजनीतिक दलों/गुपों के नेताओं के साथ बैठकें बुलाई। सरकारी कार्य का सही आकलन करने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की चार अस्थायी सूचियां तैयार की गईं और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विशयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकें।

- 4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में आठ वक्तव्य और राज्य सभा में नौ वक्तव्य दिए गए।
- 4.5 (क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुतः ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा के लिए सरकारी कार्य की क्रमशः 83 और 87 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गईं।
- 4.5 (ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 154 मदों (लोक सभा – 69, राज्य सभा – 85) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उनके लिए सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 सोलहवीं लोक सभा के 13वें सत्र तथा राज्य सभा के 244वें सत्र की समाप्ति पर कुल 67 विधेयक (लोक सभा में 28 विधेयक और राज्य सभा में 39 विधेयक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 53 विधेयक लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए, इस प्रकार कुल लंबित विधेयक 120 हो गए। इनमें से दोनों सदनों द्वारा 33 विधेयक पारित किए गए (परिशिष्ट-2)। 8 विधेयक (लोक सभा में 3 और राज्य सभा में 5) वापस लिए गए। सोलहवीं लोक सभा के 17वें सत्र और राज्य सभा के 248वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 79 विधेयक (लोक सभा में 24 विधेयक और राज्य सभा में 55 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत किया गया और वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट 01 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया गया। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यतः लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति के पश्चात सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्देशित विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

- 4.10 दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, वर्ष 2018–19 के लिए केंद्रीय बजट और वर्ष 2019–20 के लिए अंतरिम बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-4क और 4ख)।
- 4.11 16वीं लोक सभा का 17वां सत्र और राज्य सभा का 248वां सत्र मुख्य रूप से 31 जुलाई, 2019 को समाप्त होने वाली चार मास की अवधि के लिए अंतरिम बजट, 2019 के लिए लेखानुदान हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी, 2019 से बुलाया गया था। इसका उद्देश्य नई लोक सभा द्वारा केंद्रीय बजट के पारित कर दिए जाने तक भारत की संचित निधि में से व्यय की पूर्ति करने में केंद्रीय सरकार को सक्षम बनाना था। सदन में लेखानुदान पर उद्देश्यपूर्ण चर्चा को सुकर बनाने के लिए कलेंडर वर्ष 2018 के लिए मंत्रालयों की संक्षेप में गतिविधियों की एक रिपोर्ट संसद सदस्यों में परिचालन हेतु तैयार की गई थी।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विष्वास प्रस्ताव

- 4.12 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवतः ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।
- 4.13 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-5)।

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

- 4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर

कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिषत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
(i)	विधायी	70	35	32	40	30.82%	23.08%
(ii)	वित्तीय	30	32	09	36	13.33%	6.78%
(iii)	गैर-वित्तीय	127	51	99	15	55.83%	70.13%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	बैठक का कुल वास्तविक समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
14वां (16वीं लोक सभा)	34	02	123	12	78.34%
15वां (16वीं लोक सभा)	111	03	02	36	2.28%
16वां (16वीं लोक सभा)	45	18	58	27	56.33%
17वां (16वीं लोक सभा)	38	35	11	51	23.49%
कुल	228	58	196	06	46.13%
राज्य सभा					
245वां	45	16	124	37	73.35%
246वां	65	54	30	19	31.56%
247वां	27	14	79	34	74.50%
248वां	03	07	41	18	92.98%
कुल	141	31	275	48	66.09%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, राज्य सभा में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। लोक सभा में 3 और राज्य सभा में 2 अल्पावधि चर्चाएं हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या

(वर्ष 1952 से 2019 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	73	73	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	10	10	04

## अध्याय-5

### गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घण्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढाई घण्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 06.01.2018 से 31.02.2019 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गईं:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र. सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री जितेन्द्र चौधरी, जिनको देश के विभिन्न भागों में हाल की बाढ़ और सूखे की स्थिति पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करनी थी, ने अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर श्री पी. करुणाकरण को चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए और अध्यक्ष ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया था।	गृह	25.07.2018	05	00
2	अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री के.सी. वेणुगोपाल, जिनको राफेल सौदे पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरू करनी थी, ने अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर श्री राहुल गांधी को चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए और अध्यक्ष ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया था।	रक्षा	03.01.2019 04.01.2019	06	13
3	श्री भर्तृहरि महताब ने देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में गाजा, तितली आदि जैसे चक्रवातों के संदर्भ में, प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा शुरू की थी।		07.01.2019	00	03 (अधूरी चर्चा)



ध्यानाकर्षण प्रस्तावः—

क्र. सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
—	—	—	—	—	—

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चाएं

क्र. सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को कार्यान्वित नहीं किए जाने पर चर्चा। (श्री वाई.एस. चौधरी)	गृह	24.07.2018	03	19
2.	खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हालिया बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र में चुनौतियों पर चर्चा। (श्री अमित अनिल चंद्र शाह)		07.08.2018	00	12 (अधूरी चर्चा)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावः—

क्र. सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	श्री वी. मुरलीधरन ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग पर अफवाहें फैलाने और देश में हिंसा और लिंगीयता की फर्जी खबरों की प्रमुख घटनाओं की ओर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	26.07.2018	01	— 24
2.	डॉ. वी. मैत्रेयन ने कुछ राज्यों में गाजा और टिटली चक्रवातों के विनाश के कारण उत्पन्न स्थिति और उसके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।	गृह	18.12.2018	00	— 02 (अधूरी चर्चा)

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र. सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
—					

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रुख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रुख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 06.04.2018, 25.06.2018, 11.08.2018, 13.11.2018, 09.01.2019 और 13.02.2019 को छह बैठकें आयोजित की।

क्र.सं.	संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की तारीख	प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया
1.	6 अप्रैल, 2018	(i) संसद के बजट सत्र, 2018 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का अनुसमर्थन।
2.	25 जून, 2018	मानसून सत्र, 2018 का बुलाया जाना
3.	11 अगस्त, 2018	(i) संसद के बजट सत्र, 2018 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का अनुसमर्थन।
4.	13 नवंबर, 2018	शीतकालीन सत्र, 2018 का बुलाया जाना
5.	9 जनवरी, 2019	(i) संसद के शीतकालीन सत्र, 2018 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का अनुसमर्थन। (iii) अंतरिम बजट सत्र, 2019 का बुलाया जाना।
6.	13 फरवरी, 2019	(i) अंतरिम बजट सत्र, 2019 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों/गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों का अनुसमर्थन।

5.5 दिनांक 06.01.2018 से 13.02.2019 की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के दो सौ छियासठ विधेयक (245 विधेयक लोक सभा में और 21 विधेयक राज्य सभा में) पुरःस्थापित किए गए (परिशिष्ट-6)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

दिनांक 06.01.2018 से 31.02.2019 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम	चर्चा की तारीख (तारीखें)	परिणाम
1.	संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 (श्री विंसेंट एच. पाला)	05.08.2016 10.03.2017 24.03.2017 07.04.2017 21.07.2017 29.12.2017 03.08.2018 28.12.2018	वापस लिया गया
2.	टेलीविजन प्रसारण कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2015 (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)	28.12.2018	वापस लिया गया
3.	भारतीय पर्यटन प्रोत्साहन निगम विधेयक, 2015 (श्री निशिकांत दूबे)	28.12.2018 08.02.2019	निर्णय नहीं हुआ
राज्य सभा			
1.	गाय संरक्षण विधेयक, 2017 (डॉ. सुब्रमनियन स्वामी)	02.02.2018	वापस लिया गया
2.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 366 का संशोधन) (श्री सुखेंदु शेखर राय)	02.02.2018 20.07.2018	वापस लिया गया
3.	संसद (उत्पादकता में वृद्धि) विधेयक, 2017 (श्री नरेश गुजराल)	03.08.2018	निर्णय नहीं हुआ

दिनांक 06.01.2018 से 13.02.2019 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	विधेयक और प्रभारी सदस्य का नाम	चर्चा की तारीख (तारीखें)	परिणाम
---			
राज्य सभा			
1.	संविधान में संशोधन करना ताकि एक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को पूरे देश में उस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति माना जा सके। (श्री विशम्भर प्रसाद निशाद)	10.06.2018	अस्वीकृत
2.	देश में विधवाओं के कल्याण के लिए उपयुक्त विधान। (श्री तिरुचि शिवा)	10.08.2018 04.01.2019	अस्वीकृत
3.	भारित सूचकांक प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए व्यक्तियों के पिछड़ेपन और सूचनाओं की जांच करने के लिए नियमित अंतराल पर सर्वेक्षण आयोजित करना। (डॉ. विकास महात्मे)	04.01.2019	वापस लिया गया

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2019 के दौरान पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(क) लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक

क्र. सं.	विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक	अधिनियम संख्या / स्वीकृति की तारीख
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956

5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
<b>(ख) राज्य सभा में पुरःस्थापित विधेयक</b>		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्र. सं.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रहलाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

## अध्याय – 6

### अश्वासनों की मानीटरिंग

#### एक झलक

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक सभा में 598 आश्वासन और राज्य सभा में 392 आश्वासन दिए गए।
  - लोक सभा में दिए गए 1052 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 481 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
  - इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 8 आश्वासन और राज्य सभा में 32 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।
- 6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी आश्वासन दे देते हैं कि इन मामलों पर उचित कार्रवाई की जाएगी अथवा अपेक्षित जानकारी दी जाएगी। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

#### सामान्य प्रक्रिया

- 6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।
- 6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होता है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढ़ाए जाने अथवा आश्वासन को छोड़ने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।
- 6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित

सदस्यों को भी भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में रखी जाती है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दे दी जाती है।

- 6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 598 आश्वासन दिए गए थे जिनमें से 147 सभा-पटल पर रखे गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं छोड़ा गया और शेष 451 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 1060 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (8 आंशिक सहित), को सभा पटल पर रखा गया। इसी प्रकार राज्य सभा में दिये गये 392 आश्वासनों में से 109 सभा-पटल पर रखे गए, 4 को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया तथा शेष 279 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 513 आश्वासनों के कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (32 आंशिक सहित), को सभा-पटल पर रखा गया। वर्ष 1956 से 2019 के दौरान दिये गए/पूरे किए गए/छोड़े गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष रहे आश्वासनों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिषत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	—	1543	—	100
1957	893	893	—	893	—	100
1958	1324	1324	—	1324	—	100
1959	1138	1138	—	1138	—	100
1960	1000	1000	—	1000	—	100
1961	1244	1244	—	1244	—	100
1962	1333	1333	—	1333	—	100
1963	781	781	—	781	—	100
1964	883	883	—	883	—	100
1965	1073	1073	—	1073	—	100
1966	1542	1542	—	1542	—	100
1967	2116	2116	—	2116	—	100
1968	4174	4174	—	4174	—	100
1969	4260	4260	—	4260	—	100
1970	3331	3331	—	3331	—	100
1971	1824	1824	—	1824	—	100
1972	1577	1577	—	1577	—	100
1973	1757	1757	—	1757	—	100

1974	1789	1789	—	1789	—	100
1975	925	925	—	925	—	100
1976	521	521	—	521	—	100
1977	889	889	—	889	—	100
1978	1655	1655	—	1655	—	100
1979	1069	1069	—	1069	—	100
1980	1105	1105	—	1105	—	100
1981	1587	1587	—	1587	—	100
1982	1541	1541	—	1541	—	100
1983	1726	1726	—	1726	—	100
1984	1284	1284	—	1284	—	100
1985	783	783	—	783	—	100
1986	1098	1098	—	1098	—	100
1987	2616	2616	—	2616	—	100
1988	1171	1171	—	1171	—	100
1989	1867	1867	—	1867	—	100
1990	2396	2396	—	2396	—	100
1991	1674	1674	—	1674	—	100
1992	2195	2195	—	2195	—	100
1993	1759	1759	—	1759	—	100
1994	2524	2524	—	2524	—	100
1995	1465	1465	—	1465	—	100
1996	700	700	—	700	—	100
1997	2093	2093	—	2093	—	100
1998	1127	1127	—	1127	—	100
1999	748	747	—	747	1	99.87
2000	1721	1718	—	1718	3	99.83
2001	1528	1527	—	1527	1	99.93
2002	1505	1501	—	1501	4	99.73
2003	1407	1401	—	1401	5	99.57
2004	905	896	—	896	9	99.01
2005	1733	1721	—	1721	12	99.31
2006	1073	1058	—	1058	15	98.6



2007	1282	1270	—	1270	12	99.06
2008	1111	1095	—	1095	16	98.56
2009	1313	1280	—	1280	33	97.49
2010	1597	1534	—	1534	63	96.06
2011	1889	1782	—	1782	107	94.34
2012	1945	1825	—	1825	120	93.83
2013	1356	1261	—	1261	95	92.99
2014	1460	1254	—	1254	206	85.89
2015	1330	1071	—	1071	259	80.53
2016	1297	948	—	948	349	73.09
2017	847	485	—	485	362	57.26
2018	529	147	—	147	382	27.79
2019	69	0	—	0	69	0
	95997	93873	—	93873	2123	97.79

राज्य सभा

वर्ष	कुल रिकार्ड किए गए आष्वासन	आष्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिषत
		कार्यान्वित	विलोप			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	373	373	—	373	—	100
1957	238	238	—	238	—	100
1958	287	287	—	287	—	100
1959	235	235	—	235	—	100
1960	233	233	—	233	—	100
1961	257	257	—	257	—	100
1962	479	479	—	479	—	100
1963	218	218	—	218	—	100
1964	349	349	—	349	—	100
1965	1342	1342	—	1342	—	100
1966	436	436	—	436	—	100
1967	495	495	—	495	—	100
1968	827	827	—	827	—	100
1969	1104	1104	—	1104	—	100
1970	591	591	—	591	—	100

1971	447	447	—	447	—	100
1972	832	832	—	832	—	100
1973	1009	1009	—	1009	—	100
1974	724	724	—	724	—	100
1975	384	384	—	384	—	100
1976	781	781	—	781	—	100
1977	1117	1117	—	1117	—	100
1978	1655	1655	—	1655	—	100
1979	748	748	—	748	—	100
1980	1391	1391	—	1391	—	100
1981	1688	1688	—	1688	—	100
1982	1466	1466	—	1466	—	100
1983	1472	1472	—	1472	—	100
1984	1082	1082	—	1082	—	100
1985	1315	1315	—	1315	—	100
1986	1295	1295	—	1295	—	100
1987	1810	1810	—	1810	—	100
1988	1705	1705	—	1705	—	100
1989	1420	1420	—	1420	—	100
1990	1642	1642	—	1642	—	100
1991	1678	1678	—	1678	—	100
1992	2052	2052	—	2052	—	100
1993	1544	1544	—	1544	—	100
1994	1261	1261	—	1261	—	100
1995	740	740	—	740	—	100
1996	672	672	—	672	—	100
1997	906	906	—	906	—	100
1998	232	232	—	232	—	100
1999	261	260	—	260	1	99.62
2000	706	705	—	705	1	99.86
2001	382	382	—	382	—	100
2002	677	675	—	675	2	99.7
2003	843	841	—	841	2	99.76
2004	545	540	—	540	5	99.08

2005	1156	1148	—	1148	8	99.31
2006	858	853	—	853	5	99.42
2007	974	966	—	966	8	99.18
2008	678	669	—	669	9	98.67
2009	995	987	—	987	8	99.2
2010	1082	1041	—	1041	41	96.21
2011	1003	976	—	976	27	97.31
2012	1115	1056	—	1056	59	94.71
2013	686	643	—	643	43	93.73
2014	1189	1089	—	1089	100	91.59
2015	907	781	—	781	126	86.11
2016	984	803	—	803	181	81.61
2017	481	358	—	358	123	74.43
2018	327	109	4	113	214	34.56
2019	65	0	—	—	65	0
	56446	55414	4	55418	1028	98.18

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों को याद दिलाते हुए आश्वासनों की आवधिक समीक्षा की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान के परिणाम के रूप में, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 67वां, 68वां, 69वां, 70वां, 71वां और 72वां प्रतिवेदन दिनांक 04.01.2018 को, 73वां, 74वां, 75वां और 76वां प्रतिवेदन दिनांक 05.04.2018 को, 77वां, 78वां, 79वां, 80वां, 81वां और 82वां प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2018 को और 83वां, 84वां, 85वां, 86वां, 87वां, 88वां, 89वां और 90वां प्रतिवेदन दिनांक 08.01.2019 को और 91वां, 92वां, 93वां, 94वां, 95वां, 96वां, 97वां, 98वां, 99वां, 100वां और 101वां प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 72वां प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2018 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

## अध्याय-7

### लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

#### एक झलक

- दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1148 मामले और राज्य सभा में 304 विशेष उल्लेख लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 876 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 81 विशेष उल्लेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 2024 मामलों में से 135 मामलों के उत्तर दिए जा चुके हैं और 1889 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 458 विशेष उल्लेखों में से 151 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 307 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

#### नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों के लिए इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।

#### नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रपत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यतः सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विशेष उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

#### अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्घरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यतः जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य

मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दो सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 वर्ष 2017 की समाप्ति पर लोक सभा में 1148 मामले तथा राज्य सभा में 304 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान लोक सभा में 876 मामले और राज्य सभा में 81 मामले उठाए गए, जिससे कि लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की कुल संख्या 2024 तथा राज्य सभा में किए गए विशेष उल्लेखों की कुल संख्या 458 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 तक लोक सभा में 135 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 1889 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, दिनांक 31.03.2019 तक 151 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 307 मामले अभी भी लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात् तथाकथित शून्य काल के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानतः उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.9.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

7.6 दिनांक 05.02.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 787 मामले (लोक सभा: 638 और राज्य सभा: 149) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 10 मामले (लोक सभा: 4, राज्य सभा: 6) मंत्री स्तर से भेजे गए।

## अध्याय-8

### परामर्शदात्री समितियां

#### एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 34 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 01.01.2018 से 13.02.2019 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 83 बैठकें आयोजित हुईं।

#### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा में उद्गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गईं।
- 8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/गुप्तों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी, और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं (परिशिष्ट-7)।
- 8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-
- i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।
  - ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।
  - iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

- iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यतः तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।
  - v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रुचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।
  - vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिए – तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें – 3 बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होगी।
  - vii) कार्यसूची मर्दें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।
  - viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।
  - ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।
  - x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।
  - xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।
  - xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।
- 8.4 सामान्यतः लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सोलहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 34 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं (परिशिष्ट-8)।
- 8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय (परिशिष्ट-9) में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अतःसत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गईं:-

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम जिससे परामर्शदात्री समिति संबद्ध है	बैठक की तारीख और स्थान
1	इस्पात मंत्रालय	दिनांक 15.05.2018 को माउंट आबू, राजस्थान में
2	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	दिनांक 25.05.2018 को सोनीपत, हरियाणा में
3	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	दिनांक 08.06.2018 सूरत, गुजरात में
4	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	दिनांक 11.06.2018 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में
5	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	दिनांक 12.06.2018 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में
6	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	दिनांक 14.06.2018 को जम्मू और कश्मीर में
7	श्रम और रोजगार मंत्रालय	दिनांक 28.06.2018 को तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश में
8	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	दिनांक 02.07.2018 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में
9	कोयला मंत्रालय	दिनांक 05.07.2018 को नेवेली, तमिलनाडु में
10	गृह मंत्रालय	दिनांक 06.07.2018 को कोच्ची, केरल में
11	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	दिनांक 11.07.2018 को मसूरी, उत्तराखंड में
12	पर्यटन मंत्रालय	दिनांक 10.09.2018 को कोवलम, केरल में
13	विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	दिनांक 12.10.2018 को हैदराबाद में
14	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	दिनांक 29.10.2018 को कोच्ची, केरल में
15	रक्षा मंत्रालय	दिनांक 17.11.2018 को मुंबई, महाराष्ट्र में
16	ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और खान मंत्रालय	दिनांक 21.01.2019 को गुजरात में
17	इस्पात मंत्रालय	दिनांक 28.01.2019 को गोवा में
18	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	दिनांक 28.01.2019 को बेंगलूरु, कर्नाटक में



## अध्याय-9

### सद्भावना शिष्टमण्डलों में संसद सदस्य

#### एक झलक

- संसदविदों के एक भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल ने इटली और जर्मनी का दौरा किया।
- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 5 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए निःसंदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निःसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अतः संसद सदस्यों तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 विदेश मंत्रालय तथा इटली और जर्मनी में संबंधित भारत के मिशनों के परामर्श से और माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से 15 अक्तूबर, 2018 से 19 अक्तूबर, 2018 के दौरान इटली और जर्मनी में संसदविदों का एक सद्भावना शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया गया था। संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने किया था। शिष्ट मंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:—

1.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री	शिष्ट मंडल के नेता
1.	श्री शमशेर सिंह मन्हास, संसद सदस्य (राज्य सभा)	भा.ज.पा.
2.	श्री के.सी. वेणुगोपाल, संसद सदस्य (लोक सभा)	भा.रा.कां.

3.	श्री नारायणसामी रामचंद्रन, संसद सदस्य (लोक सभा)	ए.आई.ए.डी.एम. के.
4.	डॉ. कुलमणि सामल, संसद सदस्य (लोक सभा)	बी.ज.द.
5.	डॉ. (श्रीमती) ममताज संघमिता चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा)	अ.भा.तृ.कां.
6.	श्री कृपाल बालाजी तुमाने, संसद सदस्य (लोक सभा)	शिवसेना
7.	श्री रवि प्रकाश वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)	स.पा.

संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए थे:-

1. श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
2. श्री अंशु भारद्वाज, राज्य मंत्री और शिष्टमंडल के नेता के अपर निजी सचिव
3. श्री शरद द्विवेदी, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय।

#### शिष्टमंडल के रोम, इटली दौरे का विवरण

16 अक्टूबर, 2018 को श्री रिकार्डो फ्रेकारो, इटली में संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री और अन्य सदस्यों के साथ बैठक

- 9.3 श्री रिकार्डो फ्रेकारो, इटली में संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री ने संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का स्वागत किया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री, जो शिष्टमंडल के नेता थे, ने इटली के संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री से शिष्टमंडल का परिचय कराया। शिष्टमंडल के नेता ने भारत में जीवंत लोकतंत्र और बहुदलीय प्रणाली पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने दोनों पक्षों के सांसदों के बीच अधिक बातचीत करने पर जोर दिया, जो दो देशों के बीच समझ बढ़ाने और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आशा व्यक्त की कि बैठक इटली और भारत के बीच मैत्री को बढ़ावा देगी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान देगी। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने 13वीं शताब्दी में वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो की यात्रा की ओर इतालवी पक्ष का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि हमारे बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध और सांस्कृतिक मूल्य हैं। यह भी व्यक्त किया गया था कि भारत और इटली आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में बहुत कुछ कर सकते हैं। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने अप्रसार संधि पर इटली के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और दुनिया में शांति और कल्याण को बढ़ावा देने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए इटालियन पक्ष से सहयोग की मांग की। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए इतालवी पक्ष को विशेष धन्यवाद दिया। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि 29-30 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली में आयोजित भारत-इटली प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में इटली के माननीय प्रधानमंत्री ने इटली के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था, इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और प्रौद्योगिकी सम्मेलन के दौरान यह उम्मीद जताई गई थी कि संयुक्त उद्यमों, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी

हस्तांतरण जैसी संभावनाओं का पता लगाने के लिए अधिकारियों, वैज्ञानिकों और उद्यमियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करेगा। उन्हें स्मरण कराया गया कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए हैं जिनमें अक्षय ऊर्जा, रेलवे, द्विपक्षीय निवेश, राजनयिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक सहयोग, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। भारत ने 2021-2022 की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए इटली का समर्थन भी मांगा क्योंकि इसके लिए चुनाव 2020 में होना है। शिष्टमंडल ने भी इतालवी पक्ष के साथ अपने विचार व्यक्त किए कि हमारा मिलना भारतीय संस्कृति, संगीत, नृत्य, योग और आयुर्वेद में इतालवी नागरिकों की रुचि के माध्यम से हमारे संबंधों के लिए एक ठोस आधार बन सकता है।



श्री रिकार्डो फ्रेकारो, इटली में संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक

16 अक्टूबर, 2018 को पालाजो मॉन्टेसिटोरियो में चौंबर ऑफ डेप्युटीज की विदेशी मामलों की समिति की अध्यक्ष सुश्री मार्टा ग्रांडे और अन्य सदस्यों के साथ बैठक

9.4 सुश्री मार्टा ग्रांडे, इटली के चौंबर ऑफ डेप्युटीज की विदेशी मामलों की समिति की अध्यक्ष ने समिति के अन्य सदस्यों सहित भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का स्वागत किया और भारतीय पक्ष से अपना परिचय कराया। भारतीय शिष्टमंडल के माननीय नेता ने खुद का और शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का इतालवी पक्ष से परिचय कराया और विदेशी मामलों संबंधी समिति की अध्यक्ष के रूप में इतालवी गणतंत्र के इतिहास में पहली महिला होने पर सुश्री मार्टा ग्रांडे के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बैठक के दौरान, इस बात पर चर्चा की गई कि इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे यदि इटली चमड़े, वस्त्र, नवीकरणीय

ऊर्जा, हवाई-अंतरिक्ष, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत संबंधी उद्योगों के क्षेत्र में भारत के लिए तकनीकी सहयोग का विस्तार करता है। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में जल्द से जल्द भारत आने के लिए इतालवी पक्ष को आमंत्रित किया, जो उसके बाद अक्टूबर, 2018 माह में आयोजित किया गया था, इस पर चौंबर ऑफ डेप्युटीज की विदेशी मामलों की समिति की माननीय अध्यक्ष ने भारतीय पक्ष को निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ने सात विशिष्ट क्षेत्रों— क्लीन-टेक, नवीकरणीय ऊर्जा, आईसीटी, हेल्थ केयर, एयरोस्पेस, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित किया जो इटली और भारत के बीच संबंधों को बढ़ावा देगा। संसदीय लोकतंत्र और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इस तरह की नियमित यात्राओं के लिए दोनों पक्षों की ओर से आवश्यकता महसूस की गई। बैठक के दौरान इतालवी पक्ष द्वारा इतालवी मरीन सल्वातोर गिरोन और साथी मरीन मासिमिलियानो लटोरे की गिरफ्तारी से संबंधित मामला उठाया गया, जिस पर शिष्टमंडल के माननीय नेता ने बताया कि यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और कानून इस पर स्वयं अपने समय से कार्रवाई करेगा। उन्हें यह बताया गया कि भारत जल्द से जल्द सामुद्रिक मामले को निपटाने का इच्छुक है और इस मामले के कारण भारत और इटली के बीच संबंधों को नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि हम दोनों पक्षों की संस्कृति, विरासत और संगीत आदि की सराहना करते हैं। यह जानकर खुशी हुई कि इटली हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। इतालवी पक्ष से कुछ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इटली के साथ नए व्यापार मार्गों की खोज करने में भी भूमिका निभानी चाहिए। हमारी ओर से यह कहा गया कि अन्य देशों की तरह, भारत का एक महान सांस्कृतिक इतिहास है और यह एक वैश्विक अभिनेता है।





सुश्री मार्ता ग्रांडे, इटली के चौबर ऑफ डेप्युटीज की विदेशी मामलों की समिति की अध्यक्ष के साथ बैठक

पलाजो मादामा में 16 अक्टूबर, 2018 को श्री वीटो रोसारियो पेट्रोसेली, अध्यक्ष, सीनेट की विदेश मामलों संबंधी समिति और अन्य सदस्यों के साथ बैठक।

9.5 इटली की सीनेट की विदेश मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष, श्री वीटो रोसारियो पेट्रोसेली ने सांसदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष ने भारत और इटली के बीच आपसी समझ और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इसी समय शिष्टमंडल के माननीय नेता ने शिष्टमंडल के गर्मजोशी से स्वागत के लिए समिति के अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और जोर देकर कहा कि दोनों देश संबंधों को बढ़ावा देने और लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सीनेट की विदेश मामलों संबंधी समिति से प्रतिनिधियों का परिचय देते समय शिष्टमंडल के माननीय नेता ने रोमन साम्राज्य के समय से भारत-इतालवी ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया गया और मर्चेट मार्को पोलो की भारत की महान यात्रा को याद किया। उन्होंने इटली और भारत में जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व के बारे में बताते हुए इटली और भारत में राज्यों के एकीकरण में क्रमशः स्वर्गीय श्री ग्यूसेप गैरीबाल्डी और स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका को भी रेखांकित किया। इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देशों को आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और दोनों में नए क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। उनसे चमड़ा, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों में भारतीय पक्ष का सहयोग करने का भी अनुरोध किया गया। समिति के एक सीनेटर ने यह कहते हुए कि इटली और भारत में एक समान सभ्यता है और भारतीय समुदाय इटली की जीडीपी में बहुत योगदान देता है, अपना विचार व्यक्त किया कि भारत एक अद्भुत देश है और भारतीय समुदाय एक शांतिपूर्ण समुदाय है। हमारे पक्ष के प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीयों के कौशल को विकसित करने के लिए भारत को इतालवी विशेषज्ञता प्रदान

की जा सकती है। कुल मिलाकर, दोनों पक्षों से आर्थिक विकास और अच्छे संबंधों के लिए, संस्कृति, भाषा, स्वास्थ्य, व्यवसाय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई।



इटली की सीनेट की विदेश मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष, श्री वीटो रोसारियो पेट्रोसेली के साथ बैठक

### शिष्टमंडल के बर्लिन, जर्मनी दौरे का विवरण

18 अक्टूबर, 2018 को बुंडेस्टैग (जर्मन संसद) में बुंडेस्टैग के उपाध्यक्ष श्री वोल्फगैंग कुबिकी के साथ बैठक

9.6 जर्मन बुंडेस्टैग के उपाध्यक्ष श्री वोल्फगैंग कुबिकी, जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफडीपी) से बुंडेस्टैग के सदस्य हैं, ने अन्य सदस्यों के साथ शिष्टमंडल का स्वागत किया और अपना परिचय दिया। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने शिष्टमंडल के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए बुंडेस्टैग के उपाध्यक्ष को धन्यवाद दिया और बाद में शिष्टमंडल को उपाध्यक्ष से मिलवाया। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने बताया कि भारत और जर्मनी एक ही नाव पर सवार हैं क्योंकि दोनों देशों में लोकतंत्र, संविधान और संसद सदस्यों के चुनाव की प्रणाली मौजूद है। बैठक में चर्चा के दौरान यह उल्लेख किया गया कि बुंडेस्टैग का सत्र सामान्य रूप से महीने में दो सप्ताह तक चलता है जो सोमवार से शुरू होता है। जर्मन पक्ष ने हमें सूचित किया कि बुंडेस्टैग में 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जर्मन संसद में सदन की कार्यवाही से सदस्य के अनुपस्थित होने पर उस सदस्य पर जुर्माने का तंत्र मौजूद है। जर्मनी में, वित्तीय वर्ष और कैलेंडर वर्ष समान होते हैं अर्थात् हर वर्ष जनवरी से दिसंबर तक। सदस्यों ने कराधान और राज्यों को बजट के आबंटन के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया।



बुंडेस्टैग (जर्मन संसद) में बुंडेस्टैग के उपाध्यक्ष श्री वोल्फगैंग कुबिकी के साथ बैठक

18 अक्टूबर, 2018 को गोल्डन हॉल, जेकब कैसर होस में बुंडेस्टैग में भारत-जर्मनी संसदीय मैत्री समूह के साथ दोपहर के भोजन सहित बैठक

9.7 भारत-जर्मनी संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष श्री डर्क विसे द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किए जाने के बाद खे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपी) से बुंडेस्टैग के सदस्य हैं,, दोनों पक्षों के सदस्यों ने अपना परिचय दिया। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने दूसरे पक्ष को सूचित किया कि भारत में जीवंत लोकतंत्र और महान प्रारंभिक सभ्यता मौजूद है। भारत और जर्मनी मित्र होने के नाते प्रौद्योगिकी और कौशल विकास के क्षेत्र में एक-दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और जर्मनी विशेषज्ञ होने के नाते भारत में मानव संसाधनों के कौशल को विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। चर्चा के दौरान भारत पर चीन के प्रभाव के बारे में दूसरे पक्ष से जानकारी मांगी गई, उसके बाद शिष्टमंडल के माननीय नेता और हमारे पक्ष के अन्य सदस्यों ने जोर देकर कहा कि भारत चीन से निपटने में सक्षम है और हम यहां इस मंच पर समग्र विकास और भारत जर्मनी के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंधों पर चिंतन करने के लिए हैं। उन्हें बताया गया कि भारत प्रक्षेप पथ के उच्च विकास वाला एक प्रगतिशील देश है और जर्मनी को प्रौद्योगिकी में भारत के लिए सहयोग का विस्तार करना चाहिए और हमें अपने व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने महान शिक्षाविद/विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिन्होंने उपनिषदों का अनुवाद किया था और संस्कृत पर शोध जारी रखा था और जो भारतीय संस्कृति पर अग्रणी बौद्धिक टीकाकार बन गए थे, को याद करते हुए भारत और जर्मनी के प्राचीन संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने खुद को संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए समर्पित किया और अपने समय के प्रमुख संस्कृत विद्वानों में से एक बन गए थे। भारत में स्मार्ट शहरों

के रूप में विशाखापत्तनम, कोयंबटूर और भुवनेश्वर को विकसित करने में जर्मनी की भूमिका की ओर भी मैत्री समूह का ध्यान आकर्षित किया गया। भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका और महत्व पर भी चर्चा की गई, जो केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से नई सरकार के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे शिष्टमंडल के सदस्यों ने स्वास्थ्य देखभाल, कृषि आदि के क्षेत्र में जर्मन पक्ष की विशेषज्ञता की मांग की। जर्मनी ने हमें बताया कि हर जर्मन नागरिक को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है और मैत्री समूह के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की ओर भी ध्यान दिलाया। भारत का आयुष्मान भारत कार्यक्रम जो हाल ही में हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण था कि स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में, एक विशिष्ट चिकित्सक को स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशिष्ट संख्या में नागरिक आबंटित किए गए हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि भारत में कोच्चि दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है और इस तरह दोनों देश विशेषज्ञता के क्षेत्र में एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत और एक दूसरे की भाषा को गहराई से जानने के लिए फिल्म महोत्सव कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।



जर्मनी के बुंडेस्टैग में भारत-जर्मनी संसदीय मैत्री समूह के साथ दोपहर के भोजन पर बैठक

18 अक्टूबर, 2018 को बुंडेस्टैग में सांसद और डिजिटलाइजेशन संबंधी समिति के उप सभापति, श्री हंसजॉर्ज डर्ज के साथ बैठक

9.8 बुंडेस्टैग में सांसद और डिजिटलाइजेशन संबंधी समिति के उप सभापति, श्री हंसजॉर्ज डर्ज के साथ बैठक के दौरान, लोगों के डेटा की साइबर सुरक्षा के लिए दोनों पक्षों की ओर से चिंता व्यक्त की गई और इस बात पर चर्चा की गई कि डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए क्या तंत्र है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से विभिन्न साइबर अपराधों से



महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। डिजिटलाइजेशन संबंधी समिति के उप सभापति ने अपने विचार व्यक्त किए कि सुरक्षा के बिना विश्वास नहीं होगा और अगर आईटी के माध्यम से कुछ संगठन प्रभावित होते हैं, तो साइबर अपराधों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली किसी विशिष्ट समस्या के निवारण के लिए किसी प्राधिकरण विशेष के साथ पंजीकरण करने का कोई तंत्र होना चाहिए। यह भी बताया गया कि जर्मनी में, एक नेटवर्क प्रवर्तन अधिनियम मौजूद है जो साइबर संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करता है और किसी भी साइट विशेष से अवैध सामग्री 24 घंटे के साथ हटा दी जाती है।



बुंडेस्टैग में सांसद और डिजिटलाइजेशन संबंधी समिति के उप सभापति, श्री हंसजॉर्ज डर्ज के साथ बैठक

19 अक्टूबर, 2018 को बुंडेस्टैग में विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉ. नॉरबर्ट रोटजेन के साथ बैठक

9.9 बुंडेस्टैग की विदेश मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष द्वारा शिष्टमंडल के स्वागत के बाद, शिष्टमंडल के माननीय नेता ने भारतीय शिष्टमंडल के हार्दिक स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। चर्चा के दौरान यह सामने आया कि भारत और जर्मनी के बीच संबंधों को लेकर जर्मन पक्ष के मन में कुछ आशंका/भ्रम हैं और इस बात का संकेत मिला कि दोनों देशों के बीच संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए, शिष्टमंडल के माननीय नेता ने उनके सामने उल्लेख किया कि भारत-जर्मन संबंधों के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम अच्छे मित्र हैं और दोनों पक्षों के बीच उत्साह, सद्भावना के भाव में वृद्धि करने के लिए जर्मनी से एक शिष्टमंडल का स्वागत करना बेहतर होगा। दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की कि वह अतीत में किए गए प्रयासों से ज्यादा प्रयास करेंगे। शिष्टमंडल के माननीय नेता ने भारत आने के लिए जर्मन पक्ष को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि हम आप लोगों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं ताकि हमारे द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच सकें। उन्हें यह भी बताया गया कि जर्मनी और भारत के बीच फ्रेडरिक मैक्स मुलर के युग से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों पक्षों के अन्य सदस्यों ने इस बात पर चिंतन किया कि जर्मनी और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारे पक्ष के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि हम दोनों को आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए तथा व्यवसाय और व्यापार, पर्यावरण, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन के विषय पर एक साथ काम करना चाहिए क्योंकि हमारे यहां योग्य कार्यबल है। हमारी ओर से सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट के लिए जर्मनी के समर्थन की भी मांग की।



बुंडेस्टैग में विदेशी मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉ. नॉरबर्ट रोटजेन के साथ बैठक

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.10 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों में संसद सदस्यों के नामों का नामांकन/अनुमोदन करते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित संसद सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए गए शिष्टमंडलों/बैठकों में नामांकित किया गया:—

1. श्री जयराम रमेश, संसद सदस्य (राज्य सभा)	26-27 जुलाई, 2018 के दौरान दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्रीय सांसदों की बैठक में प्रतिभागिता।
2. डॉ. विकास महात्मे, संसद सदस्य (राज्य सभा)	
3. डॉ. हिना विजयकुमार गावित, संसद सदस्य (लोक सभा)	
4. डॉ. के. कामराज, संसद सदस्य (लोक सभा)	
5. डॉ. संजय जायसवाल, संसद सदस्य (लोक सभा)	

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.11 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 11 संसद सदस्यों (5 सदस्य राज्य सभा के और 6 सदस्य लोक सभा के) ने अपने विदेश दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.12 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्यो' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्योंक द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.13 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.14 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में गुजरात सरकार के गण्यमान्य व्यक्तियों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

## अध्याय -10

### युवा संसद योजना

#### एक झलकः

- विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-
  - क) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए 9-10 अप्रैल, 2018 को महाबलेश्वर में।
  - ख) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए 10-11 मई, 2018 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में।
  - ग) केंद्रीय विद्यालयों के लिए 31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए कोलकाता, जयपुर, चौन्नई, भोपाल और देहरादून में क्रमशः 16-17 अप्रैल, 2018, 20-21 अप्रैल, 2018, 3-4 मई, 2018, 7-8 मई, 2018 और 10-11 मई, 2018 को।
  - घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए राष्ट्रीय नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट, गोवा और नवोदय लीडरशिप इंस्टीट्यूट, उदयपुर में क्रमशः 23-24 अप्रैल, 2018 और 16-17 मई, 2018 को।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 और दिल्ली के विद्यालयों के लिए 52वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन क्रमशः 7 सितंबर, 2018, 12 सितंबर, 2018, 20 सितंबर, 2018 और 23 अक्तूबर, 2018 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में किया गया।

#### प्रस्तावना

- 10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी. एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार

किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

52वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का पुरस्कार वितरण समारोह

- 10.2 दिल्ली के विद्यालयों के लिए 52वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 पुरस्कार वितरण समारोह 23 अक्टूबर, 2018 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग तथा श्री बी.एस. भाटी, सदस्य, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए थे। भारती पब्लिक स्कूल, स्वास्थ्य विहार, नई दिल्ली को प्रतियोगिता का विजेता बनने पर "पंडित मोतीलाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्तीथ" प्रदान की गई।



प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय तथा श्री बी.एस. भाटी, सदस्य, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद भारती पब्लिक स्कूल, स्वास्थ्य विहार के विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ

53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

- 10.3 मंत्रालय ने 53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 10-11 मई, 2018 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। आवश्यक पृष्ठभूमि सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रतिभागियों को व्याख्यात्मक भाषण दिए गए।

53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018–19 का मूल्यांकन

53वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2018–19 का मूल्यांकन दिसंबर, 2018 – जनवरी, 2019 में आयोजित किया गया।

## 2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.4 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का 31वां संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है।

30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017–18 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 30वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017–18 का पुरस्कार वितरण समारोह 12 सितंबर, 2018 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। केंद्रीय विद्यालय, ए.एफ.एस. मनौरी, इलाहाबाद को इस अवसर पर नेहरू चल वैजयन्तीय प्रदान की गई। चार केंद्रीय विद्यालयों को अपने-अपने अंचलों में उनके योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक विजेता की ट्रॉफियां और 20 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।



श्री अर्जुन राम मेघवाल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री तथा सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय केंद्रीय विद्यालय, ए.एफ.एस., मनौरी, इलाहाबाद के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.6 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के समन्वय से निम्न प्रकार से पांच अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

- पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम पूर्वी अंचल के लिए 16 और 17 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय विद्यालय, बालीगंज, कोलकाता में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात कोलकाता, गुवाहाटी, सिल्वर, तिनसुकिया और भुवनेश्वर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।
- दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम पश्चिम अंचल के लिए 20 और 21 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय विद्यालय नं.1, जयपुर में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, आगरा और रांची से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।
- तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम दक्षिणी अंचल के लिए 3 और 4 मई, 2018 को केंद्रीय विद्यालय, अन्ना नगर, चौन्नई में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात चौन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, एरनाकुलम और जबलपुर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।
- चौथा अभिविन्यास पाठ्यक्रम केंद्रीय अंचल के लिए 7 और 8 मई, 2018 को केंद्रीय विद्यालय, अन्ना नगर, चौन्नई में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात लखनऊ, पटना, भोपाल, वाराणसी और रायपुर से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।
- पांचवां अभिविन्यास पाठ्यक्रम उत्तसरी अंचल के लिए 10 और 11 मई, 2018 को केंद्रीय विद्यालय, आई.एम.ए. देहरादून में आयोजित किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 5 क्षेत्रों अर्थात दिल्लीय, चंडीगढ़, देहरादून, गुडगांव, जम्मू से उप/सहायक आयुक्तों, प्रधानाचार्यों, अध्यापकों ने भाग लिया।

31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का मूल्यांकन

10.7 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 31वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 125 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। प्रतियोगिताएं पहले अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गईं। तत्पश्चात, 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं 25 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच आयोजित की गईं।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.8 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 22 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं।

21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.9 21वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का पुरस्कार वितरण समारोह 7 सितंबर, 2018 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य (लोक सभा) ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। जवाहर नवोदय विद्यालय, कैमूर (बिहार) जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुनः अभिनीत किया और इस विद्यालय को संसदीय चल वैजयन्ती प्रदान की गई।



श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य (लोक सभा) तथा सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय जवाहर नवोदय विद्यालय, कैमूर के पुरस्कार विजेताओं के साथ

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.10 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 के संबंध में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से आयोजित किए:-

- पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 23 और 24 अप्रैल, 2018 को नवोदय नेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट, गोवा में हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, पुणे क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।
- दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 16 और 17 मई, 2018 को नवोदय नेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट, उदयपुर में जयपुर, लखनऊ, पटना, शिलॉंग क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018-19 का मूल्यांकन

10.11 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में किया गया। प्रतियोगिता पहले अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर



पर और तत्पश्चात अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आए विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.12 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में कुल 14 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं। प्रतियोगिता का 15वां संस्करण प्रगति पर है।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का मूल्यांकन

10.13 प्रतियोगिता का आयोजन देश के विभिन्न भागों में 74 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में किया गया। इन 74 संस्थानों को 15 समूहों में बांटा गया। समूह विजेता ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की। डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर को प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का पुरस्कार वितरण समारोह

10.14 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2017-18 का पुरस्कार वितरण समारोह 20 सितंबर, 2018 को जी.एम.सी. बालयोगी सभागार, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की। डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुनः अभिनीत किया और उसे नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती, प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 14 अन्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को भी ग्रुप स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गईं। इन 14 विश्वविद्यालयों के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों/अध्यापकों को भी प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए।



श्री अर्जुन राम मेघवाल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री तथा सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय डी.ए.वी. कॉलेज, जालंधर के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 15वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2018–19 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.15 प्रतियोगिता का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 9–10 अप्रैल, 2019 को महाबलेश्वर में आयोजित किया गया।

#### 5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.16 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुरोध पर एक वित्तीय सहायता योजना चलाई जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, वर्ष 2017–18 में अपने संबंधित राज्यों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने हेतु पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता योजना आरंभ करने और चलाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और साहित्य भी उपलब्ध कराता है।

## अध्याय—11

### मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

- 11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।
- 11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
- 11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

#### राजभाषा कार्यान्वयन समिति

- 11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की पांच बैठकें दिनांक 26.03.2018, 29.06.2018, 26.09.2018, 26.12.2018 और 19.03.2019 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

#### हिन्दी सलाहकार समिति

- 11.5 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। 15 जून, 2018 को पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पुनर्गठन का कार्य प्रगति पर है।
- 11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान तीन अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

#### हिन्दी पखवाड़ा

- 11.7 मंत्रालय में 14 से 28 सितम्बर, 2018 के दौरान "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं संचालित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। पखवाड़े के उद्घाटन दिवस पर मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित सात प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गईं:—

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता,
  2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता,
  3. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता,
  4. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता,
  5. हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता,
  6. सामान्य हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता, और
  7. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता।
- 11.8 कुछ अपरिहार्य कारणों से हिन्दी पखवाड़े का अंतिम समारोह 11 अक्तूबर, 2018 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण – आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 23 अधिकारियों/कर्मचारियों (परिशिष्ट-10) को पुरस्कार प्रदान किए गए।



(बाएं से दाएं)

श्री ए.बी. आचार्या, उप सचिव, सुश्री मृगनयनी पाण्डेय, सहायक निदेशक, श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी, सचिव और श्री सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव 11 अक्तूबर, 2018 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर।

6. संसदीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2017–18 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों के द्वितीय पुरस्कार हेतु चुना गया। हिंदी दिवस के अवसर पर अर्थात् 14 सितंबर, 2018 को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत के माननीय उप राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण किया।



हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2018 को भारत के माननीय उप राष्ट्रपति से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

11.9 मंत्री के वैयक्तिक अनुभाग और अनुसंधान प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1. सामान्य अनुभाग	100%
2. कार्यान्वयन-I अनुभाग	100%
3. कार्यान्वयन-II अनुभाग	100%
4. हिन्दी अनुभाग	100%
5. प्रशासन अनुभाग	100%
6. विधायी-II अनुभाग	100%
7. युवा संसद अनुभाग	50%
8. प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9. समिति अनुभाग	50%
10. विधायी-I अनुभाग	50%
11. सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12. लेखा और क्रय अनुभाग	50%

#### हिन्दी कार्यशाला

11.10 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवेदित अवधि में, 29 अक्तूबर, 2018 से 2 नवंबर, 2018 के दौरान हिन्दी कार्यशाला का संचालन किया गया। कार्यशाला में 12 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया। 12 फरवरी, 2018 को राजभाषा हिन्दी, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के विषय पर मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। 25 अप्रैल, 2018 को योग विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 13.6.2018 को योग पर एक और विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें योग गुरु डॉ. सुरक्षित गोस्वामी ने मंत्रालय के कर्मचारियों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण दिया।

## अध्याय – 12

# डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)

### एक झलक

- नेवा।
- नेवा पर राष्ट्रीय कार्यशाला।
- राज्य विधानमंडलों के क्षमता निर्माण हेतु कार्यशालाएं।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ज्ञान सहभाजन सत्र।

### प्रस्तावना

- 12.1 भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के दृष्टिकोण के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 44 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) की पहचान की है। ई-विधान मंत्रिमंडल के अनुमोदन सहित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल ऐसी ही मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है। सर्वोच्च समिति ने 15 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को 'नोडल मंत्रालय' बनाने का निर्णय लिया था और हिमाचल प्रदेश विधान सभा की तर्ज पर विधानमंडलों वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान को बढ़ावा देने और शुरू करने के लिए इसे राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के रूप में पुनःनामित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया।
- 12.2 परियोजना की कुल लागत 698.35 करोड़ है और निधियन केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात 60:40, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य 90:10 और संघ राज्य क्षेत्र 100% के पैटर्न पर प्रस्तावित है।
- 12.3 डिजिटल इंडिया संबंधी सर्वोच्च समिति ने दिनांक 16.6.2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया था कि ई-विधान के लिए निधियन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और तकनीकी सहायता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तत्पश्चात, आर्थिक वित्त समिति (ईएफसी) ने 20 फरवरी, 2018 और 14 दिसंबर, 2018 को आयोजित अपनी दो बैठकों में ई-विधान परियोजना के मूल्यांकन के लिए विचार किया और इस निर्देश के साथ सैद्धांतिक मंजूरी दे दी कि मंत्रालय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकास और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के साथ क्षमता निर्माण उपायों पर आगे बढ़ सकता है।
- 12.4 नेवा की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया और उनकी उत्साहजनक प्रतिक्रिया के आधार पर, नेवा परियोजना के प्रारंभिक

डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।

12.5 केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समीक्षा, कार्य की प्रगति के मूल्यांकन और परियोजना निष्पादन टीम को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी होगी और नए निदेशों/प्रस्ताव के लिए भी जिम्मेदार होगी तथा इसके सुचारू उत्थान तथा उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोजन हेतु देश में किसी अन्य विधानमंडल में अन्यत्र चल रहे कार्य के साथ जुड़ाव को सुनिश्चित करेगी। सीपीएमयू राज्य स्तरीय परियोजना निगरानी इकाइयों (एसपीएमयू) के अनुरोध पर कार्यान्वयन एजेंसी को निधि जारी करने की सिफारिश करेगी।

नेवा की मुख्य विशेषताएं

12.6 कागज रहित विधानसभा या ई-विधानसभा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ई-लोकतंत्र के मूल तत्व को मजबूती प्रदान करते हुए विधानसभा के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल होते हैं। यह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की खोज, जानकारी के साझाकरण से लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधानसभा को अधिक पारदर्शी, सुलभ, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है।

12.7 नेवा का उद्देश्य देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक मंच पर लाना और ऐसा करके अनेक एप्लीकेशनों की जटिलता के बिना एक बृहत डेटा निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) का सृजन करना है।

12.8 नेवा एक सदस्य केंद्रित एप्लिकेशन है जो सदस्यों के पास उपलब्ध उपकरणों/टेबलेट में उनके द्वारा वांछित समस्त सूचना उपलब्ध कराकरें सदन के विविध कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने योग्य बनाने और विधानमंडलों/विभाग की सभी शाखाओं को इस पर दक्षतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने के लिए तैयार की गई है। यह एक कुशल, समावेशी, शून्य उत्सर्जन-आधारित डेटाबेस के निर्माण के संदर्भ में लाभदायक होगी।

12.9 नेवा एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेण्ड-अलोन जेनरिक डिजिटल एप्लिकेशन है जिसे NET प्रौद्योगिकी पर एचपी पैट्रन पर डिजाइन किया गया है। यह स्थानीय डाटा सेंटर पर प्रतिबिंब के साथ राष्ट्रीय क्लाउड – मेघराज पर उपलब्ध कराया गया है और सभी 40 सदनों के लिए अनुरक्षण, सुरक्षा और आपदा पुनःप्राप्ति का ध्यान रखा गया है। इसका उपयोग सभी 40 सदनों और 5300 लोक प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, मणिपुर की विधान सभाएं इस एप्लिकेशन का उपयोग पहले ही शुरू कर चुकी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधानमंडलों को नियमित प्रशिक्षण केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

12.10 यह पहल नागरिकों को एक सरल ढंग से विधेयकों, प्रश्न-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए

कागज-पत्रों तक पहुंच प्रदान करके विधानमंडलों के कामकाज को उनके नजदीक लाकर न केवल लोकतंत्र को उनके नजदीक लाएगी, बल्कि नागरिकों को लोकतंत्र के साथ सार्थक जुड़ाव का अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे वास्तविक लोकतंत्र को हासिल करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया जा सकेगा। केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई, संसदीय कार्य मंत्रालय वित्तीय सहायता के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और क्षमता निर्माण के संदर्भ में संपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। पूर्ण सहायता उपलब्ध कराने और अर्जित गति पर मदद करने के लिए एक मेहनती नेवा टीम मौजूद है।

- 12.11 यह एप्लीकेशन संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और उत्तरों, पुरःस्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, सभापटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों के पाठ, समिति की रिपोर्टों, सदन की कार्यवाहियों, कार्यवाहियों के सार, अस्थायी कलेंडर और मंत्रालयों के रोटेशन, समाचारों और प्रेस विज्ञप्तियों और संदर्भ सामग्रियों के अतिरिक्त सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समय-समय पर विधानमंडलों द्वारा जारी की जा रही या जारी की गई सूचनाओं, समाचारों जैसी समस्त सुसंगत सूचना उपलब्ध कराएगी। यह एप्लीकेशन समिति की बैठकों, उनकी कार्यसूची सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना, सदस्यों के व्यक्तिगत दावों जैसे कि वेतन और भत्तों इत्यादि से संबंधित सूचना भी उपलब्ध कराएगी। इस एप्लीकेशन पर लाइव वेबकास्टिंग/टीवी सुविधा भी उपलब्ध है, लोक सभा/राज्य सभा टीवी, दूरदर्शन का सीधा प्रसारण राज्य विधानमंडलों के संबंध में समान सुविधा शामिल करने के प्रावधान के साथ पहले ही सक्षम कर दिया गया है।
- 12.12 नेवा मोबाइल ऐप पर सभी मंत्री/सांसद दैनिक कार्यवाहियों के प्रारंभ से 45 मिनट पूर्व प्रश्नों के उत्तरों, सदन के पटल पर रखे जाने वाले कागज-पत्रों सहित सदन के समस्त कार्य की जानकारी पा सकेंगे जबकि माननीय अध्यक्ष सदन का समस्त कार्य उसी समय प्राप्त कर सकेंगे जैसे ही वह उपलब्ध होगा। ई-विधान परियोजना का लक्ष्य एंड्रॉइड और आई.ओ.एस. प्लेटफार्म दोनों पर एक सामान्य नेवा एप्लीकेशन विकसित करना है।
- 12.13 सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय डिजाइन और व्यावहारिकता के मद्देनजर विभिन्न आशोधनों के अधीन रहते हुए नेवा संस्करण 2.0 और नवीनतम अद्यतित मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित की है।
- 12.14 हिमाचल प्रदेश पहले ही देश का पहला पूर्णतः डिजिटल विधानमंडल बन चुका है। अन्य राज्य जैसे कि पंजाब, मध्य प्रदेश और सिक्किम भी इस परिवर्तन के विभिन्न चरणों में हैं और उनके प्रयास काफी प्रशंसनीय हैं। सभी विधानमंडलों में एकसमान कार्यचालन के साथ एकल मंच के विचार के पीछे, इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों के साथ प्रभावी और सरल अनुबंध सुनिश्चित करना है।
- 12.15 सदन के भीतर नेवा सदस्य के लॉगिन के माध्यम से सुलभ डिजिटल ई-बुक प्रारूप का समर्थन करेगा। नेवा-मोबाइल ऐप की सामग्री सदन के भीतर स्थापित टच-स्क्रीन डिवाइस के बिना



भी मोबाइल और टैबलेट के माध्यम से सुलभ होगी। भारत सरकार एनआईसी और हार्डवेयर, सुविधा केंद्रों और सभी 40 सदनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से नेवा का भरण-पोषण करेगी। इस योजना के तहत वित्त पोषण केंद्रीय प्रायोजित योजना पैटर्न पर आधारित होगा। प्रत्येक सदन के लिए क्लाउड सर्वर पर उपलब्ध अनुकूलित स्टैण्ड-अलोन संस्करण, प्रशिक्षण साहित्य और उसके लिए प्रयोगकर्ता मैनुअल को स्थान दिया गया है। राज्य अपने आगामी सत्रों के आंकड़ों का अवलोकन करना शुरू कर सकते हैं।

संसदीय सौध स्थित मंत्रालय के कार्यालय में सीपीएमयू का आरंभ

12.16 व्यापक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटल और कागज रहित बनाने के उद्देश्य के साथ ई-विधान मिशन मोड परियोजना के नोडल मंत्रालय के रूप में, यह मंत्रालय सभी राज्यों में परियोजना को शीघ्रताशीघ्र शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई रणनीति के प्रमुख घटक में से एक है केंद्रीय और साथ ही राज्य स्तर पर परियोजना निगरानी इकाइयाँ स्थापित करना। पूरे देश में नेवा के कार्यान्वयन में तेजी लाने और उसकी निगरानी करने के लिए 19 अप्रैल, 2018 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में प्रथम तल पर केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू), ई-विधान की स्थापना की गई है। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल ने सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी की उपस्थिति में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, डॉ. सत्य प्रकाश और सुश्री नंदिता चौधरी, उप महानिदेशक, एन.आई.सी. भी उपस्थित थे।



माननीय संसदीय कार्य और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, श्री विजय गोयल संसदीय सौध, नई दिल्ली में नेवा की केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू नेवा) के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए।

## नेवा पर राष्ट्रीय कार्यशाला

12.17 कुछ राज्यों ने अपने विधानमंडलों के स्वचालन के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। राज्य विधानमंडलों/परिषदों के नोडल और अन्य अधिकारियों को नेवा ऐप की विशेषताओं और कार्यों से अवगत कराने के लिए 24–25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में दो दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभिविन्यास कार्यशाला में 2 दिन तक तकनीकी सत्र और सामूहिक चर्चाएं शामिल की गईं, जिससे नेवा की सकारात्मक विशेषताओं के बारे में प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) पर आयोजित दो दिन की राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। कार्यशाला का एकमात्र उद्देश्य सभी राज्य विधानमंडलों को ई-विधान मंच की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से उनके कार्य संचालन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता लाना था।

12.18 उद्घाटन सत्र में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सदनों के कार्यचालन संबंधी सूचना वास्तविक समय में और ऐसे प्रारूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए जो प्रयोक्तानुकूल हो और सदस्य के लिए उसकी उपयुक्तता में वृद्धि करे। उन्होंने अपने संसदीय अनुभवों के कुछ दृष्टांतों का वर्णन किया कि किस प्रकार सूचना का डिजिटलीकरण, उपलब्धता और उपयुक्तता सदनों और उनके सदस्यों के बहुमूल्य समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत कर सकती है और उनकी क्षमता में कई गुणा वृद्धि करती है। मंत्री ने आगे कहा कि यह डिजिटल हस्तक्षेप पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए एक बड़ा कदम है और सदन के कार्यचालन में भ्रष्टाचार की संभावना में कमी लाता है।



माननीय संसदीय कार्य, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल 24–25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसदीय ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

- 12.19 केंद्रीय संसदीय कार्य और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) पर दो दिन की राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला के समापन सत्र की अध्यक्षता की। लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय सहित पूरे देश के 36 विधानमंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आए 200 से अधिक प्रतिनिधियों की सभा को संबोधित करते हुए, श्री विजय गोयल ने डिजिटलीकरण को अपनाने में अग्रणी होने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के साथ-साथ नेवा संबंधी पहल की अगुआई करने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय को बधाई दी। मंत्री ने कहा कि इस कदम की सफलता के लिए राज्यों का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस दिशा में राज्य विधानमंडलों को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
- 12.20 श्री विजय गोयल ने सदनों की उत्पादकता और उनके अपने-अपने सदस्यों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए बदलते समय के साथ संसद सहित विधानमंडलों के कार्यचालन में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों के महत्व पर और इस डिजिटल पहल को और अधिक जीवंत एवं प्रयोक्तानुकूल बनाने पर बल दिया।
- 12.21 श्री विजय गोयल ने डिजिटलीकरण के लाभ और विधानमंडलों को कागज रहित बनाने की प्रशंसा की, फिर भी उन्होंने अपनी यह इच्छा दृढ़तापूर्वक व्यक्त की कि प्रौद्योगिकी, सूचना के डिजिटल उपभोग और विधानमंडलों के कार्यचालन के पारंपरिक रूप के बीच संतुलन होना चाहिए। उन्होंने सदन के सदस्यों के बीच बौद्धिक बहस और पारस्परिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया। श्री विजय गोयल ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाना अपरिहार्य है, फिर भी, इससे देश में विधानमंडलों में मानवीय तत्व नहीं दबना चाहिए।



ख़ाननीय संसदीय कार्य और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल 24-25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

12.22 सभा को संबोधित करते हुए, सीईओ, नीति आयोग, श्री अमिताभ कांत ने टिप्पणी की कि सूचना के बोझ के साथ लगातार जटिल होते हा रहे विश्व के साथ, नेवा संबंधी पहल विधानमंडलों के कार्यचालन के बारे में महत्वपूर्ण सूचना सभी को एक सरल प्रारूप में सुलभता सुनिश्चित करने का वचन देती है। उन्होंने राज्यों से आए प्रतिनिधियों को अपने-अपने राज्य विधानमंडलों में इस क्रांतिकारी उपकरण को खुले हाथों से अपनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया कि सदनों के कार्यचालन संबंधी सूचना सभी नागरिकों की उंगलियों तक पहुंचें।



सीईओ, नीति आयोग, श्री अमिताभ कांत 24-25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

12.23 इस अवसर पर बोलते हुए, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री एस.एन. त्रिपाठी ने बताया कि संसद और राज्य विधानमंडलों में विभिन्न विषयों पर पहले से ही 4000 से ज्यादा एप्लीकेशन चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन एप्लीकेशनों द्वारा विशाल मात्रा में सूचना को संभाला जा रहा है जिससे संगत सूचना को तुरंत हासिल करना अत्यंत कठिन हो जाता है। उन्होंने बताया कि नेवा इस सूचना को एक मंच पर एकीकृत करने और बटन के एक क्लिक पर सभी को किसी भी समय कहीं भी पहुंच प्रदान करने का एक प्रयास है।

12.24 दो दिनों की अवधि के दौरान, नेवा की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा अनेक व्याख्यान/संवादात्मक सत्र दिए गए। तकनीकी सत्र भी संचालित किए गए जिनमें एप्लीकेशन पर एक सजीव व्यावहारिक प्रदर्शन भी शामिल था। एन.आई.सी. के विशेषज्ञों के सत्र में नेवा एप्लीकेशन के मेघराज प्रथम और मोबाइल प्रथम संरचना को स्पष्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के साथ एक अनुभव साझा करने वाला सत्र का भी संचालन किया गया जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार टीम द्वारा परियोजना को कार्यान्वित

करने के फायदों के साथ-साथ चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। सामूहिक चर्चा के माध्यम से, प्रतिभागियों के सभी प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया गया। नेवा के त्वरित कार्यान्वयन पर सहमति बनकर उभरी। समापन सत्र के दौरान, श्री विजय गोयल ने पंजाब, गुजरात और कर्नाटक की परियोजना को अपनाने में दिखाई गई शीघ्रता के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा की।



सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय 24-25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए।



24-25 सितंबर, 2018 को बीपीएसटी, मुख्य व्याख्यान कक्ष, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला के प्रतिभागियों का सामूहिक फोटोग्राफ।

राज्य विधानमंडलों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला

12.25 परियोजना को और मजबूत करने के लिए विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में उनके सचिवालयों, एन.आई.सी. के कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों को इस एप्लीकेशन का प्रशिक्षण देने और अवगत कराने के लिए दो दिन की कार्यशालाएं भी संचालित की जा रही हैं। अब तक ऐसे प्रशिक्षण 13 राज्यों अर्थात् पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम, बिहार, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोलकाता, असम, जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड में उनकी जगह पर प्रशिक्षण आयोजित करने में इन राज्यों के हार्दिक समर्थन के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। पूर्ववर्ती क्षमता निर्माण के उपायों के क्रम में, इन ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षणों को सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 3 दिवसीय चरण-।। की गहन प्रशिक्षण कार्यशालाओं के साथ संवर्धित किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के चरण-। के प्रशिक्षण से पहले ही गुजर चुके नोडल अधिकारियों की टीम को प्रशिक्षण सह व्यावहारिक सत्र में गहन प्रशिक्षण दिया गया। नेवा पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशालाओं को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:-

सीपीएमयू नेवा द्वारा संचालित कार्यशालाओं का विवरण			
क्र.सं.	नाम	तारीख	स्थान
1.	पंजाब विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	17-18 अक्तूबर, 2018	पंजाब विधानसभा, चंडीगढ़
2.	तेलांगाना विधानसभा और परिषद के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	23-24 अक्तूबर, 2018	तेलांगाना विधानसभा, हैदराबाद
3.	सिक्किम विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	2-3 नवंबर, 2018	सिक्किम विधानसभा, गंगटोक
4.	कर्नाटक विधानसभा और परिषद के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	2-3 नवंबर, 2018	कर्नाटक विधानसभा, बंगलौर
5.	बिहार विधानसभा और परिषद के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	5-6 नवंबर, 2018	बिहार विधानसभा और परिषद, पटना
6.	मणिपुर विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	19-20 नवंबर, 2018	मणिपुर विधानसभा, इंफाल
7.	नागालैंड विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	19-20 नवंबर, 2018	नागालैंड विधानसभा, कोहिमा

सीपीएमयू नेवा द्वारा संचालित कार्यशालाओं का विवरण			
क्र.सं.	नाम	तारीख	स्थान
8.	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	26-27 नवंबर, 2018	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा, इटानगर
9.	गुजरात विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	26-27 नवंबर, 2018	गुजरात विधानसभा, गांधीनगर
10.	पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	3-4 दिसंबर, 2018	पश्चिम बंगाल विधानसभा, कोलकाता
11.	असम विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	17-18 दिसंबर, 2018	असम विधानसभा, गुवाहाटी
12.	जम्मू और कश्मीर विधानसभा और परिषद के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	12-13 मार्च, 2019	जम्मू और कश्मीर विधानसभा, जम्मू
13.	झारखंड विधानसभा के लिए अभिविन्यास कार्यशाला	26-27 मार्च, 2019	झारखंड विधानसभा, रांची



कर्नाटक विधानसभा, बेंगलूरु में 2-3 नवंबर, 2018 को कर्नाटक विधानसभा और परिषद के लिए आयोजित चरण-1 की अभिविन्यास कार्यशाला



अरुणाचल प्रदेश विधानसभा, ईटानगर में 26-27 नवंबर, 2018 को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए आयोजित चरण-I की अभिविन्यास कार्यशाला



बिहार विधानसभा, पटना में 5-6 नवंबर, 2018 को बिहार विधानसभा और परिषद के लिए आयोजित चरण-I की अभिविन्यास कार्यशाला में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा और माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद द्वारा दीप प्रज्वलन





गुजरात विधानसभा, गांधीनगर में 26-27 नवंबर, 2018 को गुजरात विधानसभा के लिए आयोजित चरण-I की अभिविन्यास कार्यशाला



तेलंगाना विधानसभा, हैदराबाद में 23-24 अक्टूबर, 2018 को तेलंगाना विधानसभा के लिए आयोजित चरण-I की अभिविन्यास कार्यशाला के दौरान सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

सीपीएमयू, नेवा द्वारा संचालित चरण-II की कार्यशालाओं का विवरण		
नाम	तारीख	स्थान
पंजाब विधानसभा के लिए चरण-II की कार्यशाला	11-13 मार्च, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
कर्नाटक विधानसभा के लिए चरण-II की कार्यशाला	18-20 मार्च, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली
कर्नाटक विधान परिषद के लिए चरण-II की कार्यशाला	25-27 मार्च, 2019	
तेलंगाना विधानसभा के लिए चरण-II की कार्यशाला	25-27 मार्च, 2019	सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली



सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 11-13 मार्च, 2019 को आयोजित चरण-II की कार्यशाला में भाग लेने वाले पंजाब विधानसभा के प्रतिभागियों का सामूहिक फोटोग्राफ



सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 18-20 मार्च, 2019 को आयोजित चरण-II की कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्नाटक विधानसभा के प्रतिभागियों का सामूहिक फोटोग्राफ



सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 18-20 मार्च, 2019 को आयोजित चरण-II की कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्नाटक विधान परिषद के प्रतिभागियों का सामूहिक फोटोग्राफ



सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 25-27 मार्च, 2019 को आयोजित चरण-II की कार्यशाला में भाग लेने वाले तेलंगाना विधानसभा और कर्नाटक विधानसभा के प्रतिभागियों के साथ परस्पर संवाद करते हुए

नोडल अधिकारियों को ज्ञान हस्तांतरित करने हेतु संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

12.26 ई-विधान परियोजना का नोडल मंत्रालय होने के नाते, संसदीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों में परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। परियोजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी और एन.आई.सी. के अधिकारी ई-विधान एमएमपी की सफलता के लिए सर्वोपरि हैं। श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2018 को एन.आई.सी. मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानमंडल वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों और राज्यों में एन.आई.सी. के अधिकारियों के साथ परस्पर संवाद किया था। इस अवसर पर, डॉ. सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, सुश्री नंदिता चौधरी, उप महानिदेशक, एन.आई.सी. और एन.आई.सी. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।



12.27 इस परस्पर संवाद के दौरान, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने परियोजना की सफलता के लिए नोडल अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सूचना अधिकारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर अत्यधिक बल दिया। सचिव ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) की विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट किया, जिसे क्लाउड (मेघराज) पर उपलब्ध कराए जाने वाले और राज्यों के स्थानीय सर्वर से जोड़े जाने के लिए एक मूलभूत उत्पाद के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेवा एक हल्का, सरल और डाउनलोड करने व प्रचालित करने के लिए आसान एप्लीकेशन होगी। नेवा का उद्देश्य कागज के प्रयोग को कम करना और सदन (सदनों) में विधायी कार्य के प्रबंधन में स्वचालन लाना है। अधिकतर विशेषताएं, जहां किसी संपादन की जरूरत नहीं होती, बिना किसी कूजी/पासवर्ड के नागरिकों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध होंगी। इसमें विधानमंडलों/विधायकों के अनन्य उपयोग के लिए आईडी और पासवर्ड के माध्यम से सुलभ होने वाली बहुत कम विशेषताएं होंगी।

- 12.28 सचिव ने राज्या सूचना अधिकारियों/राज्यों में एन.आई.सी. के अन्य अधिकारियों द्वारा निर्भाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका पर बल दिया क्योंकि यह एक राष्ट्रीय परियोजना होगी। उन्हें 2-3 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परियोजना के साथ सहयोजित किया जाएगा। चूंकि, राज्य विधानमंडलों के डिजिटलीकरण से काफी हद तक कागज के प्रयोग को कम करके वातावरण की स्वच्छता में मदद मिलने की संभावना है, इसलिए 16 से 30 अप्रैल, 2018 तक मंत्रालय द्वारा मनाए गए स्वच्छता पखवाड़े के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ परस्पर संवाद के लिए 26 अप्रैल, 2018 को विशेष रूप से चुना गया था।
- 12.29 सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय सीपीएमयू, नेवा की टीम के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एप्लीकेशन से संबंधित विभिन्न मामलों का समाधान करने के अतिरिक्त राज्य विधानमंडलों के नोडल अधिकारियों को उसके मूल प्रचालन से अवगत कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देते रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विभिन्न नोडल अधिकारियों के विभिन्न विचार और सुझाव मांगने के लिए लाभदायक सिद्ध हुई हैं जो इस परियोजना को आगे ले जाने में एक प्रेरणादायक कारक रहा है।
- 12.30 विभिन्न हितधारकों, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के नोडल अधिकारी, एन.आई.सी. कार्मिकों के साथ-साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी शामिल हैं, के लिए अब तक 12 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालित की जा चुकी हैं। शुरुआती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित समय (स्लॉट्स) में किया गया था जहां पब्लिक साइट के लिए मास्टर डाटा एंट्री (स्तर I), प्रश्नों/सूचनाओं का प्रसंस्करण (स्तर II), विभागों से उत्तर/अन्य दस्तावेज भेजने के साथ-साथ समिति के प्रतिवेदन (स्तर III) के लिए चरणों/स्तरों में प्रशिक्षण दिया गया था। सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए विभिन्न इकाइयों से आज तक अनुमानित प्रतिभागिता लगभग 1000 श्रम घंटे रही है।

क्र.सं.	सीपीएमयू, नेवा द्वारा संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों का विवरण
1	26 अप्रैल, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
2	28 मई, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
3	10 जुलाई, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
4	27 जुलाई, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
5	3 अगस्त, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
6	10 अगस्त, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
7	24 अगस्त, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
8	7 सितंबर, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
9	14 सितंबर, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
10	5 अक्तूबर, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
11	2 नवंबर, 2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
12	25 फरवरी, 2019 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

## अध्याय – 13

### सामान्य

#### एक झलक

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:—
  - (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 06 संसद सदस्य (04 लोक सभा से और 02 राज्य सभा से), और
  - (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 14 संसद सदस्य (06 लोक सभा से और 08 राज्य सभा से)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 06 संसद सदस्यों (लोक सभा के 04 और राज्य सभा के 02) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि परिशिष्ट-11 में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान परिशिष्ट-12 में दर्शाए गए रूप में 14 संसद सदस्यों (लोक सभा के 06 और राज्य सभा के 08) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.3 संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई:

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सदनों में प्रस्तुत किए गए/पटल पर रखे गए निम्नलिखित प्रतिवेदन में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:—

- (i) सोलहवीं लोक सभा की याचिका समिति का 47वां से 56वां प्रतिवेदन।
- (ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 155वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

13.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:—

- (क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
- (ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
- (ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
- (घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

13.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमशः अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

13.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का संख्या 13) के माध्यम से संशोधन किया गया था जिसके द्वारा वेतन, भत्तों और पेंशन में दिनांक 01.04.2018 से वृद्धि की गई थी।

13.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमशः परिशिष्ट-13 और परिशिष्ट-14 पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.8 लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के प्रतिवेदनों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

13.9 संसदीय प्रणाली का सुचारु कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारु कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

13.10 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से दिनांक 31.03.2019 तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन राजस्थान सरकार के सहयोग से 8–9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में आयोजित किया गया था।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

13.11 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। संसदीय कार्य मंत्रालय वर्ष 1985 से विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए इन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

13.12 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जो अंततः पद्धतियों के बेहतर निष्पादन और मानकीकरण का कारण बन सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

13.13 वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान, ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में 11 मार्च, 2019 को एक अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया।





संसद सदस्य – प्रदान की गई सेवाएं

संसद सदस्यों का कल्याण

- 13.14 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।
- 13.15 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट <http://www-mpa-nic-in> पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।
- 13.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री चिंतामन नवशा वनागा, संसद सदस्य (लो.स.) (भा.ज.पा.) जिनका डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिनांक 31.01.2018 को दिल का दौरा पड़ने पर देहांत हो गया था, के दुखद निधन पर सहायता प्रदान की गई और उसी दिन स्वर्गीय श्री चिंतामन नवशा वनागा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जेट एयरलाईंस से मुंबई (महाराष्ट्र) भेजा गया।
- 13.17 डॉ. भोला सिंह, संसद सदस्य (लो.स.) (भा.ज.पा.) का भी दिनांक 19.10.2018 को दिल का दौरा पड़ने से डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में देहांत हो गया था और उसी दिन स्वर्गीय डॉ. भोला सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए इंडिगो एयरलाईंस से पटना (बिहार) भेजा गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

- 32.18 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।
- 13.19 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात तक चलने वाली बैठक (बैठकों) के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

- 13.20 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह और निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

13.21 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और गुप्तों के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/गुप्तों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्न प्रकार से बैठकें बुलाई गईं:

क्र. सं.	तारीख	जिनके द्वारा बैठक बुलाई गई/बैठक की अध्यक्षता की गई	विषय	स्थान
1.	28.01.2018	संसदीय कार्य मंत्री	बजट सत्र का सुचारु कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
2.	17.07.2018	संसदीय कार्य मंत्री	मानसून सत्र का सुचारु कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
3.	10.12.2018	संसदीय कार्य मंत्री	शीतकालीन सत्र का सुचारु कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
4.	31.01.2019	संसदीय कार्य मंत्री	अंतरिम बजट सत्र का सुचारु कार्यचालन	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली
5.	16.02.2019	गृह मंत्री	पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों पर आतंकवादी हमले के कारण देश में स्थिति का जायजा लेने के लिए।	जी-074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली

#### अनुसंधान कार्य

13.22 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन पर हैंडबुक के लिए सामग्री की समीक्षा करता है/उसे अद्यतित करता है और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मांग किए जाने पर संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर परामर्श/मार्ग-दर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

13.23 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका को तैयार करता है और

मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतित करता है तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है।

- 13.24 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ठ के स्टाफ द्वारा किया जाता है।
- 13.25 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामलों और संसदीय सचिवों के कार्यों संबंधी मामलों को निपटाया जाता है।
- 13.26 दिनांक 1.1.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, प्रकोष्ठ द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में संसदीय प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका तथा सांख्यिकी पुस्तिका का संशोधन शामिल है।

माऊंट एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित गंगोत्री-धाराली सांस्कृतिक समारोह में प्रतिभागिता

- 13.27 विभिन्न अनुभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कुशलता अर्जित करते हैं। तथापि, कार्यस्थल पर काम करने का वातावरण उबाऊ और नीरस हो जाता है जो हमारे कार्य प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। इस उबाऊपन और नीरसता पर काबू पाने के लिए, विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के बीच परस्पर जुड़ाव से हम एक प्रफुल्लित वातावरण प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की कौशल विकास संबंधी नीति, जिसका उद्देश्य अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में एक समर्थ और अग्रसक्रिय व्यक्ति बनना है, के अनुसरण में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 29 अक्तूबर, 2018 से 1 नवंबर, 2018 के दौरान माऊंट एवरेस्ट फाउंडेशन द्वारा संचालित गंगोत्री-धाराली सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने के लिए 15 सदस्यों की एक टीम गंगोत्री-धाराली (उत्तराखंड) के लिए प्रतिनियुक्त की थी।
- 13.28 इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच हिमालय की संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने के तरीकों के संबंध में जागरूकता फैलाना था। यह स्थानीय लोगों और उनके जीवन के सामाजिक उत्थान में मदद करेगा और गंगा नदी तथा हमारे देश की अन्य बड़ी नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण के स्तर और हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पर उसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाएगा।

टीम में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:—

1	श्री धीरेन्द्र चौबे	उप सचिव
2	श्री अनिल कुमार	अवर सचिव
3	श्री प्रद्योत बेपारी	अनुभाग अधिकारी
4	श्री जे.एन. नायक	निजी सचिव
5	श्री अर्पित त्यागी	सहायक अनुभाग अधिकारी
6	श्री जागवेन्द्र निरंजन	सहायक अनुभाग अधिकारी
7	श्री नवनीत भारती	सहायक अनुभाग अधिकारी
8	श्री यशपाल	सहायक अनुभाग अधिकारी

9	श्री अविनाश कुमार	सहायक अनुभाग अधिकारी
10	श्री जय नारायण	वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक
11	श्री नंदन कुमार	कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक
12	श्री प्रभात रंजन	कंप्यूटर प्रोग्रामर
13	श्री राज कुमार पासवान	एम.टी.एस.
14	श्री अमर नाथ सिंह	एम.टी.एस.
15	श्री नरेश कुमार	एम.टी.एस.

समूह ने इस मंत्रालय द्वारा भाड़े पर ली गई मिनी बस से जाने-आने की यात्रा एक साथ सड़क मार्ग से की।



संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम ने धराली (गंगोत्री के पास), उत्तराखंड का दौरा किया।

13.29 वित्तीय वर्ष 2018–19 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/ पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए. सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/ पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुनः प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2018—19 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बजट की स्थिति

13.30 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	बजट अनुमान 2018-19		संशोधित अनुमान 2018-19		बजट अनुमान 2019-20		वास्तविक व्यय 2018-19 (31.03.2019 तक)	
		पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13- संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00 - स्थापना								
	13.00.01 - वेतन	---	109500	---	113900	---	119600	---	113899
	13.00.03 - समयोपरि भत्ता	---	100	---	150	---	100	---	99
	13.00.06 - चिकित्सा उपचार	---	1500	---	1350	---	1350	---	1118
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	---	3000	---	4500	---	3500	---	4496
	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	---	25000	---	20000	---	24500	-	2817
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	---	17000	---	17000	---	17000	---	16989
	13.00.16 - प्रकाशन	---	1100	---	1300	---	900	---	1100
	13.00.20 - अन्य प्रशासनिक व्यय	---	8400	---	6300	---	6300	---	3682
	13.00.50 - अन्य प्रभार	---	10500	---	8100	---	8000	---	3098
	13.96 - स्वच्छता कार्य योजना 13.96.50 - अन्य प्रभार	---	1000	---	1000	---	1000	---	122
	13.99 - सूचना प्रौद्योगिकी 13.99.13 - कार्यालय व्यय	---	11500	---	11500	---	11500	---	11490
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'		---	188600	---	185100	---	193800	---

दिव्यांग व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप

12.31 यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्तियों इत्यादि में दिव्यांग व्यक्तियों के मामलों में जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और गुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका।
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और गुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

दिनांक 06.01.2018 से 13.02.2019 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

लो.स. = लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा

सोलहवीं लोक सभा का 14वां सत्र और राज्य सभा का 243वां सत्र					
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुरःस्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति
			लो.स.	रा.स.	
1.	2	3	4	5	6
सोलहवीं लोक सभा का 14वां सत्र और राज्य सभा का 243वां सत्र					
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
1.	उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2018	18.12.2017 लो.स.	15.03.2018	22.03.2018	<u>28.03.2018</u> 2018 का 12
वित्त मंत्रालय					
2.	वित्त विधेयक, 2018	01.02.2018 लो.स.	14.03.2018	#	<u>29.03.2018</u> 2018 का 13
3.	विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018	14.03.2018 लो.स.	14.03.2018	#	<u>29.03.2018</u> 2018 का 14
4.	विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2018	14.03.2018 लो.स.	14.03.2018	#	<u>29.03.2018</u> 2018 का 15
सोलहवीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 244वां सत्र					
आयुष मंत्रालय					
1.	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018	23.07.2018 लो.स.	30.07.2018	09.08.2018	<u>13.08.2018</u> 2018 का 23
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
2.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2018	23.07.2018 लो.स.	31.07.2018	10.08.2018	<u>17.08.2018</u> 2018 का 26
वित्त मंत्रालय					
3.	स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2018	21.07.2017 लो.स.	10.08.2017 *30.07.2018	18.07.2018	<u>02.08.2018</u> 2018 का 19
4.	भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018	12.03.2018 लो.स.	19.07.2018	25.07.2018	<u>31.07.2018</u> 2018 का 17
5.	परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018	02.01.2018 लो.स.	23.07.2018	26.07.2018	<u>02.08.2018</u> 2018 का 20
6.	विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2018	07.08.2018 लो.स.	07.08.2018	#	<u>24.08.2018</u> 2018 का 29



7.	विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2018	07.08.2018 लो.स.	07.08.2018	#	<u>24.08.2018</u> 2018 का 30
8.	केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018	07.08.2018 लो.स.	09.08.2018	#	<u>29.08.2018</u> 2018 का 31
9.	एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018	07.08.2018 लो.स.	09.08.2018	#	<u>29.08.2018</u> 2018 का 32
10.	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018	07.08.2018 लो.स.	09.08.2018	#	<u>29.08.2018</u> 2018 का 33
11.	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2018	07.08.2018 लो.स.	09.08.2018	#	<u>29.08.2018</u> 2018 का 34
<b>गृह मंत्रालय</b>					
12.	दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018	23.07.2018 लो.स.	30.07.2018	06.08.2018	<u>11.08.2018</u> 2018 का 22
<b>विधि और न्याय मंत्रालय</b>					
13.	विनिर्दिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2018	22.12.2017 लो.स.	15.03.2018	23.07.2018	<u>01.08.2018</u> 2018 का 18
14.	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018	23.07.2018 लो.स.	01.08.2018	10.08.2018	<u>20.08.2018</u> 2018 का 28
<b>कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय</b>					
15.	भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018	19.08.2013 रा.स.	24.07.2018	19.07.2018	<u>26.07.2018</u> 2018 का 16
<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>					
16.	संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2018	05.04.2017 लो.स.	02.08.2018	06.08.2018	संविधान (102वां संशोधन) विधेयक, 2018 <u>11.08.2018</u>
17.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2018	05.04.2017 लो.स.	10.04.2017 *09.08.2018	06.08.2018	<u>14.08.2018</u> 2018 का 24
18.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018	03.08.2018 लो.स.	06.08.2018	09.08.2018	<u>17.08.2018</u> 2018 का 27
<b>शहरी विकास मंत्रालय</b>					
19.	स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2018	18.07.2017 लो.स.	07.08.2018	18.07.2018	<u>09.08.2018</u> 2018 का 21
<b>युवा कार्य और खेल मंत्रालय</b>					
20.	राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2018	23.07.2018 लो.स.	03.08.2018	09.08.2018	<u>17.08.2018</u> 2018 का 25

सोलहवीं लोक सभा का 16वां सत्र और राज्य सभा का 245वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
1.	विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 2018	31.12.2018 लो.स.	31.12.2018	#	16.01.2019 2019 का 3
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
2.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019	11.08.2017 लो.स.	18.07.2018 *07.01.2019	04.01.2019	10.01.2019 2019 का 1
3.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019	18.12.2017 लो.स.	23.07.2018 *07.01.2019	04.01.2019	10.01.2019 2019 का 2
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय					
4.	संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019	08.01.2019 लो.स.	08.01.2019	09.01.2019	संविधान (103वां संशोधन) विधेयक, 2019 12.01.2019
5.	स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018	18.07.2018 लो.स.	20.12.2018	12.12.2018	19.12.2018 2018 का 35
सोलहवीं लोक सभा का 17वां सत्र और राज्य सभा का 246वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
1.	वित्त विधेयक, 2019	01.02.2019 लो.स.	12.02.2019	13.02.2019	21.02.2019 2019 का 7
2.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019	11.02.2019 लो.स.	11.02.2019	13.02.2019	15.02.2019 2019 का 5
3.	विनियोग विधेयक, 2019	11.02.2019 लो.स.	11.02.2019	13.02.2019	15.02.2019 2019 का 4
विधि और न्याय मंत्रालय					
4.	वैयक्तिक विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019		07.01.2019 *13.02.2019	13.02.2019	21.02.2019 2019 का 6

# लोक सभा द्वारा यथा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए यथा अग्रेषित विधेयक को राज्य सभा में इसकी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया गया। विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (5) के अंतर्गत उसी रूप में दोनों सदनों से पारित किया हुआ मान लिया गया जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

\* संशोधनों से सहमत होना।

16वीं लोक सभा के 17वें सत्र और राज्य सभा के 248वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

लोक सभा

- I. संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक
  1. भूमि, अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015
- II. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक
  2. उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016
  3. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016
  4. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017
  5. दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017
  6. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2018
  7. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018
  8. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018
  9. बांध सुरक्षा विधेयक, 2018
  10. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018
  11. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2018
  12. व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 2019
  13. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
- III. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
  14. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014
  15. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014
  16. लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014
  17. वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016
  18. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2019
  19. अंतरराज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017
  20. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2017
  21. चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018
  22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018
  23. मजदूरी संदाय, 2017
- IV. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
  24. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2019

राज्य सभा

- I. संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक
  1. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987
- II. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक
  2. सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015
  3. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015
  4. कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016
  5. केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017
  6. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017
  7. व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
  8. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018
  9. माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018
  10. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018
  11. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2018
  12. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018
  13. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018
  14. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018
  15. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019
  16. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019
  17. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019
  18. डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन (प्रयोग और लागू होना) विधेयक, 2019
  19. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018
  20. लियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018
- III. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक
  21. सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति विधेयक, 2018
  22. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक, 2019
  23. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019
  24. संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019
  25. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
  26. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
  27. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2019
  28. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019

- IV.** स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक
29. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
  30. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
  31. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
  32. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019
  33. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019
- V.** लोक सभा द्वारा यथा पारित और प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक
34. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017
  35. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017
- VI.** विधेयक जिस पर संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और लोक सभा द्वारा पारित किया गया
36. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
- VII.** विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
37. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
  38. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
  39. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
  40. बीज विधेयक, 2004
  41. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मसी विधेयक, 2005
  42. निजी जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
  43. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2008
  44. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
  45. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
  46. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
  47. राष्ट्रीय मानव संसाधन स्वास्थ्य आयोग विधेयक, 2011
  48. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिशोध) संशोधन विधेयक, 2012
  49. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
  50. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
  51. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
  52. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013
  53. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
  54. रजिस्ट्री करण (संशोधन) विधेयक, 2013
  55. वक्फ संपत्ति (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014

परिषिष्ट - 4-क  
(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 06.01.2018 से 13.02.2019 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण

केंद्रीय बजट							
क्र. सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतीकरण	01.02.2018	01	47	01.02.2018	-	-
2.	वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	07.02.2018 08.02.2018	12	13	08.02.2018 09.02.2018	9	35
3.	निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों के संबंध में वर्ष 2018-19 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ:  (1) कृषि और किसान कल्याण (2) परमाणु ऊर्जा (3) आयुष (4) रसायन और उर्वरक (5) नागर विमानन (6) कोयला (7) वाणिज्य और उद्योग (8) संचार (9) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (10) कारपोरेट कार्य (11) संस्कृति (12) रक्षा (13) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास (14) पेयजल और स्वच्छता (15) पृथ्वी-विज्ञान (16) इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी (17) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (18) विदेश (19) वित्त (20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (21) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (22) भारी उद्योग और लोक उद्यम (23) गृह (24) आवास और शहरी गरीबी उपशमन (25) मानव संसाधन विकास (26) सूचना और प्रसारण (27) श्रम और रोजगार (28) विधि और न्याय (29) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (30) खान (31) अल्पसंख्यक कार्य (32) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (33) पंचायती राज (34) संसदीय कार्य (35) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (36) योजना (37) विद्युत (38) लोक सभा (39) राज्य सभा (40) उप राष्ट्रपति सचिवालय (41) रेल (42) सड़क परिवहन और राजमार्ग (43) ग्रामीण विकास (44) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (45) पोत परिवहन (46) कौशल विकास और उद्यमिता (47) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (48) अंतरिक्ष विभाग (49) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (50) इस्पात (51) वस्त्र (52) पर्यटन (53) जनजातीय कार्य (54) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण (55) महिला और बाल विकास (56) युवा कार्य और खेल	14.03.2018	-	06	#	#	#
4.	वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें (चौथा भाग)	14.03.2018	-	-	#	#	#
5.	(i) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें (सामान्य)-2018-19 (पहला भाग) (ii) अनुदान मांगें (सामान्य)-2015-16 लोक सभा में मद (i) और (ii) पर एक साथ चर्चा की गई	31.07.2018 07.08.2018  31.07.2018 07.08.2018	04	46	#	#	#
6.	वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें	20.12.2018 31.12.2018	02	36			

टिप्पणी: # राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

अंतरिम बजट-2019							
क्र. सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट का प्रस्तुतीकरण	01.02.2019	01	43	01.02.2019	—	—
2.	वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा	08.02.2019 11.02.2019	07	32	—	—	—
3.	अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें (सामान्य)-2018-19 (दूसरा भाग)	05.02.2019	00	01	#	#	#
4.	(i) वर्ष 2019-2020 के लिए लेखानुदान मांगें (ii) अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें (सामान्य)-2018-19 (तीसरा भाग) लोक सभा में मद (2) और (4) पर एक साथ चर्चा की गई	08.02.2019 11.02.2019	07	32	#	#	#

टिप्पणी: # राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	07.11.90	अस्वीकृत हां – 151 नहीं – 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां – 280 नहीं – 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां – 240 नहीं – 109 अनुपस्थित – 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.05.96 28.05.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51



क्र. सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.06.96 12.06.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.04.97	अस्वीकृत हां – 190 नहीं – 338 अनुपस्थित – 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.04.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.03.1998 28.03.1998	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां – 269 नहीं – 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.07.2008 22.07.2008	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 256	15	11

06.01.2018 से 09.01.2019 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुनःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

- (1) श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 371ट का अंतःस्थानपन)
- (2) श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 84 का संशोधन आदि)
- (3) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक', संसद सदस्य द्वारा लू और शीत लहर के कारण होने वाली मौतों का निवारण विधेयक, 2018
- (4) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक', संसद सदस्य द्वारा महिला कल्याण विधेयक, 2018
- (5) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक', संसद सदस्य द्वारा स्ववित्तपोषित व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2018
- (6) डा. रमेश पोखरियाल 'निशंक', संसद सदस्य द्वारा मालों और सेवाओं के लिए बीजकों का अनिवार्य प्रस्तुतीकरण विधेयक, 2018
- (7) श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन (सतत् विकास और संवर्धन) विधेयक, 2018
- (8) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा डाटा एकांतता और संरक्षण विधेयक, 2017
- (9) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा मृत्यु दंड (उत्सादन) विधेयक, 2017
- (10) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (धार 345घ का संशोधन, आदि)
- (11) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 4 का संशोधन, आदि)
- (12) श्रीमती कविता कलवकुंतला, संसद सदस्य द्वारा पुरातात्विक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण विधेयक, 2017
- (13) श्रीमती कविता कलवकुंतला, संसद सदस्य द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन)
- (14) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव, संसद सदस्य द्वारा आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय के लिए पदों और सेवाओं में आरक्षण विधेयक, 2018
- (15) श्री अजय मिश्रा 'टेनी', संसद सदस्य द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय (राज्य भाषाओं का प्रयोग आदि अन्य उपबंध) विधेयक, 2018

- (16) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव, संसद सदस्य द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 8क का अंतःस्थापन, आदि)
- (17) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव, संसद सदस्य द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (18) श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुसूची का संशोधन)
- (19) श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 18क का अंतःस्थापन)
- (20) श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 21 का संशोधन)
- (21) श्रीमती पूनम महाजन, संसद सदस्य द्वारा यौन अपराध से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 38क का अंतःस्थापन)
- (22) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा कौशल (प्रशिक्षण और शिक्षा) विधेयक, 2018
- (23) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा मासिक-धर्म स्वच्छता प्रबंधन (जागरूकता और किफायती स्वच्छता पैड वितरण) विधेयक, 2018
- (24) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (सशक्तीकरण और कल्याण) विधेयक, 2018
- (25) श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा का अनिवार्य प्रशिक्षण विधेयक, 2018
- (26) श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 22 का संशोधन)
- (27) श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य द्वारा प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
- (28) श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में चिकित्सा केंद्रों की अनिवार्य स्थापना विधेयक, 2018
- (29) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा झारखंड और अन्य राज्यों में जनजातीय बालक और स्तनपान कराने वाली महिलाएं (भूख, कुपोषण मिटाना और भुखमरी का निवारण) विधेयक, 2017
- (30) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा मान और परंपरा के नाम पर अपराधों का निवारण तथा वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2017
- (31) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
- (32) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

- (33) श्री रवींद्र कुमार जेना, संसद सदस्य द्वारा भारतीय प्रवासी और शिक्षा अवसंरचना (प्रतिभा-पलायन उपकर) विधेयक, 2017
- (34) श्री रवींद्र कुमार जेना, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन आदि)
- (35) श्री रवींद्र कुमार जेना, संसद सदस्य द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय (बालासोर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2017
- (36) श्री रवींद्र कुमार जेना, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 123 का संशोधन, आदि)
- (37) श्री राजेश रंजन, संसद सदस्य द्वारा उपभोक्ता वस्तु मूल्य निर्धारण बोर्ड विधेयक, 2018
- (38) श्री राजेश रंजन, संसद सदस्य द्वारा जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2017
- (39) श्री राजेश रंजन, संसद सदस्य द्वारा अंतर्राज्जीय नदी जल प्राधिकरण विधेयक, 2017
- (40) श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)
- (41) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य द्वारा मिथ्या फोन कॉल हेतु दूरसंचार प्रणाली के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2017
- (42) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य द्वारा निजी स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र (फीस का विनियमन) विधेयक, 2017
- (43) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय (सूरत में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2018
- (44) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य द्वारा अनैतिक व्यापार (निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (45) श्री राजीव सातव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 324 का संशोधन)
- (46) श्री राजीव सातव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 148 का संशोधन)
- (47) श्री राजीव सातव, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय किसान कल्याण आयोग विधेयक, 2018
- (48) श्री राजीव सातव, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय कृषि उत्पाद मूल्य नियतन अधिकरण विधेयक, 2018
- (49) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय भौतिक चिकित्सा परिषद विधेयक, 2017
- (50) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

- (51) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2017 (नए अध्याय 4घ का अंतःस्थापन)
- (52) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा तपेदिक (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017
- (53) श्री चंद्रकांत खैरे, संसद सदस्य द्वारा सूखा प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2018
- (54) श्री चंद्रकांत खैरे, संसद सदस्य द्वारा विधि-विरुद्ध कृत्य (निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 (नई धाराओं 23क से 23ग का अंतरूस्थापन)
- (55) श्री चंद्रकांत खैरे, संसद सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2018 (नई धारा 15क का अंतःस्थापन)
- (56) डा. धर्मवीर गांधी, संसद सदस्य द्वारा थैलिसीमिया निवारण विधेयक, 2018
- (57) श्री गोपाल चिनैय्या शेटी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 124 का अंतःस्थापन)
- (58) श्री गोपाल चिनैय्या शेटी, संसद सदस्य द्वारा विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 4 का संशोधन)
- (59) श्री धनंजय महाडीक, संसद सदस्य द्वारा निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथ बालकों के लिए आवास सुविधा विधेयक, 2018
- (60) श्री धनंजय महाडीक, संसद सदस्य द्वारा ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण विधेयक, 2018
- (61) श्री आर. ध्रुवनारायण, संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य कैरियर मार्गदर्शन विधेयक, 2017
- (62) डा. बूरा नरसैय्या गौड, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय गरीबी उपशमन निधि विधेयक, 2018
- (63) डा. बूरा नरसैय्या गौड, संसद सदस्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर किसान के लिए पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण विधेयक, 2018
- (64) डा. बूरा नरसैय्या गौड, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 29कक का अंतःस्थापन)
- (65) श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
- (66) श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 324क का अंतःस्थापन)
- (67) श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
- (68) श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुसूची का संशोधन)

- (69) एडवोकेट जोएस जार्ज, संसद सदस्य द्वारा पीड़क वन्य जीव और उनके फसल में प्रवेश से क्षति के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2017
- (70) एडवोकेट जोएस जार्ज, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 5 का संशोधन, आदि)
- (71) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा नदी (संरक्षण और प्रदूषण को दूर करना) विधेयक, 2018
- (72) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
- (73) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा सौर ऊर्जा संवर्धन विधेयक, 2018
- (74) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा ग्रामीण श्रमिक कल्याण विधेयक, 2018
- (75) श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
- (76) श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 451 का संशोधन)
- (77) श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा फ्लोराइड संदूषण (निवारण) विधेयक, 2017
- (78) डा. ए. संपत, संसद सदस्य द्वारा बांस, बेंत, खपची चीड़ और चटाई बुनकर और कामगार (कल्याण) विधेयक, 2017
- (79) श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (80) डा. ए. संपत, संसद सदस्य द्वारा वर्षाजल (संचयन और भंडारण) विधेयक, 2017
- (81) श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आयोग विधेयक, 2017
- (82) श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 19 का संशोधन)
- (83) श्री ओम बिरला, संसद सदस्य द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 134 का संशोधन)
- (84) श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 75ख का अंतःस्थापन)
- (85) श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य द्वारा प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (86) श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार विधेयक, 2017
- (87) श्री निनोंग इरिंग, संसद सदस्य द्वारा ऋतुस्राव प्रसुविधा विधेयक, 2017

- (88) श्री दुष्यंत चौटाला, संसद सदस्य द्वारा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018 (धारा 5 का संशोधन, आदि)
- (89) श्री दुष्यंत चौटाला, संसद सदस्य द्वारा सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक, 2018 (धारा 4 और 18 का संशोधन)
- (90) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय तक केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार विधेयक, 2018
- (91) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा पादप संरक्षण विधेयक, 2018
- (92) श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 2018
- (93) श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा महिला कृषक हकदारी विधेयक, 2018
- (94) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 15 का संशोधन, आदि)
- (95) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (96) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 141 का संशोधन)
- (97) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा श्रम (कल्याण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
- (98) कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन और संरक्षण विधेयक, 2018
- (99) कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष अवसंरचना और विकास विधेयक, 2018
- (100) कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा पान उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2018
- (101) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा प्राचीन संस्मारक परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 20घ और 20ड़ का अंतःस्थापन)
- (102) श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन आदि)
- (103) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2018
- (104) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2018
- (105) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा कामकाजी महिला (मूलभूत सुविधाएं एवं कल्याण) विधेयक, 2018
- (106) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा महिलाओं के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2018
- (107) श्री रोडमल नागर, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय कृषि और किसान आयोग विधेयक, 2018

- (108) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा संबंध—विच्छेदित महिला कल्याण विधेयक, 2018
- (109) श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य द्वारा अत्याचार निवारण विधेयक, 2018
- (110) श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य द्वारा जबरन लापता किए जाने का निवारण विधेयक, 2018
- (111) श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य द्वारा षैक्षणिक नवोन्मेश आयोग विधेयक, 2018
- (112) श्री रमेश बिधुड़ी, संसद सदस्य द्वारा आतंकवाद के पीड़ित (प्रतिकर का उपबंध और कतिपय कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2018
- (113) श्री रमेश बिधुड़ी, संसद सदस्य द्वारा बाल श्रम उत्सादन विधेयक, 2018
- (114) श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य कार्ड का उपबंध (गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2018
- (115) श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों पेयजल और चारा पूर्ति, विधेयक, 2018
- (116) श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा महासागर तापीय ऊर्जा संपरिवर्तन विधेयक, 2018
- (117) श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (पहली अनुसूची का संशोधन)
- (118) श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 75 का संशोधन, आदि)
- (119) श्री राजेंद्र अग्रवाल, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में पर्यावरणीय शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018
- (120) श्री जुगल किशोर शर्मा, संसद सदस्य द्वारा बालक कल्याण विधेयक, 2018
- (121) श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (122) श्री राजू शेटी, संसद सदस्य द्वारा कृषकों की ऋणग्रस्तता से मुक्ति विधेयक, 2018
- (123) श्री राजू शेटी, संसद सदस्य द्वारा किसानों को कृषि वस्तुओं के लिए गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्यों का अधिकार विधेयक, 2018
- (124) श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या (स्थिरीकरण और योजना) विधेयक, 2018
- (125) श्री तेज प्रताप सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
- (126) श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अध्याय 5क का अंतःस्थापन)



- (127) प्रो. रिजर्ड हे, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय वृत्तिक सामाजिक कार्य व्यवसायी परिषद विधेयक, 2018
- (128) डा. बूरा नरसैय्या गौड, संसद सदस्य द्वारा निजी विद्यालय (फीस का विनियमन) विधेयक, 2018
- (129) डा. काकोली घोष दस्तीदार, संसद सदस्य द्वारा अम्ल हमलों का निवारण और अम्ल हमला पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2018
- (130) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
- (131) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा वैदिक शिक्षा (शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2018
- (132) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा गौ संरक्षण विधेयक, 2018
- (133) श्री निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों का अनिवार्य संरक्षण विधेयक, 2018
- (134) डा. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 41 का संशोधन)
- (135) डा. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 358 का संशोधन)
- (136) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा संपर्क—विच्छेद का अधिकार विधेयक, 2018
- (137) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा क्षयरोग (निवारण और उन्मूलन) विधेयक, 2018
- (138) श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा लैंगिक संवेदीकरण (प्रशिक्षण एवं शिक्षा) विधेयक, 2018
- (139) श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (140) श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 66क का लोप)
- (141) श्री जगदंबिका पाल, संसद सदस्य द्वारा सशस्त्र बल कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 45 का लोप आदि)
- (142) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 46क का अंतःस्थापन)
- (143) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा साहित्य स्वतंत्रता विधेयक, 2018
- (144) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा खेलकूद (ऑनलाईन गेमिंग तथा कपट निवारण) विधेयक, 2018

- (145) डा. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा महिला लैंगिक, प्रजनन और ऋतुस्राव अधिकार विधेयक, 2018
- (146) श्री गोपाल चिनैय्या शेटी, संसद सदस्य द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय (राजभाषाओं का प्रयोग) विधेयक, 2018
- (147) श्री गोपाल चिनैय्या शेटी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)
- (148) एडवोकेट जोएस जार्ज, संसद सदस्य द्वारा अनानास बोर्ड विधेयक, 2018
- (149) एडवोकेट जोएस जार्ज, संसद सदस्य द्वारा कटहल बोर्ड विधेयक, 2018
- (150) एडवोकेट जोएस जार्ज, संसद सदस्य द्वारा कृषक (गारंटीकृत आय एवं कल्याण) विधेयक, 2018
- (151) एडवोकेट जोएस जार्ज, संसद सदस्य द्वारा मिर्च का उत्पादक (कल्याण) विधेयक, 2018
- (152) डा. धर्म वीर गांधी, संसद सदस्य द्वारा औद्योगिक नियोजन और पर्यावरणीय संरक्षण विधेयक, 2018
- (153) डा. धर्म वीर गांधी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 171 का संशोधन, आदि)
- (154) श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य द्वारा भिक्षावृत्ति उत्सादन और भिखारियों का पुनर्वास विधेयक, 2018
- (155) श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य द्वारा महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2018
- (156) श्री शिवाजी आधलराव पाटील, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विधेयक, 2018
- (157) श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 207क का अंतःस्थापन)
- (158) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2018
- (159) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
- (160) श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, संसद सदस्य द्वारा आशा कार्यकर्ता (सेवा और अन्य प्रसुविधाओं का नियमितिकरण) विधेयक, 2018
- (161) श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 142 का संशोधन)
- (162) श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 35क और 35ख का प्रतिस्थापन)

- (163) श्री रबींद्र कुमार जेना, संसद सदस्य द्वारा रोजगार अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2018
- (164) श्री रबींद्र कुमार जेना, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 160 का संशोधन अंतःस्थापन)
- (165) श्री रबींद्र कुमार जेना, संसद सदस्य द्वारा स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2018 (नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन)
- (166) श्री रबींद्र कुमार जेना, संसद सदस्य द्वारा औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 7 का संशोधन आदि)
- (167) डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2018 (धारा 7 का संशोधन, आदि)
- (168) डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
- (169) डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा भारतीय सुखाचार (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 7 का संशोधन, आदि)
- (170) डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा खेलकूद का अधिकार विधेयक, 2018
- (171) श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्र का गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
- (172) श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में भारत की ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018
- (173) श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2018
- (174) श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा आधिकारिक सरकारी बैठक और समारोह (मांसाहारी भोजन परोसने का प्रतिषेध) विधेयक, 2018
- (175) श्री चंद्रकांत खैरे, संसद सदस्य द्वारा छावनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन)
- (176) श्री चंद्रकांत खैरे, संसद सदस्य द्वारा भारत में एकसमान नागरिक संहिता विधेयक, 2018
- (177) श्री चंद्रकांत खैरे, संसद सदस्य द्वारा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर संभाजी नगर करना विधेयक, 2018
- (178) श्री गजानन कीर्तिकर, संसद सदस्य द्वारा व्यथित विधवाएं और एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण विधेयक, 2017)
- (179) श्री गजानन कीर्तिकर, संसद सदस्य द्वारा गुमशुदा बालक/बालिका (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2017
- (180) श्री गजानन कीर्तिकर, संसद सदस्य द्वारा गौ-वध पर पाबंदी विधेयक, 2017

- (181) श्री गजानन कीर्तिकर, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण विधेयक, 2017
- (182) श्री राजीव सातव, संसद सदस्य द्वारा सरल भाषा में विधि का प्रारूपण विधेयक, 2018
- (183) श्री राजीव सातव, संसद सदस्य द्वारा महिला (विकास और कल्याण) प्राधिकरण विधेयक, 2018
- (184) श्री राजीव सातव, संसद सदस्य द्वारा कृषि कर्मकार कल्याण कोष विधेयक, 2018
- (185) श्री राजीव सातव, संसद सदस्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2018
- (186) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
- (187) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुसूचियों का संशोधन)
- (188) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा चिकित्सकों, चिकितसा वृत्तिकों और चिकित्सा संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा निवारण विधेयक, 2018
- (189) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा महिला (सशक्तिकरण और कल्याण) विधेयक, 2018
- (190) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा शहरी क्षेत्र (साम्यपूर्ण विकास और विनियमन) विधेयक, 2018
- (191) श्री निहाल चंद चौहान, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति आयोग विधेयक, 2018
- (192) श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य द्वारा जल (सुगमता और संरक्षण) विधेयक, 2018
- (193) श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2018
- (194) श्री भानू प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) विधेयक, 2018 (धारा 56 का संशोधन, आदि)
- (195) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 135 का संशोधन)
- (196) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा न्यायालय अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 का संशोधन)
- (197) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय (महोबा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2018
- (198) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
- (199) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में भारतीय आध्यात्मिक और मानव सेवा दर्शन शास्त्र की शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2018

- (200) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 309 का संशोधन)
- (201) श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य द्वारा युवाओं में आत्महत्या निवारण विधेयक, 2018
- (202) श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य द्वारा एकल-उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2018
- (203) श्री अनुराग सिंह ठाकुर, संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या (स्थिरीकरण और नियोजना) विधेयक, 2018
- (204) डा. प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2018 (नई धारा 28क का अंतःस्थापन)
- (205) श्री निहाल चंद चौहान, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद विकास आयोग का अधिकार विधेयक, 2018
- (206) डा. प्रभाश कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 (नई धारा 24क का अंतःस्थापन, आदि)
- (207) डा. संजीव बालयान, संसद सदस्य द्वारा जिम्मेदार अभिभावक विधेयक, 2018
- (208) श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर पाबंदी विधेयक, 2018
- (209) श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा आभ्यासिक अपराधी विधियों को शून्य घोषित करना विधेयक, 2018
- (210) श्रीमती मीनाक्षी लेखी, संसद सदस्य द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग (विनियमन) विधेयक, 2018
- (211) श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 31 का अंतःस्थापन)
- (212) श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 275क का अंतःस्थापन)
- (213) श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य द्वारा अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2018
- (214) श्री ओम प्रकाश यादव, संसद सदस्य द्वारा अनिवासी भारतीय (मतदान अधिकार और कल्याण) विधेयक, 2018
- (215) श्री निहाल चंद चौहान, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय कुपोषण नीति आयोग विधेयक, 2018
- (216) श्री ए.पी. जितेंद्र रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा मानवाधिकार रक्षकों का संरक्षण विधेयक, 2018
- (217) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2018
- (218) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 16 और नौवीं अनुसूची का संशोधन)

- (219) श्री निषिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
- (220) श्री निषिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 121क और 211क का अंतःस्थापन)
- (221) डा. ए. संपत, संसद सदस्य द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 88का संशोधन, आदि)
- (222) श्री दुष्यंत चौटाला, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)
- (223) श्री तेज प्रताप सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा मिथ्या समाचार (प्रतिषेध) विधेयक, 2019
- (224) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
- (225) श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य द्वारा धरोहर शहर और स्थल (संरक्षण और विकास) विधेयक, 2018
- (226) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 5 का संशोधन, आदि)
- (227) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 497 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)
- (228) श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय आव्रजन सुधार आयोग विधेयक, 2018
- (229) श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा धार्मिक सौहार्द को बनाए रखना विधेयक, 2018
- (230) श्री निषिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण (भूमि भराव क्षेत्रों का प्रबंधन और गैर-जैवअवक्रमणीय कूड़े का नियंत्रण) विधेयक, 2018
- (231) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2018
- (232) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2018
- (233) डा. उदित राज, संसद सदस्य द्वारा काम का अधिकार विधेयक, 2018
- (234) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा सदोष दोषसिद्धों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक, 2018
- (235) श्री निषिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नए अनुच्छेद 85क का अंतःस्थापन)
- (236) डा. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 और 3 का संशोधन)

- (237) डा. प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति आरक्षण प्रसुविधा साम्यपूर्ण वितरण आयोग विधेयक, 2019
- (238) डा. प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय (बारगढ़ में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2019
- (239) श्री गोपाल चिनैय्या शेटी, संसद सदस्य द्वारा रिक्शा चालक और सड़क किनारे बैठने वाले मैकेनिक (आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता) विधेयक, 2019
- (240) श्री गोपाल चिनैय्या शेटी, संसद सदस्य द्वारा फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों और यौन कर्मियों के बालक (दुरुपयोग का निवारण और कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2019
- (241) श्री आर. ध्रुवनारायण, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय महिला कृषक आयोग विधेयक, 2019
- (242) डा. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन आदि)
- (243) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय लघु राज्य निर्माण बोर्ड विधेयक, 2019
- (244) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 11 का संशोधन)
- (245) श्री कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य द्वारा सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 19 का संशोधन)

राज्य सभा

- (1) श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य द्वारा अपराधों के साक्षियों और पीड़ितों का अनिवार्य संरक्षण विधेयक, 2017
- (2) श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य द्वारा धरोहर शहर और स्थल (संरक्षण और विकास) विधेयक, 2017
- (3) श्री राजकुमार धूत, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण (भूमि भराव क्षेत्रों का प्रबंधन और गैर-जैवअवक्रमणीय कूड़े का नियंत्रण) विधेयक, 2017
- (4) श्री वी. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 330क, 332क का अंतःस्थापन, आदि)
- (5) श्री वी. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
- (6) श्री रिपुन बोरा, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
- (7) श्री रिपुन बोरा, संसद सदस्य द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018

- (8) श्री संभाजीराव छत्रपती, संसद सदस्य द्वारा प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2018
- (9) डा. के.वी.पी. रामचंद्र राव, संसद सदस्य द्वारा न्यायालय की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2018
- (10) श्री हुसैन दलवाई, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018
- (11) श्री हुसैन दलवाई, संसद सदस्य द्वारा लैंगिक आधार पर वेतन में अंतर निरोधक विधेयक, 2018
- (12) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय जनजाति शिक्षा बोर्ड विधेयक, 2018
- (13) श्री के.के. रागेश, संसद सदस्य द्वारा कृषि वस्तुओं के लिए प्रत्याभूत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का कृषिकों का अधिकार विधेयक, 2018
- (14) श्री नारायण लाल पंचारिया, संसद सदस्य द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य देख-रेख कवरेज विधेयक, 2018
- (15) श्री नारायण लाल पंचारिया, संसद सदस्य द्वारा अवैध आप्रवासी (पहचान और विवासन) विधेयक, 2018
- (16) श्री नारायण लाल पंचारिया, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2018
- (17) श्री संजय सिंह, संसद सदस्य द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2018
- (18) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 19 का संशोधन)
- (19) श्री वि. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018
- (20) श्री अमर शंकर साबले, संसद सदस्य द्वारा कृषि और अन्य ग्रामीण कर्मकार (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2018
- (21) श्री अमर शंकर साबले, संसद सदस्य द्वारा दलित, पिछड़े और दमित युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2018



विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिषा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिषा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगठन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30 होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रुचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में

नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।

- 3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।
  - 3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।
  - 3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
  - 3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।
  - 3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।
  - 3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।
  - 3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।
4. कार्य और सीमाएं
    - 4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
    - 4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

## 5. बैठकें

### बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंतःसत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

### दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में अंतःसत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

### बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

### अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

### बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंतःसत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंतःसत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

### गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

## 6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा

सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनों) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंतःसत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

## 7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यतः उस सिफारिश को मान लेगी अर्थातः—

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश,

(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश, और

(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

## 8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्तः सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

## 9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिषा –निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

परामर्शदात्री समिति पर नामांकन

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:—

1. ....
2. ....
3. ....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

दूरभाष तथा फ़ैक्स नं.

(क) दिल्ली का पता:

(ख) स्थायी पता:

सेवा में

निदेशक,  
संसदीय कार्य मंत्रालय,  
नई दिल्ली।

16वीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्षदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	परामर्षदात्री समिति का नाम
1	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3	नागर विमानन मंत्रालय
4	कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय
5	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6	संचार मंत्रालय
7	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
8	रक्षा मंत्रालय
9	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
10	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
11	विदेश मंत्रालय
12	वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
13	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15	गृह मंत्रालय
16	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
17	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
18	श्रम और रोजगार मंत्रालय
19	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
20	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
21	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

22	रेल मंत्रालय
23	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय
24	ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
25	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
26	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
27	इस्पात मंत्रालय
28	वस्त्र मंत्रालय
29	पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय
30	जनजातीय कार्य मंत्रालय
31	शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
32	जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
33	महिला और बाल विकास मंत्रालय
34	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

दिनांक 1.1.2018 से 31.3.2019 की अवधि के दौरान आयोजित परामर्षदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	06
बैठकों की तारीखें	22.03.2018, 02.07.2018 (रामेश्वरम, तमिलनाडु), 02.08.2018, 01.11.2018, 20.12.2018, 06.02.2019
चर्चा किए गए विषय	ज्वार-बाजरा, "समुद्री मत्स्य पालन – भारत में जलकृषि, आजीविका सुरक्षा और आय में बढ़ोतरी के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली, जलवायु प्रत्यास्थी गांव और उनकी प्रतिकृति, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि-उद्यमिता और स्टार्ट-अप्स, डेयरी सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	28.11.2018
चर्चा किए गए विषय	पीएमबीजेपी – सबके लिए सस्ती दवाएं।
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	02.01.2018, 07.01.2019
चर्चा किए गए विषय	नागर विमानन में कार्गो विकास की भूमिका और संभावना तथा नागर विमानन में कौशल विकास की आवश्यकता। मुक्त आकाश नीति प्रदर्शन और समीक्षा।
कोयला मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	20.03.2018, 05.07.2018 (नेवेली, तमिलनाडु), 07.08.2018, 02.11.2018
चर्चा किए गए विषय	कोयला धुलाई, भारत में लिग्नाइट खनन संबंधी मामले, कोयला निकासी अवसंरचना, कोयला रिसाव।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.04.2018, 09.08.2018, 08.01.2019



चर्चा किए गए विषय	नई औद्योगिक नीति, कृषि निर्यात नीति, डी.एम.आई.सी. में संरचनागत विकास।
<b>संचार मंत्रालय</b>	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	30.05.2018, 26.10.2018
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय डिजिटल सूचना नीति-2018, डाक जीवन बीमा – निम्न प्रीमियम उच्च बोनस।
<b>उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय</b>	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.04.2018, 03.01.2019, 28.01.2019 (बेंगलूरु)
चर्चा किए गए विषय	"बी.आई.एस. की समीक्षा", राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर की समीक्षा, (प) भारतीय खाद्य निगम के कार्यचालन की समीक्षा और (पप) बी.आई.एस. के कार्यचालन की समीक्षा।
<b>रक्षा मंत्रालय</b>	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	26.07.2018, 17.11.2018 (मुंबई)
चर्चा किए गए विषय	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारतीय तटरक्षक बल
<b>उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय</b>	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	04.01.2018, 14.06.2018
चर्चा किए गए विषय	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 10: सकल बजट सहायता, (i) उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (एनईएचआईएचडीसी) से संबंधित मामले (ii) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही आजीविका योजनाय और (iii) उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं।
<b>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय</b>	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	15.03.2018, 09.08.2018, 27.09.2018, 07.02.2019
चर्चा किए गए विषय	भारत में वन क्षेत्र और वन, रिपोर्ट की स्थिति, जैव विविधता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन – ग्लोबल वॉर्मिंग।

विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	22.03.2018, 09.08.2018, 27.12.2018, 1202.2019
चर्चा किए गए विषय	वर्तमान सरकार के दौरान अरब देशों के साथ भारत के संबंध, कंसुलर सेवाओं के संबंध में विदेश मंत्रालय की नई पहल, अमरीका तक पहुंच के लिए विदेश मंत्रालय की पहल, मसौदा उत्प्रवास पर चर्चा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	25.05.2018 (सोनीपत, हरियाणा), 13.09.2018
चर्चा किए गए विषय	एन.आई.एफ.टी.ई.एम. (i) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर की योजना और (ii) पीछे और आगे संपर्क निर्माण की योजना
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	04.04.2018, 08.08.2018, 27.12.2018
चर्चा किए गए विषय	मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम।
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
04.07.2016	06.07.2018 (कोची, केरल)
चर्चा किए गए विषय	आब्रजन, वीजा और विदेशियों का पंजीकरण और ट्रेकिंग (आई.वी.एफ.आर. टी.)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	13.02.2019
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए.) और नई पहल।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	04.01.2018, 13.03.2018, 10.09.2018
चर्चा किए गए विषय	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एफ.एफ.आई.), लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बी.ओ.सी.), भारतीय जन संचार संस्थान (आई.आई.एम.सी.)

श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	05.01.2018, 28.06.2018 (तिरुपति)
चर्चा किए गए विषय	कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस.) –1995, असंगठित कर्मकारों का कल्याण।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	17.07.2018
चर्चा किए गए विषय	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग योजनाएं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	03.01.2018, 11.06.2018 (लखनऊ, उ.प्र.), 08.02.2019
चर्चा किए गए विषय	घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई नीति व्यवस्था की शुरुआत, रणनीतिक तेल भंडार, गैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम।
विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	22.05.2018 , 07.08.2018, 27.08.2018
चर्चा किए गए विषय	एन.टी.पी.सी., पी.एफ.सी. और आर.ई.सी. का कार्यचालन, पवन ऊर्जा
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	26.03.2018, 30.07.2018, 19.12.2018
चर्चा किए गए विषय	रेल प्रचालन में सुरक्षा उपाय, भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेल में स्टेशन विकास।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	1.12.2018, 21.01.2019 (गुजरात)
चर्चा किए गए विषय	(i) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (एन.ए.एल.सी.ओ.) की समीक्षा।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	12.06.2018 (लखनऊ)
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण / राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	23.05.2018, 09.08.2018, 29.10.2018 (कोची), 04.01.2019
चर्चा किए गए विषय	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाएं, सामाजिक रक्षा प्रभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा, राष्ट्रीय प्रवासी योजना (एन.ओ.एस.)।
इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	07.02.2018, 15.05.2018 (माउंट आबू), 24.10.2018, 28.01.2019 (गोवा)
चर्चा किए गए विषय	"वर्ष 2017-18 में इस्पात क्षेत्र में प्रगति और चुनौतियां", "बाजार और उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयात प्रतिस्थापन के लिए विकास रणनीतियां", (i) इस्पात सी.पी.एस.ई.एस. की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा और (ii) आयात प्रतिस्थापन के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित इस्पात की गुणवत्ता को बढ़ावा देना तथा आर.एंड. डी., (i) इस्पात संयंत्रों में सुरक्षा और (ii) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सी.पी.एस.ई. की न्यूनतम गतिविधियाँ।
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.04.2018, 22.06.2018, 27.11.2018
चर्चा किए गए विषय	जूट क्षेत्र, एस.ए.एम.ए.आर.टी.एच., तकनीकी कपड़ा
पर्यटन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	26.04.2018, 10.09.2018 (कोवलम, केरल)
चर्चा किए गए विषय	"जन संपर्क सहित एकीकृत विपणन और प्रचार", पर्यटन और वहनीयता

जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	18.01.2018, 09.10.2018, 03.01.2019
चर्चा किए गए विषय	वन अधिकार अधिनियम, 2006, अनुसूचित जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधी मामले, वन अधिकार अधिनियम।
शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपषमन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	08.06.2018 (सूरत, गुजरात), 29.10.2018, 03.01.2019
चर्चा किए गए विषय	स्मार्ट शहर, शहरी यातायात, स्वच्छ भारत मिशन में प्रगति।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	09.02.2018, 11.07.2018 (मसूरी), 20.11.2018, 08.02.2019
चर्चा किए गए विषय	सहभागी भू-जल प्रबंधन, बांध सुरक्षा और डी.आर.आई.पी. कार्यक्रम, "सतही लघु सिंचाई और मरम्मत, जल निकायों का नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर)," सूक्ष्म सिंचाई।
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	10.08.2018, 18.12.2018
चर्चा किए गए विषय	भारत में चाइल्ड केयर (बाल देख-रेख) संस्थानों के आश्रय गृहों पर चर्चा, वन स्टॉप सेंटर योजना

14 से 28 सितंबर, 2018 के दौरान मंत्रालय में मनाए गए हिंदी पखवाड़े में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता	पुरस्कार
1	हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता	1 श्री राहुल अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2 श्री नवनीत भारती, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3 श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		4 श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
2.	हिंदी टंकण प्रतियोगिता	1 श्री प्रद्योत बेपारी, अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2 श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3 श्री बैजनाथ महतो, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		4 श्री विजय पाल, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
3.	हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1 श्री राहुल अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2 श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		3 श्री उदय कुमार बिहारी, आशुलिपिक	द्वितीय
		4 श्रीमती रेखा भारती, वैयक्तिक सहायक	तृतीय
4.	गैर हिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	1 श्री संजित कुमार दास, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2 श्री पी.के. हलदर, अवर सचिव	द्वितीय
		3 श्री जोगेंद्र नाथ नायक, वैयक्तिक सहायक	तृतीय
		4 श्री ए.एन. बालचंद्रन नायर, सलाहकार/सहायक	तृतीय
5.	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता	1 श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2 डॉ. प्रणव भारद्वाज, कनिष्ठ अनुवादक	द्वितीय
		3 श्री बैजनाथ महतो, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
		4 श्री पंकज कुमार सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		5 श्री विपिन कटारिया, सवार हरकारा	तृतीय

क्र.सं.	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता	पुरस्कार
6.	सामान्य हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता	1 श्री जागवेंद्र निरंजन, सहायक अनुभाग अधिकारी	प्रथम
		2 डा. प्रणव भारद्वाज, कनिष्ठ अनुवादक	द्वितीय
		3 श्री नवनीत भारती, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
		4 डॉ. शीतल कपूर, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
7.	हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिता	1 श्री आनंद कुमार, एम.टी.एस.	प्रथम
		2 श्री रणजीत सिंह, स्टाफ कार चालक	द्वितीय
		3 श्री विपिन कटारिया, सवार हरकारा	द्वितीय
		4 श्री नाजिम हुसैन, एम.टी.एस.	तृतीय

मंत्रालय में मूल टिप्पण और आलेखन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं.	पुरस्कार विजेता	पुरस्कार
1.	श्री परेश गोयल, सलाहकार/सहायक	प्रथम
2.	श्री जय नारायण, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	प्रथम
3.	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
4.	श्री पंकज कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
5.	श्री साधु राम, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	द्वितीय
6.	श्री राहुल अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
7.	श्री विजयपाल, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय

परिषिष्ट – 11  
(देखें पैरा 13.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों,  
परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	खेल विभाग के अधीन स्वायत्त संगठन 'भारतीय खेल प्राधिकरण' का सामान्य निकाय।	श्री अनुराग ठाकुर श्री बृजभूषण शरण सिंह	श्रीमती एम.सी. मेरी कोम	03.01.2019
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद।	चौधरी मेहबूब अली कैसर श्री मुजफ्फर हुसैन बेग	श्री कहकशा परवीन	04.01.2019



विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों (हि.स.स.) पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय / विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री शरद त्रिपाठी श्रीमती दर्शना विक्रम जर्दोश	श्री देवेन्द्र पाल वत्स श्री मदन लाल सैनी	18.01.2019
2.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)	श्री जनक राम श्री अशोक कुमार दोहरे	श्री गोपाल नारायण सिंह श्रीमती रूपा गांगूली	21.02.2018
3.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय		डॉ. सत्य नारायण जटिया श्री राम शकल	29.11.2018
4.	विदेश मंत्रालय	श्रीमती रमा देवी श्री निनोंग इरिंग	श्री प्रभात झा डॉ. वी. मैत्रेयन	14.06.2018

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये 1,00,000/- प्रतिमाह (संसद सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (अ) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 01/04/2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं हो) लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01/04/2018 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 70,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 60,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 20,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे, और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 40,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंप्यूटर प्रशिक्षित होगा। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (अ) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनो को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 निःशुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल निःशुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते हैं। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल निःशुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनो का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनो के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनो के लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
		<p>सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाइल आपरेटर द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल निःशुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाइल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।</p> <p>एक सदस्य प्रति वर्ष वापिस की गई दस हजार कॉल के स्थान पर उपरोक्त तीन टेलीफोन में से किसी एक पर MTNL/BSNL से ब्रॉडबैंड सुविधा प्राप्त करने का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त, एक सदस्य दिल्ली निवास पर इस शर्त के अधीन रहते हुए वाईफाई सेवाओं के साथ हाई स्पीड FTTH का लाभ उठा सकता है कि इस सुविधा के प्रभार के लिए सरकार द्वारा सीधे MTNL को केवल रु. 2,200/- प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा।</p>
5	आवास	<p>निःशुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा।</p> <p>नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है।</p> <p>फर्नीचर की आर्थिक सीमा - रुपये 1,00,000/- (रुपये 80,000/- स्थायी फर्नीचर रुपये 20,000/- गैर-स्थायी फर्नीचर के लिए)। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (अ) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)</p> <p>प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की निःशुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाइल्स लगवाना।</p>
6.	पानी और बिजली	<p>प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति।</p> <p>अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा।</p> <p>यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के निःशुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी।</p> <p>सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।</p>

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 01/04/2010 से रूपये 4,00,000/- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दर के ब्याज पर। इस धनराशि को 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।
9.	पूर्व सांसदों को पेंशन	<p>(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन।</p> <p>(ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है।</p> <p>(पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (अ) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)</p>
10.	संसद सदस्य का उसके कार्यकाल के दौरान निधन होने पर उसकी पत्नी/पति/आश्रित को परिवार पेंशन।	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) अथवा आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
11.	यात्रा भत्ता	<p>रेल: यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। कोई भी शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में वह यात्रा करता है, एक सहयात्री का हकदार होगा।</p> <p>वायुयान: किसी भी एयरलाइन्स में एक वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा।</p> <p>स्टीमर: स्टीमर की उच्चतम श्रेणी के लिए एक भाड़े के समान राशि (बिना भोजन के)</p>

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
		<p>सड़क: (i) रुपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रुपये 120/- (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रुपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।</p>
12.	यात्रा सुविधा	<p>(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एकजीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एकजीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मुख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।</p>

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
13	पूर्व संसद सदस्यों को यात्रा सुविधा	<p>(1) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं।</p> <p>(2) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार।</p> <p>(3) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।</p>
14.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	<p>किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:</p> <p>(क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास।</p> <p>(ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।</p>
15.	पूर्व संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधाएं	<p>केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।</p>
16.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	<p>(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) निःशुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।</p>

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
17.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा कर सकती/सकते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति दी गई कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होंगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय करती/करता है तो रूपये 16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी गई है। जब संसद का सत्र चल रहा हो और यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ा, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।
18.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	<p>किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:-</p> <p>(क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास।</p> <p>(ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।</p>

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र. सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन।
		(ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है।
		(iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती – पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं।
		(ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार।
		(iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए षहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।



5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.04.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) निःशुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।
----	---	--

# **ANNUAL REPORT**

**2018-19**



**MINISTRY OF  
PARLIAMENTARY  
AFFAIRS**





## CONTENTS

CHAPTER	CONTENTS	PAGE(s)
<b>CHAPTER - I</b>	<b>INTRODUCTION AND ORGANISATIONAL SET-UP</b>	1-3
	(a) Introduction	1-2
	(b) Organisational set-up	2
	(c) Organisational Chart	3
<b>CHAPTER - II</b>	<b>SUMMONING AND PROROGATION OF HOUSES OF PARLIAMENT</b>	4-6
	(a) Summoning and Prorogation	4
	(b) Sessions	4-5
	(i) Summoning	4
	(ii) Prorogation	5
	(c) Dates of Poll, Constitution, First Sitting, expiry of the term and Dissolution of Lok Sabha (First to Sixteenth Lok Sabhas)	5-6
<b>CHAPTER - III</b>	<b>PRESIDENT'S ADDRESS AND ORDINANCES</b>	7-13
	(a) President's Address	7
	(b) Provisions regarding Ordinance	8
	(c) Ordinances	8-11
	(d) Ordinances promulgated by the President from 1952 to 31.03.2019	11-13
<b>CHAPTER - IV</b>	<b>GOVERNMENT BUSINESS IN PARLIAMENT AND TIME DISTRIBUTION</b>	14-19
	(a) Government Business	14
	(b) Planning of Government Business	14-15
	(c) Management of Government Business	15
	(d) Resume of Government Business Transacted	16
	(i) Legislative	16
	(ii) Financial	16
	(iii) Budget	16
	(e) Motion of Confidence in the Council of Ministers	17
	(f) Broad distribution of Official Time	17
	(g) Time Lost on Adjournments due to Interruptions etc.	17-18
	(h) Other Non-Official Business	18
	(i) Number of Sitzings	18-19
<b>CHAPTER - V</b>	<b>PRIVATE MEMBERS' BUSINESS</b>	20-25
	(a) Lok Sabha	20-21
	(b) Rajya Sabha	21
	(i) Discussion under Rule 176	21
	(ii) Calling Attention	21
	(iii) Discussion on the working of Ministries	21
	(c) Government's Stand on Private Members' Bills and Resolutions	22
	(d) Private Members' Bills considered by the Houses during the period from 06.01.2018 to 13.02.2019	23

	(e) Private Members' Resolutions considered by the Houses during the period from 06.01.2018 to 13.02.2019	24
	(f) Private Members' Bills passed by Parliament from 1952 to 2019	24-25
	(g) Private Members' Resolutions adopted in Lok Sabha	25
<b>CHAPTER – VI</b>	<b>MONITORING OF ASSURANCES</b>	<b>26-32</b>
	(a) General procedure	26-27
	(b) Lok Sabha	27-29
	(c) Rajya Sabha	29-31
	(d) Action to clear pending Assurances	32
	(e) Report of the Committee on Government Assurances	32
<b>CHAPTER – VII</b>	<b>MATTERS RAISED UNDER RULE 377 IN THE LOK SABHA AND SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 180 A-E IN THE RAJYA SABHA</b>	<b>33-35</b>
	(a) Matters raised under Rule 377 (Lok Sabha)	33
	(b) Special Mentions under Rule 180 A-E (Rajya Sabha)	33
	(c) Follow-up action	33-34
	(d) Action on matters raised after the Question Hour (Zero Hour)	34-35
<b>CHAPTER – VIII</b>	<b>CONSULTATIVE COMMITTEES</b>	<b>36-38</b>
<b>CHAPTER – IX</b>	<b>PARLIAMENTARIANS ON GOODWILL MISSION</b>	<b>39-49</b>
	(a) Visit of Government Sponsored Delegation of MPs to foreign countries	39-48
	(b) Nomination of Members of Parliament on the Government Delegations visiting abroad	48
	(c) Visit of Members of Parliament to foreign countries	49
	(d) Permission under Foreign Contribution (Regulation), Act, 1976	49
	(e) Permission/clearance to State Governments for Foreign Visit	49
<b>CHAPTER – X</b>	<b>YOUTH PARLIAMENT SCHEME</b>	<b>50-56</b>
	(a) Introduction	50
	(b) Youth Parliament Competition in the schools under the Govt. of National Capital Territory (N.C.T.) of Delhi & New Delhi Municipal Council (N.D.M.C.)	51
	(i) Prize Distribution Function of the 52nd Youth Parliament competition, 2017-18	51
	(ii) Orientation Course for 53rd Youth Parliament Competition, 2018-19	51
	(iii) Evaluations of the 53rd Youth Parliament Competition, 2018-19	51
	(c) National Youth Parliament Competition in Kendriya Vidyalayas	51-53
	(i) Prize Distribution Function of the 30th National Youth Parliament Competition	52
	(ii) Orientation Courses for the 31st National Youth Parliament Competition, 2018-19	52-53
	(iii) Evaluation of 31st National Youth Parliament Competition, 2018-19	53
	(d) National Youth Parliament Competition in Jawahar Navodaya Vidyalayas	53-54
	(i) Prize Distribution Function of the 21st National Youth Parliament Competition, 2017-18	53

	(ii) Orientation Courses for the 22nd National Youth Parliament Competition, 2018-19 in Jawahar Navodaya Vidyalayas	54
	(iii) Evaluation of 22nd National Youth Parliament Competition for Jawahar Navodaya Vidyalayas, 2018-19	54
	(e) Youth Parliament Competition in Universities/colleges	54-56
	(i) Evaluation of 14th National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Universities/Colleges	55
	(ii) Prize Distribution Function of the 14th National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Universities/ College	55
	(iii) Orientation Course for the 15th National Youth Parliament Competition, 2018-19 for Universities / Colleges	56
	(f) Youth Parliament Competition in states/UTs	56
<b>CHAPTER – XI</b>	<b>USE OF HINDI IN THE MINISTRY</b>	<b>57-60</b>
<b>CHAPTER – XII</b>	<b>NATIONAL eVIDHAN APPLICATION (NeVA)</b>	<b>61-77</b>
	(a) Introduction	61-62
	(b) Salient Features of NeVA	62-63
	(c) Opening of CPMU in the office of the Ministry in Parliament House Annexe	63
	(d) National Workshop on NeVA	64-68
	(e) Workshop for Capacity Building of State Legislatures	69-74
	(f) Video Conferencings Conducted for Knowledge Transfer to Nodal Officers	75-77
<b>CHAPTER – XIII</b>	<b>GENERAL</b>	<b>78-85</b>
	(a) Nomination of Members of Parliament on Committees, Councils, Boards, Commissions etc. set up by the Government	78
	(b) Nomination of Members of Parliament on Hindi Salahkar Samitis	78
	(c) Action on Reports of Parliamentary Committees	78
	(d) Salary and Allowances of Members of Parliament	78-79
	(e) Action on Reports of Committee on Subordinate Legislation	79
	(f) Institution of Leaders/Chief Whips and Whips	79
	(g) All India Whips Conference	79
	(h) Training Course in Parliamentary Practices and Procedures for Officers of Central Government	79-80
	(i) Members of Parliament –Services Rendered	81
	(i) Welfare of Members of Parliament	81
	(ii) Transport and dinner arrangement for Members of Parliament	81
	(j) Ushering in duty at important functions	81
	(k) Liaison with Leaders of various parties/groups in Parliament	81
	(l) Research Work	82
	(m) Participation in Gangotri-Dharali Culture Festival organized by Mt. Everest Foundation	83
	(n) Budgetary Position	85
	(o) Activities undertaken for benefit of the persons with disabilities	85



## APPENDIX

		PAGE (s)
<b>APPENDIX -I</b>	Functions Allocated to the Ministry of Parliamentary Affairs	86
<b>APPENDIX -II</b>	Bills passed by both Houses of Parliament during the period from 06.01.2018 to 13.02.2019	87-91
<b>APPENDIX -III</b>	List of bills pending in Lok Sabha and Rajya Sabha at the end of 17th Session of 16th Lok Sabha and 248th session of Rajya Sabha	92-95
<b>APPENDIX- IV</b>	Statement showing the date (s) for consideration of the Union Budget during the period from 06.01.2018 to 13.02.2019.	96-97
<b>APPENDIX -V</b>	Statement showing the dates, time taken etc., when motions of confidence in the Council of Ministers were discussed.	98-99
<b>APPENDIX -VI</b>	Private Members' Bills introduced in Lok/Rajya Sabha during the period from 06.01.2018 to 09.01.2019	100-113
<b>APPENDIX -VII</b>	Guidelines formulated in September, 2005 to regulate the constitution and functioning of the Consultative Committees for various Ministries and Departments	114-118
<b>APPENDIX -VIII</b>	List of Consultative Committees constituted for various Ministries for 16th Lok Sabha	119-120
<b>APPENDIX -IX</b>	Dates of meetings held during the period from 1.1.2018 to 31.03.2019 of the Consultative Committees and important subjects discussed therein	121-126
<b>APPENDIX -X</b>	Details of prize winners of various competitions conducted during Hindi Fortnight celebrated in the Ministry during 14th to 28th September, 2018.	127-128
<b>APPENDIX -XI</b>	Nomination of Members of Parliament on Committees, Bodies, Councils, Boards etc. set up by various Ministries/Departments	129
<b>APPENDIX -XII</b>	Nomination of Members of Parliament on the Hindi Salahkar Samiti (HSS) of various Ministries/Departments	130
<b>APPENDIX -XIII</b>	Statement showing the Salary, Allowance and other Facilities admissible to Members of Parliament	131-135
<b>APPENDIX -XIV</b>	Facilities extended to Ex- Members of Parliament	136



# CHAPTER

## CHAPTER-I

**INTRODUCTION AND ORGANISATIONAL SET-UP****Introduction**

- 1.1 In a Parliamentary form of Government, the day-to-day working of the Parliamentary System depends on coordinated efforts of Ministry of Parliamentary Affairs with all Ministries/Departments. Parliamentary programme covers numerous intricate matters – financial, legislative and non-legislative – relating to various Ministries/Departments of the Government. The task of efficiently handling diverse Parliamentary work on behalf of the Government, in the Parliament, has been assigned to the Ministry of Parliamentary Affairs. As such, the Ministry serves as an important link between the two Houses of Parliament on the one hand and the Government on the other in respect of Government Business in Parliament. Created in May, 1949, as a Department, it soon became a full-fledged Ministry with the allotment of more responsibilities and functions.
- 1.2 The functions allocated to the Ministry under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, framed under Article 77(3) of the Constitution of India are in **Appendix-I**.
- 1.3 The Ministry renders secretarial assistance to the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs, which watches the progress of Government Business in Parliament and gives directions as may be necessary for the smooth and efficient conduct of such business besides recommending dates of summoning and prorogation of both the Houses of the Parliament and approving the Government's Stand on Private Member's Bills and Resolutions.
- 1.4 The Ministry keeps close contact with the Ministries/Departments of the Government in respect of Bills pending in Parliament, new Bills to be introduced and Bills to replace Ordinances. The Ministry keeps watch over the progress of Bills in both Houses of Parliament. In order to ensure smooth passage of Bills in Parliament, officials of the Ministry remain in constant touch with the officials of Ministries/Departments sponsoring the Bills and Ministry of Law and Justice which drafts the Bills.
- 1.5 The Ministry constitutes Consultative Committees of Members of Parliament and makes arrangements for holding their meetings both during the session and inter-session periods. Presently, there are 34 Consultative Committees attached to various Ministries. The guidelines regarding the Constitution, Functions and Procedures of these committees have been formulated by this Ministry with the approval of Cabinet. The Ministry also nominates Members of Parliament as and when required, on the Commissions, Committees, Bodies etc set up by the Government.
- 1.6 The Ministry pursues with the other Ministries for prompt and proper implementation of assurances given by the Ministers in Parliament
- 1.7 The Ministry of Parliamentary Affairs looks after the welfare of Members of Parliament.


The Minister of Parliamentary Affairs nominates Members of Parliament on various government delegations visiting abroad.

- 1.8 With a view to strengthening the roots of democracy and inculcating the habits of discipline and tolerance and for enabling the student community to have intimate knowledge of the working of Parliament, the Ministry conducts Youth Parliament Competitions in the schools of the Government of National Capital Territory of Delhi, Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas and Universities/Colleges all over the country.
- 1.9 Parliamentarians in any country contribute to the shaping of foreign policy and relations with other countries. In the present international scenario, it is necessary and useful for the Government to utilize the expertise and services of Members of Parliament effectively for sensitizing and winning over the support of their counterparts in other countries, by explaining our policies, achievements, problems and future visions in various areas. With this objective in view, the Ministry of Parliamentary Affairs sponsors government delegations of Members of Parliament to other countries and also organizes the visits of Government sponsored delegation of MPs from other countries to India.
- 1.10 For proper implementation of the Official Language Policy and provisions of the Official Language Act, 1963 and Rules made thereunder and for translation work, there is a Hindi Section in the Ministry.

### Organisational Set-up

- 1.11 The Ministry continues to function under the charge of a Cabinet Minister assisted by two Ministers of State. The name etc. of the Cabinet Minister and Ministers of state who held the charge of the Ministry of Parliamentary Affairs during the period under report, are as under: -

1. Shri Ananthkumar,  
Cabinet Minister  
From 05.07.2016 to 12.11.2018  
(Due to sad demise on 12.11.2018)
2. Shri Narendra Singh Tomar,  
Cabinet Minister  
From 12.11.2018 onwards
3. Shri Vijay Goel,  
Minister of State (Rajya Sabha)  
From 03.09.2017 onwards
4. Shri Arjun Ram Meghwal,  
Minister of State (Lok Sabha)  
From 03.09.2017 onwards



**LEGENDS :**

- MPA- Minister of Parliamentary Affairs
- MOS- Minister of State
- DS- Deputy Secretary
- US- Under Secretary
- SO- Section Officer
- Assr(RS).-Assurances(RS)
- MPS- Minister's Staff
- Gen-General
- Com.-Committee
- ME-Members' Emoluments
- Acc- Accounts
- P&W- Protocol & Welfare
- Assr(LS).-Assurances(LS)
- Admn-Administration
- Leg-Legislative
- YP- Youth Parliament
- Assr-Assurances
- Res.-Research
- Pur-Purchase

## CHAPTER – II

## SUMMONING AND PROROGATION OF BOTH HOUSES OF PARLIAMENT

### At a Glance

\*During the period from 1.1.2018 to 31.03.2019, the Lok Sabha and the Rajya Sabha held 73 and 75 sittings each respectively spread over Four Sessions.

### Summoning and Prorogation

2.1 Article 85(1) of the Constitution empowers the President to summon each House of Parliament to meet at such time and place as he/she thinks fit. Clause (2) thereof states that the President may from time to time prorogue the Houses or either House or dissolve the House of the People (Lok Sabha). The Allocation of Business Rules framed under Article 77(3) of the Constitution assign this function to the Ministry of Parliamentary Affairs. After assessing the time likely to be required for transaction of government business and for discussion on topics of public interest as may be demanded from time to time by Members of Parliament, a note is placed before the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs for making a recommendation as to the date of commencement of a session of Parliament and its likely duration. After approval of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs to the proposal(s), concurrence of Prime Minister is solicited. In case, the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs has not been constituted, a Note containing the proposal(s) is placed before the Cabinet. The recommendations (regarding the date of commencement of the session) of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs/Cabinet are submitted to the President for his/her approval. After the President's approval, the date of commencement and duration of the session are conveyed to the Secretariats of the Lok Sabha and Rajya Sabha for issuing summons to the Members of Parliament after obtaining approval of the President.

### Sessions

#### (i) Summoning

2.2 During the period from 1.1.2018 to 31.03.2019, Four Sessions each of the Lok Sabha and the Rajya Sabha were held. The details of the sessions held are as follows:

SIXTEENTH LOK SABHA			
Session	Duration	Sittings	Days
14th	January 29, 2018 to April 06, 2018	29	68
15th	July 18, 2018 to August 10, 2018	17	24
16th	December 11, 2018 to January 8, 2019	17	29
17th	January 31, 2019 to February 13, 2019	10	14

RAJYA SABHA			
245th	January 29, 2018 to April 06, 2018	30	68
246th	July 18, 2018 to August 10, 2018	17	24
247th	December 11, 2018 to January 9, 2019	18	30
248th	January 31, 2019 to February 13, 2019	10	14

## (ii) Prorogation

2.3 After obtaining the approval of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs to the proposal to prorogue the Houses, the Government's decision is conveyed to the two Secretariats of Parliament to enable them to issue the Order of the President and to notify the same in the Gazette of India. The details of dates of adjournment sine-die and the prorogation of the two Houses of the Parliament are as follows:-

SIXTEENTH LOK SABHA		
Session	Date of	
	Adjournment <i>sine-die</i>	Prorogation
14 <sup>th</sup>	April 06, 2018	April 06, 2018
15 <sup>th</sup>	August 10, 2018	August 13, 2018
16 <sup>th</sup>	January 08, 2019	January 10, 2019
17 <sup>th</sup>	February 13, 2019	February 14, 2019
RAJYA SABHA		
245 <sup>th</sup>	April 06, 2018	April 06, 2018
246 <sup>th</sup>	August 10, 2018	August 14, 2018
247 <sup>th</sup>	January 09, 2019	January 10, 2019
248 <sup>th</sup>	February 13, 2019	February 14, 2019

**DATES OF POLL, CONSTITUTION, FIRST SITTING,  
EXPIRY OF THE TERM AND DISSOLUTION OF LOK SABHA  
(First to Sixteenth Lok Sabha)**

Lok Sabha	Last Date of Poll	Date of the Constitution	Date of the first sitting	Date of expiry of Term (Article 83(2) of the Constitution)	Date of Dissolution
1	2	3	4	5	6
First	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
Second	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62

Lok Sabha	Last Date of Poll	Date of the Constitution	Date of the first sitting	Date of expiry of Term (Article 83(2) of the Constitution)	Date of Dissolution
Third	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
Fourth	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
Fifth	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
Sixth	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
Seventh	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
Eighth	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
Ninth	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
Tenth	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
Eleventh	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
Twelfth	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
Thirteenth	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
Fourteenth	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.09	18.05.2009
Fifteenth	13.05.2009	18.05.2009	1.06.2009	31.05.2014	18.05.2014
Sixteenth	12.05.2014	18.05.2014	04.06.2014	03.06.2019	25.05.2019
Seventeenth	19.05.2019	25.05.2019			

- \* 1. Mid-term polls were held, dissolution took place even before the elections.  
 2. Last dates of poll in column (2) are based on reports of Election Commission.

## CHAPTER - III

**PRESIDENT'S ADDRESS AND ORDINANCES****President's Address**

- 3.1 Article 87(1) enjoins upon the President to address both Houses of Parliament assembled together at the commencement of the first session after each General Election and also at the commencement of the first session of each calendar year.
- 3.2 In accordance with clause (2) of Article 87, provisions have been made in the Rules of Procedure of the Lok Sabha and of the Rajya Sabha for discussion on the matters referred to in the President's Address. The debate in both Houses takes place on a Motion of Thanks which is moved and seconded by members selected by the Minister of Parliamentary Affairs. The motions duly signed by such members are forwarded by the Ministry of Parliamentary Affairs to the Parliament Secretariat concerned. The scope of the discussion on the Address is very wide and members are free to speak on any subject, whether national or international. Even matters not specifically mentioned in the Address are touched upon by members through tabling of amendments to the Motion of Thanks on the Address or through participation in the debate. The office of the President is not criticised for anything contained in the Address, as it is drafted by the Government. The criticism, if any, has to be directed towards the Government.
- 3.3 The Address was delivered by the President on 29th January, 2018 and 31st January, 2019 at the commencement of the first session of the calendar year 2018 and 2019 respectively. The following table indicates the names of movers and seconders of the Motion of Thanks and the dates of the discussion thereon:-

<b>FOURTEENTH SESSION OF SIXTEENTH LOK SABHA</b>	
<b>Names of mover and seconder on Motion of Thanks</b>	<b>Dates of discussion</b>
Shri Rakesh Singh (Mover) Shri Pralhad Venkatesh Joshi (Secunder)	February 2nd and 5th 2018. (Adopted)
<b>245<sup>th</sup> SESSION OF RAJYA SABHA</b>	
Shri Amit Anil Chandra Shah (Mover) Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe (Secunder)	February 2nd , 5th and 6th 2018. (Adopted)
<b>SEVENTEENTH SESSION OF SIXTEENTH LOK SABHA</b>	
<b>Names of mover and seconder on Motion of Thanks</b>	<b>Dates of discussion</b>
Shri Hukamdev Narayan Yadav (Mover) Shri Jagdambika Pal (Secunder)	February 5th and 7th 2019. (Adopted)
<b>248<sup>th</sup> SESSION OF RAJYA SABHA</b>	
Shri Bhupender Yadav (Mover) Shri Vijay Goel (Secunder)	February 6th, 7th and 13th 2019. (Adopted)



### Provisions Regarding Ordinance

- 3.4 According to Article 123, if at any time (except when both Houses of Parliament are in session), the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, the President may promulgate an Ordinance as the circumstances appear to him to require. Such Ordinances shall have the same force and effect as an Act of Parliament but they should not contain any provision which the Parliament would not under the Constitution, be competent to enact. The said Article further stipulates laying of Ordinances before both Houses of Parliament. Provision also exists for moving Statutory Resolutions seeking their disapproval. Under the Constitution, an Ordinance shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of Parliament, or if before the expiration of that period, Resolutions disapproving it are passed by both Houses, upon the passing of the second of those Resolutions. Where the Houses of Parliament are summoned on different dates, the period of six weeks shall be reckoned from the later of those dates.
- 3.5. Provisions have been made in the Rules of Procedure of the two Houses for laying of statements explaining the circumstances which necessitated promulgation of Ordinances so that members might make use of the same while deliberating upon them.
- 3.6 The Ministry of Parliamentary Affairs ensures compliance of various provisions of the Constitution of India and the Rules of Procedure and Conduct of Business in the two Houses of Parliament by arranging laying of copies of the Ordinances, requesting the Ministries to lay explanatory statements and providing time for consideration of Statutory Resolutions seeking disapproval of the Ordinances alongwith consideration of Bills seeking to replace these Ordinances. All efforts are made to get action completed well within the period of six weeks as stipulated in the Constitution.

### Ordinances

- 3.7 During the period from 01.01.2018 to 31.03.2019, 22 Ordinances were promulgated. A copy each of the Ordinances was laid in English and Hindi versions on the Table of the Lok Sabha and the Rajya Sabha by the Ministers of State for Parliamentary Affairs. A statement indicating various details regarding their dates of promulgation, laying, replacement by Acts of Parliament etc. are given below:-

Sl. No.	Title of the Ordinance & Date of promulgation	Date of laying		Introduc-tion of Bill replacing the Ordi-nance	Date of consideration & passing of the Bill		Date of Assent and Act No.
		Lok Sabha	Rajya Sabha		Lok Sabha	Rajya Sabha	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018)	18.07.18	18.07.18	*12.03.2018	19.07.2018	25.07.2018	17 of 2018 31.07.2018

Sl. No.	Title of the Ordinance & Date of promulgation	Date of laying		Introduction of Bill replacing the Ordinance	Date of consideration & passing of the Bill		Date of Assent and Act No.
		Lok Sabha	Rajya Sabha		Lok Sabha	Rajya Sabha	
2.	The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 2 of 2018)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	30.07.2018	06.08.2018	22 of 2018 11.08.2018
3.	The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018 (No.3 of 2018)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	01.08.2018	10.08.2018	28 of 2018 20.08.2018
4.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No.4 of 2018)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	30.07.2018	09.08.2018	23 of 2018 13.08.2018
5.	The National Sports University Ordinance, 2018 (5 of 2018)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	03.08.2018	09.08.2018	25 of 2018 17.08.2018
6.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 (6 of 2018)	18.07.18	18.07.18	23.07.2018	31.07.2018	10.08.2018	26 of 2018 17.08.2018
7.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2018 (7 of 2018)	11.12.18	11.12.18	17.12.2018	27.12.2018	--	--
8.	The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 (8 of 2018).	11.12.18	11.12.18	14.12.2018	31.12.2018	--	--
9.	The Companies (Amendment) Ordinance, 2018 (9 of 2018)	11.12.18	11.12.18	20.12.2018	04.01.2019	--	--
10.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (1 of 2019)	04.02.19	04.02.19	--	--	--	--

Sl. No.	Title of the Ordinance & Date of promulgation	Date of laying		Introduc-tion of Bill replacing the Ordi-nance	Date of consideration & passing of the Bill		Date of Assent and Act No.
		Lok Sabha	Rajya Sabha		Lok Sabha	Rajya Sabha	
11.	The Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2019 (2 of 2019)	04.02.19	04.02.19	--	--	--	--
12.	The Companies (Amendment) Ordinance, 2019 (3 of 2019)	04.02.19	04.02.19	--	--	--	--
13.	The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Second Ordinance, 2019 (4 of 2019)	--	--	--	--	--	--
14.	The Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 (5 of 2019).	--	--	--	--	--	--
15.	The Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (6 of 2019)	--	--	--	--	--	--
16.	The Banning of Unregulated Deposit Schemes Ordinance, 2019 (7 of 2019)	--	--	--	--	--	--
17.	The Jammu And Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 (8 of 2019)	--	--	--	--	--	--
18.	The Aadhaar And Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (9 of 2019)	--	--	--	--	--	--
19.	The New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 (10 of 2019)	--	--	--	--	--	--
20.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2019 (11 of 2019)	--	--	--	--	--	--

Sl. No.	Title of the Ordinance & Date of promulgation	Date of laying		Introduc-tion of Bill replacing the Ordi-nance	Date of consideration & passing of the Bill		Date of Assent and Act No.
		Lok Sabha	Rajya Sabha		Lok Sabha	Rajya Sabha	
21.	The Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 (12 of 2019)	--	--	--	--	--	--
22.	The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (13 of 2019).	--	--	--	--	--	--

\* The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 was introduced on the 12th day of March, 2018 in the House of the People. Whereas the said Bill could not be taken up for consideration and passing in the House of the People during that Session.

### 3.8 ORDINANCES PROMULGATED BY THE PRESIDENT FROM 1952 TO 31.03.2019

Year	Number of Ordinances Promulgated	Year	Number of Ordinances Promulgated
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	--
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11

Year	Number of Ordinances Promulgated	Year	Number of Ordinances Promulgated
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	13 (31.03.2019)

N.B.: The position regarding Governments which were in power at the Centre during the years in which Ordinances were promulgated is as under:-

First Lok Sabha: April 2, 52 to April 4, 57; National Congress (Pandit Jawahar Lal Nehru)

Second Lok Sabha: April 5, 57 to March 31, 62: National Congress (Pandit Jawahar Lal Nehru)

Third Lok Sabha: April 2, 62 to March 3, 67; National Congress (Pandit Jawahar Lal Nehru, from April 1, 62 to May 27, 1964; Shri Gulzari Lal Nanda from May 27, 1964 to June 9, 1964; Shri Lal Bahadur Shastri from June 9, 1964 to January 11, 1966 and Shri Gulzari Lal Nanda from January 11, 1966 to January 24, 1966 and Smt. Indira Gandhi from January 24, 1966 to March 3, 1967)

Fourth Lok Sabha: March 4, 67 to December 27, 70: Congress (I) (Smt. Indira Gandhi from March, 4, 67 to March 15, 71).

- Fifth Lok Sabha: March 15, 71 to January 18, 77: Congress (I) (Smt. Indira Gandhi)
- Sixth Lok Sabha: March 23, 77 to August 22, 79: Congress (I)/Janata Party (Smt. Indira Gandhi 18.1.77 to 24.3.77)  
(Shri Morarji Desai from March 24, 77 to July 28, 79 and Shri Charan Singh from July 28, 79 to January 14, 80)
- Seventh Lok Sabha: January 10, 80 to December 31, 84: Congress (I), (Smt. Indira Gandhi from January 14, 80 to October 31, 84 and Shri Rajiv Gandhi from October 31, 84 to December 31, 84)
- Eighth Lok Sabha: December 31, 84 to November 27, 89: Congress (I), (Shri Rajiv Gandhi from December 31, 84 to December 2, 1989)
- Ninth Lok Sabha: December 2, 89 to March 13, 91: (Shri V.P. Singh from December 2, 89 to November 10, 90 and Shri Chandra Shekhar from November 10, 90 to June 21, 91)
- Tenth Lok Sabha: June 20, 91 to May 10, 96: Congress (I), (Shri P.V. Narasimha Rao from June 21, 91 to May 16, 1996)
- Eleventh Lok Sabha: May 15, 96 to Dec. 4, 1997; Bharatiya Janata Party/United Front  
(i) (Shri Atal Bihari Vajpayee from May 16, 96 to June 1, 1996;  
(ii) Shri H.D. Deve Gowda from June 1, 96 to April 21, 1997 and Shri I.K. Gujral from April 21, 1997 to March 19, 1998).
- Twelfth Lok Sabha: March 10, 98 to April 26, 99: Bharatiya Janata Party led alliance (Shri Atal Bihari Vajpayee from March 19, 1998 to October 13, 1999)
- Thirteenth Lok Sabha: October 10, 1999 to February 6, 2004: Bharatiya Janata Party led NDA (Shri Atal Bihari Vajpayee from October 13, 1999 to May 22, 2004).
- Fourteenth Lok Sabha: May 17, 2004 to May 18, 2009 INC led UPA (Dr. Manmohan Singh from May 22, 2004 to May 22, 2009).
- Fifteenth Lok Sabha: May 18, 2009 to May 17, 2014: INC led UPA (Dr. Manmohan Singh from May 22, 2009 to May 26, 2014).
- Sixteenth Lok Sabha: May 18, 2014 Bharatiya Janata Party led NDA (Shri Narendra Damodar Modi from May 26, 2014 onwards).

## CHAPTER – IV

# GOVERNMENT BUSINESS IN PARLIAMENT AND DISTRIBUTION OF PARLIAMENTARY TIME

### At a Glance

- The Union Budget for 2018-19 was presented on February 01, 2018
- The Interim Budget for 2019-20 was presented on February 01, 2019
- Thirty three Bills were passed by both Houses of Parliament

### Government Business

- 4.1 In a Parliamentary democracy, a major portion of work before the Parliament relates to government business. Planning of government business, therefore, assumes great significance. It becomes the responsibility of the government to see that the time for this purpose is wisely and effectively utilized. The Rules of Procedure and Conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha provide that on days allotted for transaction of government business, that business shall have precedence and that business shall be arranged in such order as the Presiding Officers of the two Houses may determine in consultation with the Leader of the respective Houses. The function of planning and co-ordination of government business has been entrusted to the Ministry of Parliamentary Affairs. In the discharge of this function, the Ministry works under the directions of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs.
- 4.2 Almost the entire time when the Parliament is at work, barring the Question Hour every day and two-and-half hours on Fridays, is at the disposal of the government for government business. The government, however, readily agrees to provide time for consideration of topics of urgent public importance as demanded by members from time to time and recommended by the Business Advisory Committee of the two Houses.

### Planning of Government Business

- 4.3 Well before the commencement of a session of Parliament, all ministries/departments of the Government of India are requested to intimate their legislative and non-legislative proposals for consideration during the ensuing session of Parliament. However, the programme for the session is not finalised merely on the basis of replies received from the different ministries/departments. The Ministry cross checks the information with the Legislative Department of the Ministry of Law & Justice to ascertain the position in regard to drafting of the Bills. Such meetings were held on 18th January, 2018 before the Budget Session, 2018, 11th of July, 2018 before Monsoon Session, 2018, 29th November, 2018 before Winter Session, 2018 and on 28th January, 2019 before Interim Budget Session, 2019. Thereafter, the Minister of Parliamentary Affairs takes a meeting of secretaries/senior officers of ministries/departments before the commencement of every session to impress upon them the necessity of giving priority to the finalisation

of legislative proposals and other items of government business. Legislative proposals which are not ripe enough and are not likely to be ready in time are dropped. Three such meetings were held – one meeting on January 24, 2018 before the Budget Session, 2018, second meeting was held on July 11, 2018 before the Monsoon Session, 2018 and the third meeting was held on November 30, 2018 before the Winter Session, 2018. During the period under report, the Minister of Parliamentary Affairs called the meetings of Leaders of Various political parties/group to evolve mutual consensus on the agenda of the Session on 28.01.2018, 17.07.2018, 10.12.2018 and 31.01.2018. After having made a precise assessment of the government business, a Calendar of government business is tentatively drawn up for each session. During the period from 1.1.2018 to 31.03.2019, four tentative lists of government business were prepared and made available to the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats for circulation amongst Members of Parliament to enable them to have a broad idea about the Bills/subjects that might come up in the session and to make preparation for participation in debates thereon.

- 4.4 In order to give members advance information of the government business to be transacted by both Houses of Parliament, the Minister/Minister of State of Parliamentary Affairs makes statements in Lok Sabha and Rajya Sabha at the last sitting in each week regarding government business to be taken up in the succeeding week. Eight statements in Lok Sabha and nine Statements in Rajya Sabha were made during the period under report.
- 4.5 (a) The process of planning the programme of government business does not end by making a forecast once a week. The progress of business is constantly and closely watched so that adjustments, if needed, could be made at short notice. In actual practice, such adjustments are required to be made from day to day. For this purpose, the Ministry supplies the order of government business for each sitting of the two Houses to the concerned Secretariat of Parliament for inclusion in the daily Order Paper. During the period under report, 83 and 87 Lists of Government Business for the Lok Sabha and Rajya Sabha respectively, were issued to the two Secretariats of Parliament in connection with transaction of government business.
- (b) Business Advisory Committee, Lok Sabha and Business Advisory Committee, Rajya Sabha allot time for discussion of various items of government business in consultation with the Ministry of Parliamentary Affairs. During the year, notes were sent to the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats for allocation of time in respect of 154 items (Lok Sabha - 69 and Rajya Sabha - 85).

### **Management of Government Business**

- 4.6 Management of government business is important and requires a lot of skill and dexterity on the part of the Minister of Parliamentary Affairs. As the Chief Whip of the party in power, he/she must at all times ensure the attendance of Members of his/her Party as also of allied/supporting parties, if any. He/she also keeps close and constant contact with the Presiding Officers, the Leaders, as well as Chief Whips and Whips of various parties and groups.



## Resume of Government Business Transacted

### (i) Legislative

4.7 A total of 67 Bills (28 Bills in the Lok Sabha and 39 Bills in the Rajya Sabha) were pending at the conclusion of 13th Session of Sixteenth Lok Sabha and 244th Session of Rajya Sabha. 53 Bills were introduced in the Lok Sabha during the period under report, making a total of 120 Bills. Out of these, 33 Bills were passed by both the Houses (**Appendix-II**). 8 Bills, (3 in Lok Sabha and 5 in Rajya Sabha) were withdrawn. A total of 79 Bills (24 Bills in the Lok Sabha and 55 Bills in the Rajya Sabha) were pending in both Houses of Parliament at the conclusion of 17th Session of Sixteenth Lok Sabha and 248st Session of Rajya Sabha as indicated in **Appendix –III**.

### (ii) Financial

4.8 Rule 204 of the Lok Sabha Rules provides that the annual financial statement in terms of Article 112 of the Constitution, popularly known as the “Budget”, shall be presented to Parliament on such day as the President may direct. The Union Budget for 2018-19 was presented on 1 February, 2018 and the Interim Budget for 2019-20 was presented on February 01, 2019. The Budget is presented to the Lok Sabha when the Ministers-in-charge of Finance reads his Budget speech. In the Rajya Sabha, the annual financial statement is laid, usually after the completion of speeches of the minister in the Lok Sabha.

4.9 One of the important decisions taken during the Budget Session, 1993 was to set up Department related Parliamentary Standing Committees to scrutinize, inter-alia the demands for grants of various ministries/departments before these are discussed and voted in the House. The other functions of the Standing Committees include examining bills referred to them by the Chairman or Speaker, annual reports of ministries and basic long term policy documents presented to the Houses and referred to them by the Presiding Officers.

### (iii) Budget

4.10 Statements giving the dates of consideration of Union Budget for 2018-19 and Interim Budget for 2019-20 and during the period from 1.1.2018 to 31.03.2019 are appended (**Appendixes – IVA and IVB**).

4.11 The 17th Session of 16th Lok Sabha and 248th Session of Rajya Sabha was convened on January 31, 2019 primarily for obtaining approval to the Vote on Account for Interim Budget, 2019 for a period of four months ending July 31, 2019. The objective was to enable the Central Government to meet expenditure from the Consolidated Fund of India till the passing of the Union Budget by the new Lok Sabha. To facilitate purposeful discussion on the Vote on Account in the House, a Report containing, in brief, the activities of the Ministries for the calendar year, 2018, was prepared for circulation among the Members of Parliament.

**(iv) Other Official Business****Motion of Confidence in the Council of Ministers**

- 4.12 The usual procedure to express want of confidence in the Council of Ministers is through a motion of no confidence under Rule 198 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The device of confidence motion is of recent origin. There is no rule in the Rules of Procedure relating to Motion of Confidence in the Council of Ministers. The requirement of moving such motion was perhaps not visualized at the time of framing of Lok Sabha Rules. The necessity of raising debate through such a motion, which is in the nature of an exercise of demonstrating majority support in the Lok Sabha, arose in the late seventies with the advent of minority Government caused by split in parties and later formation of coalition Government as a result of hung Parliaments. In the absence of any specific rules in this regard, such Motions of Confidence have been entertained under the category of motions stipulated in Rule 184 which are meant for raising discussion on matters of public interest. Discussion on such motions are taken under Rule 191 by putting before the House all the necessary questions.
- 4.13 The first such Motion of Confidence was moved by Shri V.P. Singh, the then Prime Minister on December 21, 1989, in the Lok Sabha, which was adopted by the House by voice vote on the same day. A statement showing eleven motions of confidence so far moved is annexed (**Appendix-V**).

**Broad Distribution of Official Time**

- 4.14 The broad distribution of total official time taken by legislative, financial and non financial items (including debates arranged on private members' motions during the time earmarked for transaction of official business) in both Houses of Parliament is as under:-

Sl. No.	Item	Lok Sabha		Rajya Sabha		Percentage	
		Hours	Minutes	Hours	Minutes	Lok Sabha	Rajya Sabha
(i)	Legislative	70	35	32	40	30.82%	23.08%
(ii)	Financial	30	32	09	36	13.33%	6.78%
(iii)	Non-Financial	127	51	99	15	55.83%	70.13%

**Time Lost on Adjournments due to Interruptions etc:**

- 4.15 During the period under report, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned on various occasions due to interruptions/disorderly scenes. Time spent/lost on such adjournments etc. in Lok Sabha and Rajya Sabha during the period under report is indicated below:

LOK SABHA					
Session	Total Actual Time of Sitting		Time lost on adjournments due to interruptions/ disorderly scenes etc.		Percentage of time on adjournment etc. due to interruptions/ disorderly scenes etc.
	Hours	Minutes	Hours	Minutes	
14th (16th Lok Sabha)	34	02	123	12	78.34%
15th (16th Lok Sabha)	111	03	02	36	2.28%
16th (16th Lok Sabha)	45	18	58	27	56.33%
17th (16th Lok Sabha)	38	35	11	51	23.49%
Total	228	58	196	06	46.13%
RAJYA SABHA					
245th	45	16	124	37	73.35 %
246th	65	54	30	19	31.56%
247th	27	14	79	34	74.50%
248th	03	07	41	18	92.98%
Total	141	31	275	48	66.09%

### Other Non-Official Business

4.16 During the period under report, 2 calling attention notice in Rajya Sabha were discussed. 3 short duration discussions were held in Lok Sabha and 2 in Rajya Sabha.

### NUMBER OF SITTINGS OF PARLIAMENT AND NUMBER OF BILLS PASSED BY BOTH HOUSES OF PARLIAMENT (1952 to 2019)

Year	Number of Sitzings		Bills passed by both Houses of Parliament	Year	Number of Sitzings		Bills passed by both Houses of Parliament
	Lok Sabha	Rajya Sabha			Lok Sabha	Rajya Sabha	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63

Year	Number of Sitzings		Bills passed by both Houses of Parliament	Year	Number of Sitzings		Bills passed by both Houses of Parliament
	Lok Sabha	Rajya Sabha			Lok Sabha	Rajya Sabha	
1	2	3	4	1	2	3	4
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	93	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	74	74	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	10	10	04

## CHAPTER - V

## PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

5.1 Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha afford ample opportunities to members, who are not members of the Council of Ministers, to raise matters of urgent public importance and ventilate the grievances of the people at large through various devices like Calling Attention Notice, Short Duration Discussion, No-day-yet Named Motion, Censure Motion, Motion of No-Confidence in the Council of Ministers, Half-an-hour discussion besides the Private Members' Bills and Resolutions which are taken up alternatively for two-and-a-half hours kept apart for Private Members' Business normally on Fridays. Discussion on these matters take place during the time earmarked for official business.

5.2 The following discussions were held during the period from 06.01.2018 to 13.02.2019-

## LOK SABHA

## DISCUSSIONS UNDER RULE 193

Sl. No.	Subject and Member	Ministry concerned	Date (s) of discussion	Time taken
				Hrs. Mts.
1.	Deputy Speaker informed the House that Sh. Jitendra Chaudhury, who was to initiate the discussion under rule 193 on recent flood and drought situation in the various parts of the country, requested that Sh. P. Karunakaran, permitted to initiate the discussion on his behalf and the speaker accede to his request.	Home Affairs	25.07.2018	05-00
2.	The Speaker informed the House that Shri K. C. Venugopal, who has to initiate the discussion under rule 193 on issues relating to Rafale Deal, requested her that Shri Rahul Gandhi might be permitted to initiate the discussion on his behalf and she acceded to his request.	Defence	03.01.2019 04.01.2019	06-13
3.	Shri Bhartruhari Mahtab raised a discussion on Natural calamities in various part of the country, particularly in Kerala, Tamil Nadu and Odisha with reference to cyclones like Gaja, Titli, etc.		07.01.2019	00-03 (inconclusive)

**CALLING ATTENTION: -**

Sl. No.	Subject	Ministry Concerned	Date of discussion	Time Taken
	-	-	-	-

**RAJYA SABHA****DISCUSSIONS UNDER RULE 176**

Sl. No.	Subject and Member	Ministry concerned	Date (s) of discussion	Time taken
				Hrs.Mts.
1.	Discussion on the non-implementation of the provisions of Andhra Pradesh Re-Organization Act, 2014. (Shri Y.S. Chowdary)	Home Affairs	24.07.2018	03-19
2.	Discussion on the recent increase in the Minimum Support Prices for Kharif crops and chalanges in agricultural sector (Shri Amit Anil Chandra Shah)		07.08.2018	00-12 (inconclusive)

**CALLING ATTENTION: -**

No	Subject	Ministry concerned	Date of discussion	Time taken
				(Hrs. Mts.)
1.	Sh. V. Murleedharan called the attention of Minister of Electronics and Information Technology on the misuse of social media platforms to spread rumors and fake news leading incidents of violence and lynching in the Country.	Electronics and Information Technology	26.07.2018	01-24
2.	Dr. V. Maitreyan called the attention of Minister of Home Affairs, to the situation arising due to devastating caused by cyclones Gaja and Titli in some states and the action taken by the Government in regard there to.	Home Affairs	18.12.2018	00-02 (Inconclusive)

**DISCUSSION ON THE WORKING OF MINISTRIES IN RAJYA SABHA**

Sl. No	Ministry	Date(s) of Discussion	Time taken
			Hrs. Mts.
		-	

**GOVERNMENT’S STAND ON PRIVATE MEMBERS’ BILLS AND RESOLUTIONS**

- 5.3 One of the functions of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs is to determine Government’s Stand towards Private Members’ Bills and Resolutions listed and put down for consideration in the two Houses of Parliament. The Ministries/Departments concerned were requested to send briefs on the Government’s Stand in respect of the Bills and Resolutions which were listed for consideration and passing in the two Houses or which secured sufficiently higher priority in the ballots held for this purpose.
- 5.4 The Cabinet Committee on Parliamentary Affairs held six meetings on 06.04.2018, 25.06.2018, 11.08.2018, 13.11.2018, 09.01.2019 and 13.02.2019.

Sl. No.	Date of meeting of CCPA	Proposals considered and approved
1.	6th April, 2018	(i) Prorogation of Budget Session, 2018 of Parliament (ii) Ratification of PMBs/PMRs
2.	25th June, 2018	Summoning for Monsoon Session, 2018
3.	11th August, 2018	(i) Prorogation of Budget Session, 2018 of Parliament (ii) Ratification of PMBs/PMRs
4.	13th November, 2018	Summoning of Winter Session, 2018
5.	9th January, 2019	(i) Prorogation of Winter Session, 2018. (ii) Ratification of PMBs/PMRs. (iii) Summoning of Interim Budget Session, 2019.
6.	13th February, 2019	(i) Prorogation of Interim Budget Session, 2019. (ii) Ratification of PMBs/PMRs.

- 5.5. Two hundred & sixty-six Private Members’ Bills (245 Bills in Lok Sabha and 21 Bills in Rajya Sabha) were introduced (Appendix-VI) during the period from 06.01.2018 to 13.02.2019. Details regarding the non-official Bills and Resolutions discussed during the above period are indicated below: -

**PRIVATE MEMBERS' BILLS CONSIDERED BY THE HOUSES DURING THE PERIOD FROM 06.01.2018 TO 13.02.2019**

LOK SABHA			
Sl. No.	Name of the Bill and Member in charge	Date(s) of Discussion	Result
1.	The Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 2015 by Shri Vincent H. Pala.	05.08.2016 10.03.2017 10.03.2017 24.03.2017 07.04.2017 21.07.2017 29.12.2017 03.08.2018 28.12.2018	Withdrawn
2.	The Television Broadcasting Companies (Regulation) Bill, 2015 by Shri Prahlad Singh Patel	28.12.2018	Withdrawn
3.	The Tourism Promotion Corporation of India Bill, 2015 by Shri Nishikant Dubey	28.12.2018 08.02.2019	Inconclusive
RAJYA SABHA			
1.	The Cow Protection Bill, 2017 by Dr. Subramaniam Swamy	02.02.2018	Withdrawn
2.	The Constitution (Amendment) Bill, 2017 (amendment of article 366) by Shri Sukhendu Sekhar Ray	02.02.2018 20.07.2018	Withdrawn
3.	The Parliament (Enhancement of Productivity) Bill, 2017 by Shri Naresh Gujral	03.08.2018	Inconclusive



**PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS CONSIDERED BY THE HOUSES DURING THE PERIOD FROM 06.01.2018 TO 13.02.2019**

LOK SABHA			
Sl. No.	Gist of the Resolution and Member in charge	Date(s) of Discussion	Result
--			
RAJYA SABHA			
1.	Amend the constitution so that the persons belonging to SC/ST Category in one state may be treated as the persons of that SC/ST category all over the country by Shri Vishambhar Prasad Nishad	10.06.2018	Negatived
2.	Suitable legislation for the welfare of the widows in the country by Shri Tiruchi Siva	10.08.2018 04.01.2019	Negatived
3.	Conduct Survey at regular intervals to examine the backwardness of individuals and communications to check whether the weighted index system is being implemented effectively by Dr. Vikas Mahatme	04.01.2019	Withdrawn

**PRIVATE MEMBERS' BILLS PASSED BY PARLIAMENT FROM 1952 TO 2019**

(A) BILLS INTRODUCED IN THE LOK SABHA		
Sl. No.	Short Title of the Bill	Act No. /Date of Assent
1.	The Muslim Wakfs Bill, 1952, by Shri Syed Mohammed Ahmed Kasmi	29 of 1954
		21.05.1954
2.	The Indian Registration (Amendment) Bill, 1955, by Shri S.C. Samanta.	17 of 1956
		06.04.1956
3.	The Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Bill, 1956, by Shri Feroze Gandhi.	24 of 1956
		26.05.1956
4.	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1953, by Shri Raghunath Singh.	39 of 1956
		01.09.1956
5.	The Women's and Children's Institutions (Licensing) Bill, 1954, by Rajmata Kamledu Mati Shah.	105 of 1956
		30.12.1956
6.	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1957, by Smt. Subhadra Joshi.	56 of 1960
		26.12.1960

<b>(A) BILLS INTRODUCED IN THE LOK SABHA</b>		
<b>Sl. No.</b>	<b>Short Title of the Bill</b>	<b>Act No. /Date of Assent</b>
7.	The Salary and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1964, by Shri Raghunath Singh.	26 of 1964 29.09.1964
8.	The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1963, by Shri Diwan Chand Sharma.	44 of 1964 20.12.1964
9.	The Supreme Court (Enlargement of Criminal Appellate Jurisdiction) Bill, 1968, by Shri Anand Narian Mullah.	28 of 1970 09.08.1970
<b>(B) BILLS INTRODUCED IN THE RAJYA SABHA</b>		
10.	The Ancient and Historical Monuments and Archeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Bill, 1954, by Dr. Raghbir Singh.	70 of 1956 15.12.1956
11.	The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1956, by Dr. (Smt.) Seeta Parmanand.	73 of 1956 20.12.1956
12.	The Orphanages and Other Charitable Homes (Supervision and Control) Bill, 1960, by Shri Kailash Bihari Lall.	10 of 1960 09.04.1960
13.	The Marine Insurance Bill, 1959, by Shri M.P. Bhargava.	11 of 1963 18.04.1963
14.	The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1963, by Shri Diwan Chaman Lall.	36 of 1969 07.09.1969

**PRIVATE MEMBER'S RESOLUTIONS – ADOPTED IN LOK SABHA**

<b>Sl. No.</b>	<b>Gist of the Resolution and Member- in- charge</b>	<b>Date of Adoption</b>
1.	To ban slaughter of Cow and its progeny throughout the country, by Shri Prahlad Singh	10.04.2003
2.	Immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir by Shri Nishikant Dubey.	11.12.2015

## CHAPTER - VI

# MONITORING OF IMPLEMENTATION OF ASSURANCES

### At a Glance

- During the period under report, 598 Assurances were given by the Ministers in Lok Sabha and 392 in Rajya Sabha.
  - 1052 Assurances given in Lok Sabha and 481 Assurances given in Rajya Sabha which pertain to the period under report as well as previous years, have been implemented.
  - In addition, 8 Assurances in Lok Sabha and 32 Assurances in Rajya Sabha have also been partially implemented.
- 6.1 While replying to questions or supplementaries thereon or during discussion on Bills, Resolutions, Motions in Parliament, at times, Ministers give assurances, for taking certain action or furnishing the required information. The Government is obliged to fulfill these assurances and present a Report to the respective Houses. Ministry of Parliamentary Affairs is the coordinating agency to ensure that the Ministries fulfill their assurances in time.

### GENERAL PROCEDURE

- 6.2 The Ministry extracts from the daily proceedings of both Houses, assurances given by Ministers and forward the same to the Ministries/Departments concerned for taking necessary action thereon. There is a set of expressions for each House which constitute an assurance. These expressions are illustrative and not exhaustive. While treating statement of Minister as an assurance, due consideration is given to the context in which it has been made and whether it is capable of being fulfilled within a reasonable time frame.
- 6.3 All assurances given are required to be fulfilled within a period of three months. Where delay is anticipated by the Ministry on account of some genuine difficulties in fulfilling an assurance or they do not find it feasible to fulfill an assurance for any valid reason, the Ministries/Departments request Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats direct for extension of time or dropping of an assurance as the case may be, under intimation to this Ministry.
- 6.4 The Implementation Reports received from administrative ministries concerned in fulfillment of assurances are laid on the Table of the Lok Sabha and Rajya Sabha as the case may be by the Minister/Minister of State for Parliamentary Affairs. After the laying of Implementation Reports, copies of the Reports laid are supplied to the Members concerned and are also kept in the Parliament Library. The concerned Ministries/Depts. are also informed about the laying of the Implementation Reports.
- 6.5 During the period under report, 598 assurances were given in Lok Sabha. Out of which 147 were laid on the Table of the House, none was dropped by the Committee on

Government Assurances (CGA), Lok Sabha and remaining 451 were pending. Apart from this, total Implementation Reports (IRs) in respect of 1060 assurances (including 8 part), pertaining to previous years were also laid on the Table of the House. Similarly, out of the total 392 assurances given in Rajya Sabha during the period under report, 109 were laid on the Table of the House, 4 was dropped by the CGA, Rajya Sabha Secretariat and remaining 279 were pending. Apart from this, total Implementation Reports in respect of 513 assurances (including 32 part), pertaining to previous years also were laid on the Table of the House. The details of Assurances given/fulfilled/dropped during the years 1956 to 2019 and the balance which remain to be implemented are as follows:-

#### LOK SABHA

Year	Total number of Assurances	Number of Assurances		Total Implemented	Balance	% Implementation
		Fulfilled	Dropped			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	-	1543	-	100
1957	893	893	-	893	-	100
1958	1324	1324	-	1324	-	100
1959	1138	1138	-	1138	-	100
1960	1000	1000	-	1000	-	100
1961	1244	1244	-	1244	-	100
1962	1333	1333	-	1333	-	100
1963	781	781	-	781	-	100
1964	883	883	-	883	-	100
1965	1073	1073	-	1073	-	100
1966	1542	1542	-	1542	-	100
1967	2116	2116	-	2116	-	100
1968	4174	4174	-	4174	-	100
1969	4260	4260	-	4260	-	100
1970	3331	3331	-	3331	-	100
1971	1824	1824	-	1824	-	100
1972	1577	1577	-	1577	-	100
1973	1757	1757	-	1757	-	100
1974	1789	1789	-	1789	-	100
1975	925	925	-	925	-	100

Year	Total number of Assurances	Number of Assurances		Total Implemented	Balance	% Implementation
		Fulfilled	Dropped			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1976	521	521	-	521	-	100
1977	889	889	-	889	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	1069	1069	-	1069	-	100
1980	1105	1105	-	1105	-	100
1981	1587	1587	-	1587	-	100
1982	1541	1541	-	1541	-	100
1983	1726	1726	-	1726	-	100
1984	1284	1284	-	1284	-	100
1985	783	783	-	783	-	100
1986	1098	1098	-	1098	-	100
1987	2616	2616	-	2616	-	100
1988	1171	1171	-	1171	-	100
1989	1867	1867	-	1867	-	100
1990	2396	2396	-	2396	-	100
1991	1674	1674	-	1674	-	100
1992	2195	2195	-	2195	-	100
1993	1759	1759	-	1759	-	100
1994	2524	2524	-	2524	-	100
1995	1465	1465	-	1465	-	100
1996	700	700	-	700	-	100
1997	2093	2093	-	2093	-	100
1998	1127	1127	-	1127	-	100
1999	748	747	-	747	1	99.87
2000	1721	1718	-	1718	3	99.83
2001	1528	1527	-	1527	1	99.93
2002	1505	1501	-	1501	4	99.73
2003	1407	1401	-	1401	5	99.57

Year	Total number of Assurances	Number of Assurances		Total Implemented	Balance	% Implementation
		Fulfilled	Dropped			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
2004	905	896	-	896	9	99.01
2005	1733	1721	-	1721	12	99.31
2006	1073	1058	-	1058	15	98.6
2007	1282	1270	-	1270	12	99.06
2008	1111	1095	-	1095	16	98.56
2009	1313	1280	-	1280	33	97.49
2010	1597	1534	-	1534	63	96.06
2011	1889	1782	-	1782	107	94.34
2012	1945	1825	-	1825	120	93.83
2013	1356	1261	-	1261	95	92.99
2014	1460	1254	-	1254	206	85.89
2015	1330	1071	-	1071	259	80.53
2016	1297	948	-	948	349	73.09
2017	847	485	-	485	362	57.26
2018	529	147	-	147	382	27.79
2019	69	0	-	0	69	0
	<b>95997</b>	<b>93873</b>	-	<b>93873</b>	<b>2123</b>	<b>97.79</b>

## RAJYA SABHA

Year	Total number of Assurances	Number of Assurances		Total Implemented	Balance	% Implementation
		Fulfilled	Dropped			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	373	373	-	373	-	100
1957	238	238	-	238	-	100
1958	287	287	-	287	-	100
1959	235	235	-	235	-	100
1960	233	233	-	233	-	100
1961	257	257	-	257	-	100

Year	Total number of Assurances	Number of Assurances		Total Implemented	Balance	% Implementation
		Fulfilled	Dropped			
1962	479	479	-	479	-	100
1963	218	218	-	218	-	100
1964	349	349	-	349	-	100
1965	1342	1342	-	1342	-	100
1966	436	436	-	436	-	100
1967	495	495	-	495	-	100
1968	827	827	-	827	-	100
1969	1104	1104	-	1104	-	100
1970	591	591	-	591	-	100
1971	447	447	-	447	-	100
1972	832	832	-	832	-	100
1973	1009	1009	-	1009	-	100
1974	724	724	-	724	-	100
1975	384	384	-	384	-	100
1976	781	781	-	781	-	100
1977	1117	1117	-	1117	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	748	748	-	748	-	100
1980	1391	1391	-	1391	-	100
1981	1688	1688	-	1688	-	100
1982	1466	1466	-	1466	-	100
1983	1472	1472	-	1472	-	100
1984	1082	1082	-	1082	-	100
1985	1315	1315	-	1315	-	100
1986	1295	1295	-	1295	-	100
1987	1810	1810	-	1810	-	100
1988	1705	1705	-	1705	-	100
1989	1420	1420	-	1420	-	100
1990	1642	1642	-	1642	-	100
1991	1678	1678	-	1678	-	100

Year	Total number of Assurances	Number of Assurances		Total Implemented	Balance	% Implementation
		Fulfilled	Dropped			
1992	2052	2052	-	2052	-	100
1993	1544	1544	-	1544	-	100
1994	1261	1261	-	1261	-	100
1995	740	740	-	740	-	100
1996	672	672	-	672	-	100
1997	906	906	-	906	-	100
1998	232	232	-	232	-	100
1999	261	260	-	260	1	99.62
2000	706	705	-	705	1	99.86
2001	382	382	-	382	-	100
2002	677	675	-	675	2	99.7
2003	843	841	-	841	2	99.76
2004	545	540	-	540	5	99.08
2005	1156	1148	-	1148	8	99.31
2006	858	853	-	853	5	99.42
2007	974	966	-	966	8	99.18
2008	678	669	-	669	9	98.67
2009	995	987	-	987	8	99.2
2010	1082	1041	-	1041	41	96.21
2011	1003	976	-	976	27	97.31
2012	1115	1056	-	1056	59	94.71
2013	686	643	-	643	43	93.73
2014	1189	1089	-	1089	100	91.59
2015	907	781	-	781	126	86.11
2016	984	803	-	803	181	81.61
2017	481	358	-	358	123	74.43
2018	327	109	4	113	214	34.56
2019	65	0	-	-	65	0
	<b>56446</b>	<b>55414</b>	<b>4</b>	<b>55418</b>	<b>1028</b>	<b>98.18</b>



### **ACTION TO CLEAR PENDING ASSURANCES**

6.6 The Ministry of Parliamentary Affairs has been vigorously pursuing with all the Ministries/ Departments concerned for ensuring early implementation of the pending assurances given to Parliament. Periodic reviews are undertaken and the Ministries/Departments are reminded to expedite implementation of the assurances. As a result of the drive conducted by this Ministry, there has been a marked improvement in the pace of implementation of Assurances

### **REPORT OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES**

6.7 The Committee on Government Assurances, Lok Sabha presented its 67th, 68th, 69th, 70th, 71st & 72nd reports on 04.01.2018, 73rd, 74th, 75th & 76th reports on 05.04.2018 and 77th, 78th, 79th, 80th, 81st & 82nd reports on 09.08.2018, 83rd, 84th, 85th, 86th, 87th, 88th, 89th & 90th reports on 08.01.2019 and 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th, 97th, 98th, 99th, 100th & 101st reports on 12.02.2019 to the Lok Sabha. Similarly the Committee on Government Assurances, Rajya Sabha presented its 72nd report on 31.12.2018 to the Rajya Sabha.

## CHAPTER - VII

# MATTERS RAISED UNDER RULE 377 IN THE LOK SABHA AND SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 180 A-E IN THE RAJYA SABHA

### At a Glance

- As on 31.12.2017, 1148 matters under Rule 377 in Lok Sabha and 304 Special Mentions in Rajya Sabha were pending.
- 876 matters under Rule 377 in Lok Sabha and 155 Special Mentions in Rajya Sabha were made during the period 01.01.2018 to 31.03.2019.
- Out of total 2024 matters under Rule 377, 135 matters have been replied to leaving a balance of 1889 matters.
- Out of total 459 Special Mentions, 151 have been replied to leaving a balance of 308 Special Mentions.

### Matters raised under Rule 377 (Lok Sabha)

7.1 Under Rule 377 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, Members are allowed to raise matters which are not points of order or which have not been raised during the session under any other Rule. Members are required to give notice for raising a matter under this Rule in a standard form enclosing the text of the statement not exceeding 150 words. The matters can be raised only with the permission of the Speaker. Under the Rule, a Member can raise only one 'matter' during a week. As per decision taken in the meeting of Hon'ble Speaker, Lok Sabha with Leaders of parties, a maximum of 20 matters are allowed to be raised per day.

### Special Mentions under Rule 180A-E (Rajya Sabha)

7.2 Under Rule 180A to 180E of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, subject to fulfilling of the conditions of admissibility, Members are allowed to make Special Mentions on matters of public importance in Rajya Sabha. Members are required to give notice for raising a matter under this Rule to the Secretary- General in the prescribed form enclosing the text of the Special Mention not exceeding 250 words. Unless the Chairman otherwise directs, a Member can raise only one 'matter' during a week and total number of Special Mentions to be admitted for a day should not ordinarily exceed seven. Any member who proposes to associate himself with a particular Special Mention may do so with the permission of the Chairman.

### Follow-up action

7.3 The extracts of the proceedings relating to these matters raised in the two Houses are sent to the Ministries concerned by the Parliament Secretariat normally on the following

day on which the matters are raised. The Ministry of Parliamentary Affairs also sends weekly statements containing the gists of the matters raised in the two Houses, to the Ministries concerned to enable them to cross-check the matters raised in respect of their Ministry with reference to the extracts received by them from two Secretariats, with a view to ensuring that no item is lost sight of. The Ministries are expected to take action on each of the points raised by Members and communicate the requisite information to the Members concerned under intimation to the concerned Parliament Secretariat and the Ministry of Parliamentary Affairs within a period of one month from the date on which the matter is raised in the House.

- 7.4 At the end of year 2017, 1148 matters were pending in the Lok Sabha and 308 Special Mentions were pending in the Rajya Sabha. During the period from 01.01.2018 to 31.03.2019, 876 matters were raised in the Lok Sabha, making a total of 2024 matters raised under Rule 377 in the Lok Sabha and 155 matters were raised in the Rajya Sabha, making a total of 459 Special Mentions made in the Rajya Sabha. As per intimations received in this Ministry, replies in respect of 135 Lok Sabha matters have been sent to the members concerned leaving a pendency of 1889 matters as on 31.03.2019. As regards corresponding position in the Rajya Sabha, replies in respect of 151 Special Mentions have been sent to the Members concerned and the remaining 308 Special Mentions are still pending as on 31.03.2019.

#### **Action on Matters raised after the Question Hour (Zero Hour)**

- 7.5 (i) After the Question Hour i.e. during so called 'Zero Hour', members in both Houses, with the permission of the Presiding Officer, raise matters of urgent public importance. Sometimes, matters are also raised by members without prior permission. It is not mandatory on the part of the Ministers, except where directed by the Chair to reply to such points immediately when they are raised in the House or subsequently through formal communications, although sometimes, Ministers do react in the House to the points raised by Members.
- (ii) The Minister of Parliamentary Affairs/Minister of State for Parliamentary Affairs, sometimes, intervenes on such occasions and assures the House that the points raised by them would be brought to the notice of the Ministers concerned for necessary action. The Presiding Officers also sometimes give directions/make observations on various issues raised in the two Houses during Zero Hour. The Ministry of Parliamentary Affairs then forward the relevant extracts of such matters from the proceedings of the House to the Minister(s) concerned under the signature of the Minister or Minister of State for Parliamentary Affairs preferably on the same day, for appropriate action.
- (iii) Consequent upon a decision taken by the Ministry on 20.9.2000, the Ministry has also been forwarding, since Winter Session, 2000, the extracts from the proceedings of the Houses in respect of those matters raised during Zero Hour on which there were no direction by the Presiding Officers/assurance by the Ministers of Parliamentary

Affairs, to the concerned Ministries/Departments for information and such action as considered necessary.

- 7.6 During the period from 05.02.2018 to 31.03.2019, 787 matters raised in the two Houses during Zero Hour (Lok Sabha: 638, Rajya Sabha: 149) were forwarded to the Ministries/Departments concerned for appropriate action. Out of these, 10 matters (Lok Sabha: 4, Rajya Sabha: 6) were forwarded at the Minister's level.

## CHAPTER - VIII

# CONSULTATIVE COMMITTEES

### At a Glance

- 34 Consultative Committees are functioning for various Ministries.
- 83 meetings of Consultative Committees were held during the period from 01.01.2018 to 13.02.2019

### Historical Background

- 8.1 The present Consultative Committees of Members of Parliament and their broad features, owe their origin to a suggestion by the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru in 1954 in a note circulated to the Members of the Cabinet. Shri Nehru wanted some kind of Standing Advisory Consultative Committees of Parliament to provide opportunity to Members to have some glimpse into the working of the Government which would also have the effect of reducing the number of questions asked by Members. Accordingly, Informal Consultative Committees were constituted for various Ministries/Departments of the Government of India in the year 1954.
- 8.2 In 1969, discussions were held with Leaders of Opposition Parties/Groups in Parliament and detailed guidelines were drawn up for constitution and functioning of these Committees. It was also then decided that these Committees would be known as "Consultative Committees" retaining, however, the informal nature of deliberations in these Committees. Since then several decision were taken and certain conventions were evolved and there was a need to revise these guidelines. In the meeting of Chief Whips/Whips/Deputy Leaders of various political parties in Parliament held under the Chairmanship of the Minister of Defence and Leader of the House (Lok Sabha) on 21.7.2005, revised guidelines incorporating these decisions and conventions were finalized which were also approved by the Cabinet on 02.09.2005. These Committees have, since then, been functioning under these guidelines (Appendix VII).
- 8.3 The main features of these Committees, as per Guidelines, are as under:-
- i. The membership of these Committees is voluntary and is left to the choice of the Members and the Leaders of their Parties.
  - ii. The main objective of these Committees is informal consultation between the Government and the Members of Parliament on the policies and programmes of the Government and the manner of their implementation.
  - iii. The Committees are chaired by the Ministers in-charge of the respective Ministries to which the Committees relate.
  - iv. The maximum membership of a Committee is 30. The Committee is normally constituted if there are 10 or more Members who have chosen to be nominated on the Committee.

- v. Members can be nominated as Permanent Special Invitees on a Consultative Committee if they have special interest in the subjects of a particular Ministry/ Department. A maximum of 5 Members can be nominated as Permanent Special Invitees on a Consultative Committee. Permanent Special Invitees are, however, not entitled to TA/DA for attending the meetings of the Consultative Committees.
  - vi. Six Meetings of the Committees should normally be held during a year - three meeting during Session periods and three meetings during Inter- Session periods. Of the six meetings of the Consultative Committee in a year, it shall be mandatory to hold four meetings – three meetings during inter-session period and one meeting either during session or inter session period.
  - vii. Agenda items are either called from Members or decided by the Ministries themselves in consultation with the Members of the Committee.
  - viii. Members, who are not Members of a Committee, may be invited to the meetings of the Committee as special invitees, with the approval of Minister of Parliamentary Affairs, if any subject given notice of by them for consideration in the meeting, has been included in the agenda or if they express desire to participate in the discussion of any meeting of such Committee.
  - ix. No decisions are taken by these Committees. However, where there is unanimity of view in the Committee, Government will normally accept the view subject to certain conditions laid down in the guidelines.
  - x. Senior Officers of the Ministries are present at the meetings to assist the Ministers and to furnish any clarifications required.
  - xi. In keeping with the informal nature of discussion at the meetings, the guidelines make it incumbent on the Members and also on the Government not to mention on the floor of either House about anything that happens in the meetings of these Committees.
  - xii. No Sub-Committee of a Consultative Committee shall be constituted.
- 8.4 Consultative Committees are normally constituted after a new Lok Sabha is constituted, after general elections for the Lok Sabha. Total 34 Consultative Committees have been constituted for various Ministries for the 16th Lok Sabha (Appendix -VIII).
- 8.5 The details regarding the meetings of the Consultative Committees held during the period under report and important subjects discussed therein are given in Appendix-IX.
- 8.6 In terms of the Guidelines on Constitution, Functions and Procedures of Consultative Committees, one meeting of a Consultative Committee in a calendar year can be held outside Delhi, anywhere in India, during an inter-session period if the Chairman/ Chairperson of the Committee so desires.

**During the period under report, meetings of the Consultative Committees of the following Ministries were held outside Delhi:-**

S. No.	Name of the Consultative Committee attached to the Ministry of	Date and place of Meeting
1.	Ministry of Steel	15.05.2018 at Mount Abu, Rajasthan
2.	Ministry of Food Processing Industries	25.05.2018 at Sonapat, Haryana
3.	Ministry of Housing and Urban Affairs	08.06.2018 at Surat, Gujarat
4.	Ministry of Petroleum and Natural Gas	11.06.2018 at Lucknow, Uttar Pradesh
5.	Skill Development and Entrepreneurship	12.06.2018 at Lucknow, Uttar Pradesh
6.	Ministry of Development of Noth Eastern Region	14.06.2018 at Jammu & Kashmir
7.	Ministry of Labour and Employment	28.06.2018 at Tirupati, Andhra Pradesh
8.	Ministry of Agriculture and Farmer Welfare	02.07.2018 at Rameswaram, Tamil Nadu
9.	Ministry of Coal	05.07.2018 at Neyveli, Tamil Nadu
10.	Ministry of Home Affairs	06.07.2018 at Kochi, Kerala
11.	Ministry of Water Resources Dev.& Ganga Rejuvenation	11.07.2018 at Mussoorie, Uttarakhand
12.	Ministry of Tourism	10.09.2018 at Kovalam, Kerala
13.	Ministry of Power and New Renewable Energy	12.10.2018 at Hyderabad
14.	Ministry of Social Justice and Empowerment	29.10.2018 at Kochi, Kerala
15.	Ministry of Defence	17.11.2018 at Mumbai Maharashtra
16.	Ministry of Rural Dev, Ministry of Panchyati Raj and Ministry of Mines	21.01.2019 at Gujarat
17.	Ministry of Steel	28.01.2019 at Goa
18.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	28.01.2019 at Bengaluru, Karnataka

## CHAPTER - IX

## EXCHANGE OF GOVERNMENT SPONSORED DELEGATION OF PARLIAMENTARIANS

### At a Glance

- An Indian Goodwill Delegation of Parliamentarians visited Italy and Germany.
  - Minister of Parliamentary Affairs nominated 5 Members of Parliament on various Government delegations sent abroad.
- 9.1 In the continuously and rapidly changing international scenario, the need to project and propagate our national policies, programme and problems in the proper perspective among various countries as well as understanding their view points was being felt for a long time. The Parliamentarians of a country play a significant role in determining the policies of the country and strengthening of relations with other countries. More particularly, it is indeed useful and necessary for a democratic and developing country like India to select some Members of Parliament and distinguished personalities and utilize their services in projecting our policies, programmes, problems and achievements in different fields with their counterparts and other opinion makers in other countries and secure their support in favour of India. Undoubtedly, to achieve the aforesaid objectives, the exchange of Government sponsored Delegation of Members of Parliament proved to be effective. Therefore three to four delegations of Members of Parliament, under the leadership of Minister of Parliamentary Affairs/Ministers of State for Parliamentary Affairs and comprising Chief Whips and Members of various Political Parties in the two Houses of Parliament, chosen by respective political parties, visit various countries. Ministry of Parliamentary Affairs also receives such delegations from other countries.
- 9.2 In consultation with the Ministry of External Affairs, concerned mission of India in Italy and Germany and with the approval of the Hon'ble Prime Minister, it was decided to send a Goodwill Delegation of Parliamentarians to Italy and Germany from 15th October, 2018 to 19th October, 2018. The Goodwill Delegation of Parliamentarians was led by Shri Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. The delegation comprised of the following Members:-



1.	<b>Shri Arjun Ram Meghwal,</b> Minister of State for Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation	<b>Leader of the the Delegation</b>
1.	Shri Shamsher Singh Manhas, MP (RS)	BJP
2.	Shri K.C. Venugopal, MP (LS)	INC
3.	Shri Narayanasamy Ramachandran MP (LS)	AIADMK
4.	Dr. Kulamani Samal, MP (LS)	BJD
5.	Dr. (Smt.) Mamta Sanghamita Chowdhury, MP (LS)	AITC
6.	Shri Krupal Balaji Tumane, MP (LS)	Shiv Sena
7.	Shri Ravi Prakash Verma, MP (RS)	SP
The following officers from Ministry of Parliamentary Affairs accompanied the delegation-		
1.	Shri Surendra Nath Tripathi, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs	
2.	Shri Anshu Bhardwaj, Additional Private Secretary to Minister of State and Leader of the Delegation	
3.	Shri Sharad Dwivedi, Under Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs	

### **Details of Visit of the Delegation to Rome, Italy**

#### **Meeting with Mr. Riccardo Fraccaro Hon'ble Cabinet Minister for Parliamentary Affairs, Italy and other Members on 16th October, 2018**

9.3 Mr. Riccardo Fraccaro, Hon'ble Cabinet Minister for Parliamentary Affairs, Italy welcomed the Indian Goodwill Delegation of Parliamentarians. Shri Arjun Ram Meghwal, Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs, Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation who was the Leader of the Delegation introduced the Indian Goodwill Delegation to Cabinet Minister for Parliamentary Affairs of Italy. Leader of the delegation expressed his views on vibrant democracy and multiparty system in India. He emphasised to have more interaction between parliamentarians of both the sides which plays an important role in enhancing understanding between two countries and strengthening people-to-people ties and hoped that the meeting will boost friendship in between Italy and India and will contribute to vitality of bilateral relationship. Hon'ble Leader of the delegation drew the attention of Italian side towards the travel of Venetian merchant Marco Polo in the 13th Century and expressed that we have long historical relationships and cultural values. It was also expressed that India and Italy can do a lot in number of areas including economic, scientific, cultural and other fields. Hon'ble Leader of the delegation thanked to Italy for its support on Non-Proliferation Treaty and cooperation from the Italian side was sought to disrupt terrorism from its root to promote peace and welfare in the world. Hon'ble Leader of the delegation specially thanked to

Italian side for celebrating International Yoga Day on 21st June every year. It was also highlighted during the meeting that Hon'ble Prime Minister of Italy was leading the Italian Delegation to India-Italy Technology Summit which held in Delhi on 29th-30 October, 2018 and expressed happiness over this and it had been expected that a big delegation of Officials, Scientists and Entrepreneurs would visit to India to explore opportunities for joint ventures, research and development, technology transfer and so on during the Technology Summit. They have been reminded that due to momentum in exchange of high level visits between two countries, various agreements have been resulted in a wide range of sectors covering renewable energy, railways, bilateral investments, diplomatic training, cultural cooperation, health and agriculture. India also sought the support of Italy for the non permanent seat of the Security Council for the period 2021-2022 as election for this is to be held in 2020. Delegation also expressed their views with Italian side that our linkage may also form a solid foundation for our relations through interest of Italian Citizens in Indian Culture, music, dance, Yoga and Ayurveda.

#### **Meeting with Mr. Riccardo Fraccaro, Hon'ble Cabinet Minister for Parliamentary Affairs, Italy**



Meeting with Ms. Marta Grande, President of the Foreign Affairs Committee of the Chamber of Deputies and other Members at Palazzo Montecitorio on 16th October, 2018

- 9.4 Ms. Marta Grande, President of the Foreign Affairs Committee of the Chamber of Deputies of Italy along with other Members of the Committee welcomed the Indian Goodwill Delegation and introduced themselves to the Indian side. Hon'ble Leader of the Indian Delegation introduced himself and other Members of the delegation to the Italian side and expressed his happiness for Ms. Marta Grande for being first woman of Italian republican history as the President of the Foreign Committee Affairs. During

the meeting, it was discussed that bilateral relations in between India and Italy will be more strengthened if Italy extends technological co-operations to India in the field of industries related to leather, textiles, renewable energy, aero-space, education and cultural heritage. Hon'ble Leader of the delegation invited the Italian side to come to India at the earliest in Technology Summit which held in the Month of October, 2018 thereupon, Hon'ble President of the Foreign Affairs Committee of the Chamber of the Deputies thanked Indian side for extending invitation. It is pertinent to note that the Technology Summit focussed on seven specific sectors- Clean-tech, Renewable Energy, ICT, Health Care, Aerospace, Education and Cultural Heritage which will boost the relations in between Italy and India. A need was also felt from both the sides for such regular visits to strengthen parliamentary democracy and bilateral relations. During the meeting matter related to arrest of Italian Marine Salvatore Girone and fellow Marine Massimiliano Latorre was raised by the Italian side, then Hon'ble Leader of the delegation expressed that the matter is sub-judice in the Hon'ble Supreme Court of India and law will take its own course. It was told to them that India is interested to settle the marine issue at the earliest and due to this issue, relation in between India and Italy should not suffer as we appreciate the culture, heritage and music etc. of both the sides. There was moment for happiness to know that Italy celebrates the International Yoga Day on 21st June every year. From the Italian side some members emphasised that India should also play a role in exploring new trade routes with Italy. From our side it was stated that like other countries, India has a great cultural history and it is a global actor.





Meeting with Ms. Marta Grande, President of the Foreign Affairs Committee of the Chamber of Deputies of Italy

### **Meeting with Mr. Vito Rosario Petrocelli, President of the Foreign Affairs Committee of the Senate and other Members at Palazzo Madama on 16th October, 2018**

9.5 Mr. Vito Rosario Petrocelli, President of the Foreign Affairs Committee of the Senate of Italy welcomed the Indian Goodwill Delegation of Parliamentarians. The President of the Committee emphasised to strengthen mutual understandings and political relationship in between India and Italy. Thereupon, Hon'ble Leader of the Delegation thanked to the President of the Committee for warm welcome of delegation and stressed that both the countries may play a major role to boost the relations and people-to-people tie up. While introducing the delegates to the Foreign Affairs Committee of the Senate Hon'ble Leader of the Delegation underlined the Indo-Italian historical relations from the time of Roman Empire and remembered the great journey of Merchant Marco Polo to India. He also underlined the role of Late Mr. Giuseppe Garibaldi and Late Mr. Sardar Vallabhbhai Patel in unification of states in Italy and India respectively informing the Committee about existence of vibrant democracy in Italy and India. It was emphasised that both the countries should work together to boost the economic relations and both must have potential to develop joint ventures in new areas. It was also requested to them to co-operate the Indian side industries related to leather, textiles and food processing. One Senator from the Committee expressed his view that India is a wonderful country and Indian community is a peaceful community stating that Italy and India have a common civilization and Indian community contributes much to GDP of Italy. The delegates from our side emphasised that Italian expertise can be provided to India to develop the skills of Indians working in different sectors of industries. Overall, for having the economic development and good relations from both the sides, the need was felt to have the cooperation in between both the countries in the area of culture, language, health, business and science and technology.



Meeting with Mr. Vito Rosario Petrocelli, President of the Foreign Affairs Committee of the Senate of Italy

## **Details of Visit of the Delegation to Berlin, Germany**

### **Meeting with Mr. Wolfgang Kubicki, Vice President of Bundestag at Bundestag on 18th October, 2018**

- 9.6 Mr. Wolfgang Kubicki, Vice President of German Bundestag who is a member of Bundestag from Free Democratic Party (FDP) along with other members welcomed the delegation and introduced themselves. Hon'ble Leader of the delegation thanked to the Vice President of Bundestag for warm welcome of the delegation and later-on introduced the delegation to the Vice President. Hon'ble Leader of the Delegation expressed that India and Germany are sailing on same boat as we both have democracy, Constitution and system of Election of Members of Parliament. During the discussion in the meeting it was mentioned that the session of Bundestag normally exists for two weeks in a month which begins on Monday. German side informed us that there is 30 percent woman representation in Bundestag. It is pertinent to note that in German Parliament on absence of Member from the proceedings of the House there exists a mechanism of fine to the member. In Germany, Financial Year and Calendar year are same i.e. January to December of every year. Members also exchanged views about taxation and allocation of budget to the States.



Meeting with Mr. Wolfgang Kubicki, Vice President of Bundestag at Bundestag of Germany

### **Lunch meeting with India-Germany Parliamentary Friendship Group at Bundestag at golden Hall, Jakob Kaiser Haus on 18th October, 2018**

9.7 After warm welcome by Mr. Dirk Wiese, Chairman of India-Germany Parliamentary Friendship Group [He is a Member of Bundestag from Social Democratic Party (SDP)], members from both the sides introduced themselves. Hon'ble Leader of the delegation informed other side that India has vibrant democracy and great grass root civilization. India and Germany being friends may cooperate to each other in the area of technology and skill development and Germany being expert may play a major role in developing skills of human resources in India. During the discussion information was sought from other side about the influence of China on India, thereupon Hon'ble Leader of the Delegation and other members from our side emphasised that India is competent to deal with China and on this platform, we are here to worry on overall development and having a good bilateral relation in between India and Germany. It was told to them that India is a progressive country having high growth of trajectory and Germany should extend cooperation to India in technology and we must boost our trade relations. Hon'ble Leader of the Delegation told about ancient relations of India and Germany remembering Friedrich Max Muller, a great academician/scholar who translated Upnishads and continued to research on Sanskrit and became the leading intellectual commentator on the culture of India. He devoted himself to the study of Sanskrit language and became one of the major Sanskrit scholars of his day. Attention of the Friendship group was also drawn towards role of Germany in developing Vishakhapatnam, Coimbatore and Bhubaneswar as smart cities in India. Role and importance of the Election Commission of India was also discussed which plays a great role in election of new Government at the Central as well as State levels in free, fearless and impartial manner. Members of our delegation also sought

expertise of German side in the field of health care, agriculture etc. Germany told us that every German citizen is insured by providing health insurance to them and Chairman of the Friendship Group also pointed out the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Ayushman Bharat Programme of India which has been recently introduced by our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It was pertinent to note that in health care sector, a specific doctor has been allotted specific number of citizens for their healthcare. It was also told to them that Kochi in India has become first SOLAR power run airport of the world and thereby both the countries can help each other in their field of expertise. Hon'ble Leader of the delegation expressed that exchange of Film Festival Programmes may be done to know the cultural heritage and the language of each other in depth.



Lunch meeting with India-Germany Parliamentary Friendship Group at Bundestag of Germany

### **Meeting with Mr. Hansjoerg Durz, MP and Deputy Chairperson of Committee on Digitalization at Bundestag on 18th October, 2018**

9.8 During the meeting with Mr. Hansjoerg Durz, MP and Deputy Chairperson of Committee on Digitalization at Bundestag, concerns were raised from both the sides for cyber safety of data of people and it was discussed that what mechanism is there to make the data safe. It was also discussed that how the safety of women is ensured from various cyber crimes through digitalization. Deputy Chairperson of the Committee on Digitalization expressed his views that without security there would not be a trust and if some organization is affected through IT, there must be some system to register with some specific authority for redressal of a particular type of problem arised through cyber crimes. It was also told that in Germany, there exists a Network Enforcement Act which regulates cyber related problems and illegal contents from any particular sites are removed with in 24 hrs.



Meeting with Mr. Hansjoerg Durz, MP and Deputy Chairperson of Committee on Digitalization at Bundestag

**Meeting with Dr. Norbert Roettgen, Chairperson of Foreign Affairs Committee at Bundestag on 19th October, 2018**

9.9 After welcome of the Delegation by the Chairperson of Foreign Affairs Committee of Bundestag, Hon'ble Leader of the Delegation thanked to him for warm welcome of Indian delegation. During the discussion it was emerged that there is some apprehension/ confusion in the mind of German side regarding relations in between India and Germany and there was point that how the relations between two countries can be improved. So, Hon'ble Leader of the Delegation expressed before them that there must not be any



misunderstanding with Indo-German relations as we are good friends and it would be better to receive a German Delegation in India to enhance the vitality, goodwill gesture on both the sides and it was hoped that we would do more than it was done in past. Hon'ble Leader of the Delegation invited German side to come to India and told them that we are eager to welcome you people so that our bilateral relations can attain a height. It was also told to them that there have been historical relations in between Germany and India from the era of Friedrich Max Muller. Other Members of the Committee from both the sides expressed their concern that what can be done to strengthen the relations in between Germany and India. Delegates from our side suggested that we both should go for economic, cultural relations and should work together on the subject of business & trade, environment, education and climate change as we are qualified work force. Members from our side also sought support of Germany for having Permanent Seat to India in Security Council of the United Nations Organization.



Meeting with Dr. Norbert Roettgen, Chairperson of Foreign Affairs Committee at Bundestag

**Nomination of Members of Parliament on the Government Delegations visiting abroad.**

9.10 Minister of Parliamentary Affairs nominates/approves the names of Members of Parliament for the delegations being sent abroad by various Ministries. During period under report following Members of Parliament were nominated in the delegations/ meetings noted against each:-

1. Shri Jairam Ramesh, MP (RS)	Participation in South- East Asia Regional Parliamentarians Meeting during 26-27 July, 2018
2. Dr. Vikas Mahatme, MP (RS)	
3. Dr. Heena Vijay kumar Gavitt, MP (LS)	
4. Dr. K. Kamaraj, MP (LS)	
5. Dr. Sanjay Jaiswal, MP (LS)	

**Visit of Members of Parliament to foreign countries**

9.11 During the period under report, 11 Members of Parliament (5 Members of Rajya Sabha and 6 Members of Lok Sabha) informed this Ministry about their foreign visits. Requisite assistance, on demand, was extended to them through the Ministry of External Affairs and our Missions abroad.

**Permission under Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976**

9.12 Under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, it is inter-alia, incumbent on Members of Parliament going abroad, to obtain prior permission of the Ministry of Home Affairs, where such visits involve acceptance of “foreign hospitality” from a foreign government or organization. Members are informed by this Ministry from time to time about the procedure to be followed in this respect. Necessary assistance sought by Members in this regard is also provided.

**Permission/clearance to State Governments for Foreign Visits.**

9.13 As per Cabinet Secretariat’s guidelines (OM No. 21/1/7/94 - Cab. Dated 30.03.1995) the State Governments are required to seek/obtain clearance of the Central Administrative Ministry concerned with the subject matter, of the official visits abroad.

9.14 During the period under report, the Ministry of Parliamentary Affairs issued clearance/ no objection to the dignitaries from the Government of Gujarat in respect of Government Sponsored Delegations visiting abroad.

## CHAPTER - X

# YOUTH PARLIAMENT SCHEME

### At a Glance:-

- Following Orientation Courses in respect of various “Youth Parliament Competition” Schemes were held:-
  - a) At Mahabaleshwar on 9-10 April, 2018 for the 15th National Youth Parliament Competition, 2018-19 for Universities/Colleges.
  - b) At Constitution Club, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi on 10-11 May, 2018 for the 53rd Youth Parliament Competition, 2018-19 for schools under Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi & NDMC.
  - c) At Kolkata, Jaipur, Chennai, Bhopal & Dehradun on 16-17 April 2018, 20-21 April 2018, 3-4 May 2018, 7-8 May 2018 & 10-11 May 2018 respectively for 31st National Youth Parliament Competition, 2018-19 for the Kendriya Vidyalayas.
  - d) At National Navodaya Leadership Institute, Goa and National Navodaya Leadership Institute, Udaipur on 23-24 April, 2018 & 16-17 May, 2018 respectively for the 22nd National Youth Parliament Competition, 2018-19 for Jawahar Navodaya Vidyalayas.
- The Prize Distribution Function of the 21st National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Jawahar Navodaya Vidyalayas, 30th National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Kendriya Vidyalayas, 14th National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Universities / Colleges & 52nd Youth Parliament Competition, 2017-18 for Delhi Schools were held on 7th September, 2018, 12th September, 2018, 20th September, 2018 & 23rd October, 2018 respectively at the GMC Balayogi Auditorium, Parliament Library Building, New Delhi.

### Introduction

10.1 With a view to develop democratic ethos in younger generation, the scheme of Youth Parliament Competition was introduced for the first time in the country in the Higher Secondary Schools of Delhi in 1966-67 by this Ministry in collaboration with the Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi. To broaden the base of this activity, the schools run by the New Delhi Municipal Council (N.D.M.C.) were also brought under the ambit of Youth Parliament Scheme, from the year 1995. Youth Parliament Scheme was also extended to Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas and Universities/colleges under 3 separate schemes of National Youth Parliament Competitions. Before each competition, the Ministry organizes Orientation Courses for the benefit and guidance of the teachers in charge of participating schools/universities/colleges. At the conclusion of each competition, a prize distribution function is organized by the Ministry and the prize winning students, institutions and teachers in charge are awarded trophies, shields, certificates and mementoes.

**1. Youth Parliament Competition in the Schools under the Government of National Capital Territory (N.C.T.) of Delhi & New Delhi Municipal Council (N.D.M.C.)**

**Prize Distribution Function of the 52nd Youth Parliament Competition, 2017-18**

10.2 The Prize Distribution function of the 52nd Youth Parliament Competition, 2017-18 for the Delhi Schools was held on 23rd October, 2018 at GMC Balayogi Auditorium, Parliament Library Building, New Delhi. Prof. Ramesh Chand, Member, Niti Aayog & Sh. B.S. Bhatti, member, NDMC graced the occasion and distributed the prizes to the Prize Winners. Bharti Public School, Swasthya Vihar, New Delhi was awarded the “Pandit Motilal Nehru Running Parliamentary Shield” for emerging as the Winner of the Competition.



Prof. Ramesh Chand, Member, Niti Aayog, JS, M/o Parliamentary Affairs & Sh. BS Bharti, member, NDMC along with Teachers & Students of Bharti Public School, Swasthya Vihar

**Orientation Course for 53rd Youth Parliament Competition, 2018-19**

10.3 This Ministry conducted an Orientation Course for the benefit of teachers-in-charge of 53rd Youth Parliament Competition, 2018-19 of participating schools on 10th –11th May, 2018 at Constitution Club, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi. Necessary background material was distributed and Officers of the Ministry of Parliamentary Affairs delivered lectures to the participants.

**Evaluations of the 53rd Youth Parliament Competition, 2018-19**

The evaluations of the 53rd Youth Parliament Competition were held in December, 2018 – January, 2019.

**2. National Youth Parliament Competition for Kendriya Vidyalayas**

10.4 A separate Youth Parliament Competition scheme for Kendriya Vidyalayas was started in 1988. 31 editions of the National Youth Parliament Competitions have been completed successfully for Kendriya Vidyalayas.

#### **Prize Distribution Function of the 30th National Youth Parliament Competition, 2017-18**

10.5 The Prize Distribution function of the 30th National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Kendriya Vidyalayas was held on 12th September, 2018 at GMC Balayogi Auditorium, Parliament Library Building, New Delhi. Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister of State for Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation and Parliamentary Affairs presided over the function and distributed the prizes to the Prize Winners. Kendriya Vidyalaya, AFS, Manauri, Allahabad was awarded the Nehru Running Parliamentary Shield on this occasion. Four Kendriya Vidyalayas were awarded the Zonal Winner Trophies for their meritorious performance in their respective Zones and 20 Vidyalayas were awarded Merit trophies for their outstanding performance at regional level. Besides that, Certificates were also awarded to the prize Winning students of the participating Kendriya Vidyalayas.



Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister of State for Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation and Parliamentary Affairs & Secretary, M/o Parliamentary Affairs along with the Prize Winning students and teachers of Kendriya Vidyalaya, AFS, Manauri, Allahabad.

#### **Orientation Courses for the 31st National Youth Parliament Competition, 2018-19**

10.6 For the benefit of the teachers-in-charge of 31st National Youth Parliament, 2017-18 for Kendriya Vidyalayas, the Ministry in co-ordination with the Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hqr.), organized the following five orientation courses :-

- First Orientation Course for East Zone was held on 16th and 17th April, 2018 at KV Ballygunge, Kolkata. The Deputy/Assistant Commissioners, Principals, teachers from 5 regions i.e. Kolkata, Guwahati, Silchar, Tinsukia and Bhubaneswar participated in the Orientation Course.

- Second Orientation Course for West Zone was held on 20th and 21st April, 2018 at KV No.1 Jaipur. The Deputy/Assistant Commissioners, Principals, teachers from 5 regions i.e. Mumbai, Ahmedabad, Jaipur, Agra and Ranchi participated in the Orientation Course.
- Third Orientation Course for South Zone was held on 3rd and 4th May, 2018 at KV Anna Nagar, Chennai. The Deputy/Assistant Commissioners, Principals, teachers from 5 regions i.e. Chennai, Hyderabad, Bangalore, Ernakulam and Jabalpur participated in the Orientation Course.
- Fourth Orientation Course for Central Zone was held on 7th and 8th May, 2018 at KV Anna Nagar, Chennai. The Deputy/Assistant Commissioners, Principals, teachers from 5 regions i.e. Lucknow, Patna, Bhopal, Varanasi & Raipur participated in the Orientation Course.
- Fifth Orientation Course for North Zone was held on 10th and 11th May, 2018 at KV IMA Dehradun. The Deputy/Assistant Commissioners, Principals, teachers from 5 regions i.e. Delhi, Chandigarh, Dehradun, Gurgaon & Jammu participated in the Orientation Course.

### **Evaluation of 31st National Youth Parliament Competition, 2018-19**

10.7 During the year of report, the 31st National Youth Parliament Competition for Kendriya Vidyalayas was organized among 125 Kendriya Vidyalayas in various parts of the Country. The Competitions were first held at regional level among the participating Kendriya Vidyalayas of the respective regions. Thereafter, 5 Zonal level Competitions were held amongst the 25 regional Winners.

### **3. National Youth Parliament Competition in Jawahar Navodaya Vidyalayas**

10.8 The scheme for National Youth Parliament Competitions in Jawahar Navodaya Vidyalayas was launched in 1997 and 22 Competitions have been completed so far.

### **Prize Distribution Function of the 21st National Youth Parliament Competition, 2017-18**

10.9 Prize Distribution Function of the 21st National Youth Parliament Competition, 2017-18 was held on 7th September, 2017 at GMC Balayogi Auditorium, Parliament Library Building, New Delhi. Smt. Meenakshi Lekhi, MP (LS) presided over the function and distributed the prizes. Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kaimur (Bihar) which stood first in the Competition, gave a repeat performance of their sitting of Youth Parliament and was awarded the Running Parliamentary Shield.



Smt. Meenakshi Lekhi, MP (LS) & Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs along with the Students & Teachers of JNV Kaimur.

#### **Orientation Courses for the 22nd National Youth Parliament Competition, 2018-19 in Jawahar Navodaya Vidyalayas**

10.10 For the benefit of the teachers-in-charge of the activity of Youth Parliament, the Ministry in consultation with the Navodaya Vidyalaya Samiti, organized two orientation courses in connection with the 22nd National Youth Parliament Competition, 2018-19 as follow:-

- The first orientation course was held on 23rd and 24th April, 2018 at Navodaya National Leadership Institute, Goa for the teachers from Hyderabad, Chandigarh, Bhopal, Pune Region.
- The second orientation course was held on 16th and 17th May, 2018 at Navodaya National Leadership Institute, Udaipur for the teachers from Jaipur, Lucknow, Patna, Shillong Region.

#### **Evaluation of 22nd National Youth Parliament Competition for Jawahar Navodaya Vidyalayas, 2018-19**

10.11 The competition was held amongst 64 Jawahar Navodaya Vidyalayas in various parts of the country. The competition was held first at regional level amongst the participating Jawahar Navodaya Vidyalayas of respective regions and then at National Level amongst the Vidyalayas standing first in the respective regions.

#### **4. National Youth Parliament Competition in Universities/Colleges**

10.12 Since 1997-98, 14 National Youth Parliament Competitions have so far been held in various Universities/Colleges all over the country. The 15th edition of the Competition is in progress.

### Evaluation of 14th National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Universities/ Colleges

10.13 The competition was held among 74 Universities / Colleges in various parts of the country. These 74 institutions were grouped into 15 Groups. Group winners competed at the National level. DAV College, Jalandhar was declared as the National Winner of the Competition

### Prize Distribution Function of the 14th National Youth Parliament Competition, 2017-18 for Universities/ Colleges

10.14 Prize Distribution Function of the 14th National Youth Parliament Competition, 2017-18 was held on 20th September, 2018 at GMC Balayogi Auditorium, Parliament Library Building, New Delhi. Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister of State for Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation and Parliamentary Affairs presided over the function. DAV College, Jalandhar which stood first in the Competition, gave a repeat performance of their sitting of Youth Parliament and was awarded with the Nehru Running Parliamentary Shield. Besides, 14 other Universities/ Colleges were also awarded merit trophies for their outstanding performances at group Level. Certificates and individual prizes were also awarded to the prize winning students / teachers of these 14 universities.



Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister of State for Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation and Parliamentary Affairs & Secretary, M/o Parliamentary Affairs along with the Prize Winning students and teachers of DAV College, Jalandhar



**Orientation Course for the 15th National Youth Parliament Competition, 2018-19 for Universities / Colleges**

10.15 The Orientation Course of the Competition was held in Mahabaleshwar on 9th – 10th April, 2019

**5. Youth Parliament Competitions (YPCs) in States/UTs.**

10.16 The Ministry has a scheme for giving financial assistance to States/UTs who organize Youth Parliament Competitions at State/UT level upon request. During the period under report, requests for financial assistance were received from the States of West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh & Odisha for organizing Youth Parliament Competitions in their respective states in the Year 2017-18. The Ministry also provides necessary training and literature to encourage the States/Union Territories for introducing and running the Scheme of Youth Parliament Competition.

## CHAPTER - XI

### USE OF HINDI IN THE MINISTRY

- 11.1 For proper implementation of the Official Language Policy and provisions of the Official Language Act, 1963 and Rules made thereunder and for translation work, there is a Hindi Section in the Ministry.
- 11.2 In pursuance of Rule 10(4) of the Official Language Rules, 1976, the Ministry was notified on 5.1.1978 as an office of the Central Government whose staff has acquired working knowledge of Hindi.
- 11.3 Under Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 it is mandatory that both Hindi and English versions be used for certain purposes specified therein. Use of Hindi is obligatory for certain purposes under various provisions of the said Act. To ensure that the papers are issued bilingually or in Hindi only, a check point has been set up in the General Section (Issue Section) in the Ministry.

#### Official Language Implementation Committee

- 11.4 An Official Language Implementation Committee has been set up to ensure proper implementation of the official language policy, in the Ministry. During the period under report, five meetings of the Implementation Committee were held on 26.03.2018, 29.06.2018, 26.09.2018, 26.12.2018 and 19.03.2019.

#### Hindi Salahkar Samiti

- 11.5 To advise on matters relating to the progressive use of Hindi and for implementation of the Official Language Policy, a Hindi Salahkar Samiti is constituted in the Ministry. The tenure of the previous Samiti expired on 15 June, 2018 and now the process of its reconstitution is in progress.
- 11.6 To ensure the implementation of the provisions of the Official Language Act and Official Language Rules and to keep a constant watch on the implementation of provisions related to the use of Hindi in the Ministry, the Sections of the Ministry are inspected. During the period under report, inspection of three Sections was carried out.

#### Hindi Fortnight

- 11.7 "Hindi Fortnight" was celebrated in the Ministry from 14 September to 28 September, 2018. During the fortnight, various competitions were conducted. Employees participated in these competitions enthusiastically. During the inauguration of the fortnight, an appeal was made to the officers/employees of the Ministry to do more and more work in Hindi. During the fortnight, following seven competitions were held on-the-spot:-

1. Noting-Drafting Competition in Hindi;
2. Hindi Typing Competition;

3. Hindi Quiz Competition;
4. Quiz Competition for Non-Hindi Employees;
5. Hindi Essay Writing Competition;
6. General Hindi Translation Competition; and
7. Hindi Dictation Competition for MTS.

11.8 Due to some unavoidable circumstances, the final function of the Hindi Fortnight was held on 11 October, 2018. During the function, prizes were distributed to winners of various competitions. Prizes were awarded to 23 officers/staff members, in total, including the prize winners under the scheme of cash prize for Hindi noting & drafting (for the employees who write minimum 20,000 words in Hindi in noting and drafting in a year) **(Appendix- X)**.



Shri A.B. Acharya, Deputy Secretary, Ms. M.N. Pandey, Assistant Director, Shri S.N. Tripathi, Secretary and Shri Satya Prakash, Joint Secretary on the occasion of closing ceremony of Hindi Fortnight on 11 October, 2018

11.9 Ministry of Parliamentary Affairs was selected for the second prize of Rajbhasha Kirti Puraskar for the year 2017-18. On the occasion of Hindi Diwas i.e. 14th September, 2016, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs received the award from the Hon'ble President of India.



Shri S. N. Tripathi, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs receiving the Rajbhasha Kirti Puraskar from the Hon'ble Vice President of India on the occasion of Hindi Diwas i.e. 14th September, 2018

11.10 Out of 12 sections of the Ministry, excluding Minister's Personal Section and Research Cell, six sections are specified to do cent percent work in Hindi and the other six sections to do 50% work in Hindi. Details of work to be done in Hindi by various sections are as follows:-

1.	General Section	100%
2.	Implementation-I Section	100%
3.	Implementation-II Section	100%
4.	Hindi Section	100%
5.	Administration Section	100%
6.	Legislative-II Section	100%
7.	Youth Parliament Section	50%
8.	Protocol and Welfare Section	50%
9.	Committee Section	50%
10.	Legislative-I Section	50%
11.	Members' Emoluments Section	50%
12.	Accounts and Purchase Section	50%

### **Hindi Workshop**

11.11 To encourage the use of Hindi in the Ministry, a Hindi Workshop was conducted in the Ministry during the period under report from 29 October 2018 to 2 November, 2018. In the workshop 12 employees were imparted training on noting & drafting in Hindi. On 12 February, 2018, a special workshop was conducted for the employees of the Ministry on Official Language, Official Language Act and Official Language Rules. On 25 April, 2018, a special workshop on yoga was conducted and a special workshop on yoga was also organized on 13.6.2018 on the occasion of Fourth International Yoga Day in which Yog Guru Dr. Surakshit Goswami imparted training of yoga and meditation to the employees of the Ministry.

## CHAPTER - XII

## NATIONAL eVIDHAN APPLICATION (NeVA) for Digital Legislatures

### At a Glance

- NeVA
- National Workshop on NeVA.
- Workshops for capacity building of State legislatures.
- Video conferencing and Knowledge Sharing Sessions

### Introduction

- 12.1 Government of India has launched Digital India Programme with the vision to transform India into a digitally empowered society & knowledge economy. At present, Government of India has identified 44 Mission Mode Projects (MMPs) for implementation under Digital India Programme. e-Vidhan is one of a such Mission Mode Project (MMP) included in Digital India Programme with the approval of Cabinet. Apex Committee in its 3rd meeting held on 15th October, 2015 decided to make the Ministry of Parliamentary Affairs as 'Nodal Ministry' for implementation of e-Vidhan MMP and empowered it to take all necessary steps to promote & roll out e-Vidhan re-designated as National e-Vidhan Application (NeVA) in all the 31 States/ UTs with Legislatures on the line of Himachal Pradesh Legislative Assembly.
- 12.2 Total estimated project cost of NeVA is 698.35 Cr and funding is proposed on the pattern of Central Sponsored Scheme i.e. 60:40, NE & hilly States 90:10 and UTs 100%.
- 12.3 Apex Committee on Digital India in its 4th meeting held on 16/6/2016 decided that the funding for e-Vidhan would be provided by the Ministry of Parliamentary Affairs and technical support by MeitY. Subsequently, EFC in its two meetings held on 20th February, 2018 and on 14th December, 2018 considered e-Vidhan project for appraisal and granted in-principle approval with the direction that the Ministry may carry on with the software application development and capacity building measures with all the State/Union Legislatures.
- 12.4 In order to promote the rolling out NeVA, the Ministry of Parliamentary Affairs consulted various stakeholders and based on their overwhelming response, a Committee of experts under the chairmanship of JS (e-Gov), MeitY was constituted to finalize the Preliminary DPR of NeVA Project.
- 12.5 The CPMU will be responsible for reviewing the financial and technical progress of the project, assessment of the progress of work and to advice the project execution team, will also be responsible for new directions / approach and ensure its smoother progress

and link-up with the work going on elsewhere in any other state legislature in the country for full utilization of the capabilities available. CPMU will recommend release of fund to implementing agency on the request of SPMUs.

### **Salient Features of NeVA**

- 12.6 Paperless Assembly or e-Assembly is a concept involving of electronic means to facilitate the work of Assembly strengthening the very essence of e-democracy. It can help Assembly to become more transparent, accessible, accountable and effective in promoting democracy enabling automation of entire law making process, tracking of decisions and documents, sharing of information.
- 12.7 NeVA aims to bring all the legislatures of the country together, in one platform thereby creating a massive data depository without having the complexity of multiple applications.
- 12.8 Developed to function as a member centric application, device neutral and user-friendly app to equip all the members to handle diverse House Business smartly by putting entire information needed by them in their hand held devices/ tablets and equip all the Branches of Legislatures/ Department to handle it efficiently, creating an efficient, inclusive, zero emission-based database thereby overhauling the way our legislatures work.
- 12.9 NeVA is a de-centralized standalone generic digital application designed on HP Pattern on .NET technology. It is hosted on National Cloud -Meghraj with mirroring at local Data Centre and maintenance, security and disaster recovery for all 40 Houses have been taken care of. It can be used by 40 houses and 5300 Public Representatives. Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu, Sikkim, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala, Puducherry, Manipur Assemblies have already started using the application. Regular training through Video Conferencing is being provided by the Union Ministry of Parliamentary Affairs to all Legislatures.
- 12.10 This initiative will not only bring democracy closer to our citizens by bringing working of legislatures closer to them, by giving the citizens access to the bills, the question-answers, the documents tabled in the house in an easy manner, but will also provide an opportunity to the citizens for meaningful engagement with the democracy, thereby taking a strong step in direction of attaining substantive democracy. Central Project Monitoring Unit, Ministry of Parliamentary Affairs will provide complete technical support in terms of hardware, software and capacity building as well as financial support. A hard working NeVA team is placed to provide all the support and to help on the momentum built.
- 12.11 This application provides all relevant information like Notices, Bulletins being issued by legislatures from time to time for information of all members and other stakeholders besides contact details, Rules of Procedure, list of business, Starred/Unstarred Questions and Answers, text of Bills for introduction, consideration and passing, text of all papers laid, Committee Report, Proceedings of the House, synopsis of proceedings, provisional calendar and rotation of Ministries, News and press releases and reference materials,

information relating to composition of all Committees including details of Committee meetings, their agendas, information relating to personal claims of Members like Salary and Allowances etc. Live webcasting/TV facility is also available on this application live telecast of Lok Sabha/Rajya Sabha TVs, Doordarshan has already been enabled with provision to incorporate similar facility in respect of State Legislatures.

12.12 m-NeVA will facilitate Ministers/Members get the entire House Business including replies to questions and papers to be laid in the House, 45 minutes before the beginning of the daily proceedings whereas Hon'ble Speaker will get the entire House Business as and when available. The e-Vidhan project aims to develop a generic NeVA application on both android and IOS platform.

12.13 CPMU, MPA has also come up with the NeVA Ver2.0 and the latest updated mobile application subject to various modifications in terms of design and functionality.

12.14 Himachal Pradesh is already the first completely Digital Legislature of the country. Other states like Punjab, Madhya Pradesh & Sikkim are also in various stages of transformation and their initiatives are highly commendable. The idea behind a uniform platform, with a uniform functionality across all the legislatures is to ensure Effective and Easy Engagement with all the stakeholders in this process.

12.15 Inside the House NeVA will support a digital eBook format accessible through member's login. NeVA-mobile app will make its contents accessible even without a touch-screen device installed in the House through mobile and tablets. GoI will support NeVA through NIC and hardware, facilitation centres and capacity building of officials and personnels for all 40 Houses. Funding under this scheme will be based on Centrally Sponsored Scheme pattern. Stand-alone version customised for each house, hosted on Cloud server, training Literature and User Manual for same has been put in place. States may start keying in data for their upcoming sessions.

#### **Opening of CPMU in the office of the Ministry in Parliament House Annexe**

12.16 As Nodal Ministry for e-Vidhan Mission Mode Project which aims to digitize and make the functioning of State Legislatures paperless as a part of the broader Digital India Programme the Ministry is taking all the necessary steps for rolling out the Project in all the States at an early date. One of the key component of the strategy devised for implementation of the project is to create Project Monitoring Units both at Central as well as State level. To expedite and monitor implementation of NeVA throughout country new office of Central Project Monitoring Unit (CPMU), e-Vidhan has been set up at First Floor in Parliament House Annexe, New Delhi on 19th April, 2018. Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs Shri Vijay Goel inaugurated the new office of Central Project Monitoring Unit in the presence of Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs Shri Surendra Nath Tripathi and Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs Dr. Satya Prakash. Ms. Nandita Chaudhri, DDG, NIC was also present on this occasion.





Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics and Programme Implementation Shri Vijay Goel inaugurating the new office of Central Project Monitoring Unit, at CPMU NeVA, Parliament Annexe Building, New Delhi

### **National Workshop on NeVA**

12.17 Some of the States have made good progress in the field of automation of their legislatures. A two day workshop, for appraising the Nodal & other Officers from State Legislatures/ Councils to familiarize them with the features and functionalities of the NeVA App, was held on 24th and 25th September, 2018 in BPST, main lecture room, Parliament Library Building, New Delhi. The Orientation Workshop included technical sessions and group discussions over 2 days facilitating exposure for the delegates about the positive attributes of NeVA. Union Minister of State for Parliamentary Affairs, Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Shri Arjun Ram Meghwal presided over the Inaugural Session of the two day National Orientation workshop on National e-Vidhan Application (NeVA) with the sole aim to encourage all State Legislatures to move towards e-Vidhan platform to bring in transparency, accountability and responsiveness in their conduct of business, through the use of technology.

12.18 Addressing the delegates in the inaugural session, Shri Arjun Ram Meghwal said that information regarding the functioning of the Houses should be available in real time, in a format that is user friendly and increases its applicability for the member. He described instances from his Parliamentary experiences how the digitization, availability and applicability of information could save precious time, energy and resources of the Houses and its members and increase their efficiency manifold. This digital intervention is a big

step to increase transparency, accountability and decreases the scope of corruption in the functioning of House, the Minister added



Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Shri Arjun Ram Meghwal addressing Participants of National Orientation Workshop held on 24th and 25th September, 2018 in BPST, main lecture room, Parliament Library Building , New Delhi

- 12.19 Union Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics and Programme Implementation, Shri Vijay Goel presided over the Valedictory Session of the two-day National Orientation workshop on National e-Vidhan Application (NeVA), Addressing the gathering of over 200 delegates from 29 States and Union Territories, representing 36 legislatures across country including Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, Shri Vijay Goel congratulated the team of Union Ministry of Parliamentary affairs for spearheading the NeVA initiative as well as the Assembly of Himachal Pradesh for taking the lead in adopting digitalization. The Minister said that cooperation from States is of utmost importance in making this step a success. He assured full cooperation from the Union Ministry of Parliamentary Affairs to the State Legislatures in this direction.
- 12.20 Shri Vijay Goel emphasized on the need for reforms in functioning of Legislatures, including Parliament, with changing times for increasing the productivity of the Houses and efficiency of the respective members. He stressed upon the importance of imbibing suggestions from Members of Parliament and State Legislatures and make this digital initiative more lively and user friendly.

12.21 Shri Vijay Goel praised the benefits of digitalization and making Legislatures paperless, yet he firmly expressed his desire that there has to be a balance between technology, consumption of information digitally and the traditional form of functioning of Legislatures. He laid stress on the importance of intellectual debates and interpersonal relations among Members of the Houses. Adoption of technology is inevitable, yet, it should not overpower the human element in the Legislatures in the country, Shri Vijay Goel added.



Hon'ble Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics and Programme Implementation Shri Vijay Goel addressing Participants of National Orientation Workshop held on 24th and 25th September, 2018 in BPST, main lecture room , Parliament Library Building , New Delhi

12.22 Addressing the gathering, CEO, NITI AAYOG, Shri Amitabh Kant noted that with the world becoming increasingly complex with overload of information, the NeVA initiative promises to ensure ease of access of important information about functioning of Legislatures in a simplified format to everyone. He encouraged the delegates from States to adopt this revolutionary tool with open arms in respective State legislatures and ensure that information regarding functioning of Houses reaches the fingertips to all citizens.



CEO NITI Aayog Shri Amitabh Kant addressing participants of National Orientation Workshop held on 24th and 25th September, 2018 in BPST, main lecture room, Parliament Library Building, New Delhi

- 12.23 Speaking on the occasion, Secretary, Parliamentary Affairs, Shri S.N. Tripathi informed that there are over 4000 applications already running in the Parliament and State Legislatures on different subjects. He said that huge volume of information is being managed by these applications, which makes accessing the relevant information instantly very difficult. NeVA is an effort to integrate this information on one platform and giving anytime anywhere access to everyone at a click of a button, he informed.
- 12.24 Over the course of two days, a series of lectures/interactive sessions were delivered by dignitaries and experts on important features of NeVA. Technical sessions were also conducted, including a live, hands-on demonstration of the application. Session by experts from NIC explained the cloud first and mobile first architecture of NeVA application. An experience sharing session with Himachal Pradesh Assembly was also conducted where the team responsible for the implementation of the project discussed the challenges as well as the benefits of implementing the project. Through group discussions an attempt was made to answer all the queries of the participants. A consensus emerged for speedy implementation of NeVA. During the valedictory session, Shri Vijay Goel felicitated Punjab, Gujarat and Karnataka for their outstanding work in early adoption of the project.



Secretary, MPA and Joint Secretary, MPA answering queries of participants during National Orientation Workshop held on 24th and 25th September, 2018 in BPST, Main Lecture Room , Parliament Library Building , New Delhi



Group Photograph of Participants of National Orientation Workshop held on 24th and 25th September, 2018 in BPST, Main Lecture Room , Parliament Library Building , New Delhi

### Workshop for Capacity Building of State Legislatures

12.25 To further strengthen the project, two day training workshops are also being conducted at various state assemblies to train and familiarise the officials of their secretariats, NIC as well as the Nodal officers of various departments with this application. So far, such successful trainings have taken place at 13 such states viz. Punjab, Telangana, Karnataka, Sikkim, Bihar, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Gujarat, Kolkata, Assam, Jammu & Kashmir and Jharkhand with the wholehearted support of these states in organising the trainings at their place. In continuation to the earlier capacity building measures, these above mentioned trainings were augmented with the conduction of the 3 day Phase - II extensive training workshops at CPMU NeVA, Parliament House Annexe, New Delhi wherein a team of Nodal officers and the staff from the different states, which have already undergone Phase- I training were subjected to rigorous hands on training cum practical session. The schedule of the two workshops for the same is tabulated as under:-

#### Details of Workshops conducted by CPMU NeVA

S. No.	Name	Date	Location
1.	Orientation workshop for Punjab Legislative Assembly	17th-18th October, 2018	Punjab Legislative Assembly, Chandigarh
2.	Orientation workshop for Telangana Legislative Assembly and Council	23rd-24th October, 2018	Telangana Legislative Assembly, Hyderabad
3.	Orientation workshop for Sikkim Assembly	2nd-3rd November, 2018	Sikkim Legislative Assembly, Gangtok
4.	Orientation workshop for Karnataka Legislative Assembly and Council	2nd-3rd November, 2018	Karnataka Legislative Assembly, Bangalore
5.	Orientation workshop for Bihar Legislative Assembly and Council	5th-6th November, 2018	Bihar Legislative Assembly and Council, Patna
6.	Orientation workshop for Manipur Legislative Assembly	19th-20th November, 2018	Manipur Legislative Assembly, Imphal
7.	Orientation workshop for Nagaland Legislative Assembly	19th-20th November, 2018	Nagaland Legislative Assembly, Kohima
8.	Orientation workshop for Arunachal Pradesh Legislative Assembly	26th-27th November, 2018	Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Itanagar

S. No.	Name	Date	Location
9.	Orientation workshop for Gujarat Legislative Assembly	26th-27th November, 2018	Gujarat Legislative Assembly, Gandhinagar
10.	Orientation workshop for West Bengal Legislative Assembly	3rd-4th December, 2018	West Bengal Legislative Assembly, Kolkata
11.	Orientation workshop for Assam Legislative Assembly	17th -18th December, 2018	Assam Legislative Assembly, Guwahati
12.	Orientation workshop for Jammu & Kashmir Legislative Assembly and Council	12th –13th March, 2019	Jammu & Kashmir Legislative Assembly, Jammu
13.	Orientation workshop for Jharkhand Legislative Assembly	26th -27th March, 2019	Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi



Phase-I Orientation Workshop held for Karnataka Legislative Assembly and Council on 2nd-3rd November, 2018 at Karnataka Legislative Assembly, Bengaluru



Phase-I Orientation Workshop held for Arunachal Pradesh Legislative Assembly on 26th-27th November, 2018 at Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Itanagar



Lighting of Lamp by Hon'ble Speaker, Bihar Legislative Assembly and Hon'ble Chairman, Bihar Legislative Council on Phase-I Orientation Workshop held for Bihar Legislative Assembly and Bihar Legislative Council on 5th-6th November, 2018 at Bihar Legislative Assembly, Patna





Phase-I Orientation Workshop held for Gujarat Legislative Assembly on 26th-27th November, 2018 at Gujarat Legislative Assembly, Gandhinagar



Secretary MPA addressing participants during Phase-I Orientation Workshop held for Telangana Legislative Assembly and Council on 23rd-24th October, 2018 at Telangana Legislative Assembly, Hyderabad

## Details of Phase II Workshops conducted by CPMU NeVA

Name	Date	Location
Phase-II Workshop for Punjab Legislative Assembly	11th-13th March, 2019	CPMU NeVA, P.H. Annexe New Delhi
Phase-II workshop for Karnataka Legislative Assembly	18th-20th March, 2019	CPMU NeVA, P.H. Annexe New Delhi
Phase-II workshop for Karnataka Legislative Council	25th-27th March, 2019	CPMU NeVA, P.H. Annexe New Delhi
Phase-II workshop for Telangana Legislative Assembly	25th-27th March, 2019	CPMU NeVA, Annexe New Delhi



Group Photograph of Participants of Punjab Legislative Assembly attending Phase-II workshop held on 11th-13th March, 2019 at CPMU NeVA, Parliament Annexe Building , New Delhi



Group Photograph of Participants of Karnataka Legislative Assembly attending Phase-II workshop held on 18th-20th March, 2019 at CPMU NeVA, Parliament Annexe Building , New Delhi



Group Photograph of Participants of Karnataka Legislative Council attending Phase-II workshop held on 18th-20th March, 2019 at CPMU NeVA, Parliament Annexe Building, New Delhi



Secretary, MPA and Joint Secretary, MPA interacting with of Participants of Telangana Legislative Assembly & Karnataka Legislative Council attending Phase-II workshop held on 25th-27th March, 2019 at CPMU NeVA, Parliament Annexe Building, New Delhi

### **Video Conferencings Conducted for Knowledge Transfer to Nodal Officers**

12.26 Ministry of Parliamentary Affairs being the Nodal Ministry for e-Vidhan Project is taking all the necessary steps for rolling out the Project in all the States at an early date. Role of Nodal Officers appointed by the State Governments for the Project and State NIC Officers is paramount for the success of the e-Vidhan MMP. Shri Surendra Nath Tripathi, Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs interacted with the Nodal Officers from all 31 States/UTs with Legislatures as well as respective State NIC Officers through Video Conferencing (VC) from NIC Headquarter on 26th April, 2018. On this occasion, Dr. Satya Prakash, Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs, Ms. Nandita Chaudhari, DDG, NIC and other senior NIC Officers were also present.



- 12.27 During this interaction Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs gave great emphasis on the role and to be played by the Nodal officers as well as that of State Informatics Officers (SIOs) for the success of the project. Secretary explained in details the features of National e-Vidhan Application (NeVA), which is being developed as a core product to be deployed on cloud (Meghraj) mirrored to the local State servers. NeVA would be a lite, simple, easy to download & operate Application. Purpose of the NeVA is to reduce the use of papers and bring automation in managing Legislative business in the House(s). Most of the features where no editing is required would be available for use by the Citizens without any key/password. It would have very few features for exclusive use of Legislatures/ Legislators to be accessed through ID & password.
- 12.28 Secretary emphasised on the special role to be played by SIOs/ other State NIC Officers as it would be a National Project. They would be associated with the project for initial period of 2-3 years. Since, digitization of the State Legislatures is likely to contribute to the cleanliness of environment by reducing the use of papers to a great extent, keeping in view the objective of Swachhata Pakhwada being observed by the Ministry from 16th to 30th April, 2018, 26th April, 2018 was specially chosen for interaction with State Nodal Officers through Video Conferencing.
- 12.29 Secretary, MPA along with the CPMU NeVA team, has been imparting of training to the Nodal Officers of State Legislatures, through video conferencing to familiarise them with the core operation of the application besides addressing various issues regarding the same. The VCs have proved beneficial for soliciting different ideas and suggestions put forth by the various Nodal officers which has been a motivating factor in taking this project forward.

12.30 So far, 12 VCs have been conducted for the training of various stakeholders comprising Nodal officers of State/UT Assemblies, NIC officials as well as the concerned officers of various departments of State Govt. The initial VCs were conducted in slots for various states wherein training was imparted in phases/ levels for master data entry for the public site (**Level I**), question/ notices processing (**Level II**), Sending replies/other papers from Depts. as well as committee reports (**Level III**). The approximate participation from various units for all the VCs till date has been around 1000 manhours.

S. No.	Details of Video Conferencing Sessions conducted by CPMU NeVA
1	Video Conferencing Session held on 26th April, 2018
2	Video Conferencing Session held on 28th May, 2018
3	Video Conferencing Session held on 10th July, 2018
4	Video Conferencing Session held on 27th July, 2018
5	Video Conferencing Session held on 3rd August, 2018
6	Video Conferencing Session held on 10th August, 2018
7	Video Conferencing Session held on 24th August, 2018
8	Video Conferencing Session held on 7th September, 2018
9	Video Conferencing Session held on 14th September, 2018
10	Video Conferencing Session held on 5th October, 2018
11	Video Conferencing Session held on 2nd November, 2018
12	Video Conferencing Session held on 25th February, 2019

## CHAPTER – XIII

### GENERAL

#### At a Glance

- Minister of Parliamentary Affairs nominated:-
  - (i) 06 Members of Parliament (04 Lok Sabha and 02 Rajya Sabha) on various Government Bodies, Councils, Boards etc.; and
  - (ii) 14 Members of Parliament (06 Lok Sabha and 08 Rajya Sabha) on various Hindi Salahakar Samitis.

#### **Nomination of Members of Parliament on Committees, Councils, Boards, Commissions etc. set up by the Government**

13.1 Members of Parliament are nominated by the Minister of Parliamentary Affairs on various Committees, Councils, Boards, Commissions etc. set up by the Government of India in various Ministries. During the period under report, 06 Members of Parliament (04 of Lok Sabha and 02 of Rajya Sabha) were nominated on various Government Bodies as indicated in **Appendix-XI**.

#### **Nomination of Members of Parliament on Hindi Salahakar Samitis**

13.2 Members of Parliament are associated with the Hindi Salahakar Samitis constituted by each Ministry/Department to advise them on matters relating to the progressive use of Hindi in official work and allied issues falling within the framework of Official Language Policy laid down by the Government of India. Four Members of Parliament (two from Lok Sabha and two from Rajya Sabha) are nominated on each of these Samitis by the Minister of Parliamentary Affairs. During the period under report, 14 Members of Parliament (06 of Lok Sabha and 08 of Rajya Sabha) were nominated on various Hindi Salahakar Samitis as indicated in **Appendix-XII**.

#### **Action on Reports of Parliamentary Committees**

13.3 Action on Reports of Parliamentary Committees:

During the period under report, actions on the recommendations of general nature contained in the following reports were taken by the Ministry:-

- (i) 47th to 56th reports of the Committee on Petitions of sixteenth Lok Sabha.
- (ii) 155th report of the Committee on Petitions of Rajya Sabha.

#### **Salary and Allowances of Members of Parliament**

13.4 This Ministry is responsible for administration of the following Acts of Parliament:

- (a) The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954;

- (b) The Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953; and
- (c) The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977.
- (d) The Leaders and Chief Whips of Recognised parties and groups in Parliament (facilities) Act, 1998.

13.5 Under Section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, a Joint Committee of both Houses of Parliament consisting of 10 members of Lok Sabha and 5 Members of Rajya Sabha, nominated by the Speaker, Lok Sabha and Chairman, Rajya Sabha respectively is constituted to make rules on matters specified under sub-section (3) of Section 9 of the Act. Recommendations of the Joint Committee are processed in the Ministry in consultation with the Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries/Departments. Action is taken to bring forward legislation, wherever necessary.

13.6 The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament, 1954 was amended vide The Finance Act, 2018 (No.13 of 2018) by which the salary, allowances and pension were enhanced w.e.f. 01.04.2018.

13.7 An updated statement showing the salary, allowances, pension and facilities etc. admissible to Members/ex-Members of Parliament is at Appendix -XIII and XIV respectively.

#### **Action on Reports of Committee on Subordinate Legislation.**

13.8 Reports of the Committee on Subordinate Legislation of Lok Sabha and Rajya Sabha are processed in the Ministry.

#### **Institution of Leaders/Chief Whips and Whips**

13.9 The smooth functioning of the Parliamentary system depends, to a large extent, on the efficiency of the party machinery in the legislatures. The leaders and chief whips of parties and groups in Parliament are important party functionaries who play a vital role in the proper functioning of the parties and groups in legislatures. The Minister of Parliamentary Affairs as the Government Chief Whip is responsible for the smooth conduct of business in the two House of Parliament along with the Leaders/Chief Whips/Whips of all parties/groups in Parliament.

#### **All India Whips' Conference**

13.10 In view of the significant role of the Whips and to provide a suitable forum for periodical meetings and mutual exchange of views amongst the whips in Parliament and State Legislatures, the Ministry has been organizing All India Whips' Conference from time to time. Since 1952, eighteen All India Whips' Conferences have been held so far till 31.03.2019 The 18th All India Whips' Conference was held at Udaipur on 8-9th January, 2018 in collaboration with Rajasthan Government.

#### **Training Course in Parliamentary Practices and Procedures for Officers of Central Government**



- 13.11 In order to improve the functioning of parliament units in various Ministries/Departments and for better handling of parliamentary work, a need was felt to organize Orientation Programmes in Parliamentary Procedures and Practices for the officers and staff working in the Parliament Units of various Ministries. The Ministry of Parliamentary Affairs, , have been organising a three days Orientation Courses in Parliamentary Practice and Procedure for the officers of the Ministries since 1985. Initially, these courses were conducted for officers/staff of Parliament Units. Subsequently, officers other than those working in Parliament Units were also covered and officers of the level of Under Secretary were also invited for such training programmes.
- 13.12 In pursuance of the recommendations made by the All India Whips' Conferences, from time to time, the Ministry has also been holding five days Orientation Courses in Parliamentary Procedures and Practices for the officers of State/Union territory Governments for exchange of knowledge and information about procedures and practices prevalent at the Centre and in various States which may eventually lead to better performance and standardization of procedures.
- 13.13 During the period of year 2018 – 19 Ministry has organized an Orientation Workshop on 11th March 2019 in Parliamentary Practices and Procedures (Legislative Business) for the officers of the central Ministries / Departments.



## Members of Parliament – Services Rendered

### Welfare of Members of Parliament

13.14 In order to look after the needs of ailing Members of Parliament admitted for treatment in hospitals, arrangements have been made with the leading hospitals in Delhi to obtain day-to-day information by telephone regarding health condition of the ailing Members. The officers of this Ministry pay visits to the hospitals to enquire about the health condition of the Members and to render any assistance required by them. The Minister/Ministers of State for Parliamentary Affairs and senior officers also make courtesy calls on the ailing Members admitted in hospitals as and when required.

13.15 The Ministry of Parliamentary Affairs makes available the bilingual information of ailing Members of Parliament admitted in various hospitals in Delhi on its website <http://www.mpa.nic.in> on daily basis.

13.16 During the period under report, assistance was provided on the sad demise of Shri Chintaman Navsha Wanaga, MP (LS) (BJP) who expired in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital on 30.01.2018 due to heart attack and the body of Late Shri Chintaman Navsha Wanaga was airlifted to Mumbai Maharashtra by Jet Airlines for last rites on same day.

13.17 Dr. Bhola Singh, MP (LS) (BJP) has also expired due to heart attack in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital on 19.10.2018 and the body of Late Dr. Bhola Singh was airlifted to Patna, Bihar by Indigo Airlines for last rites on same day.

### Transport and dinner arrangement for Members of Parliament

13.18 The Ministry of Parliamentary Affairs arranges DTC buses on special hire, for the Members of Parliament/Staff on duty, during the late sittings of the House(s) to enable them to reach their residence during odd hours at night as and when required.

13.19 This Ministry makes arrangements for dinner/refreshment to the Members of Parliament, Press and Staff on duty in Parliament House during the late sitting(s) of House(s).

### Ushering duty at important functions

13.20 This Ministry renders ushering service on important public functions in which Members of Parliament are invited. Such duties are required to be performed on Republic Day Parade, Beating Retreat Ceremonies, Ceremony of assumption of office by the President election etc.

### Liaison with Leaders of various parties/groups in Parliament.

13.21 One of the vital functions allotted to this Ministry under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 is liaison with Leaders and Whips of various political Parties and Groups represented in Parliament. Protocol and Welfare Section makes necessary arrangements/co-ordinates the meetings of leaders of various political parties/groups in Parliament convened by the Hon'ble Prime Minister and other Union Ministers in order to evolve consensus on important national and international issues. During the period

under report following meetings were convened, as per details indicated below:

S. No.	Date	Meeting Convened/ headed by	Subject	Venue
1.	28.01.2018	Minister of Parliamentary Affairs	Smooth functioning of the Budget Session	G-074 Parliament Library Building, New Delhi
2.	17.07.2018	Minister of Parliamentary Affairs	Smooth functioning of the Monsoon Session	G-074 Parliament Library Building, New Delhi
3.	10.12.2018	Minister of Parliamentary Affairs	Smooth functioning of the Winter Session	G-074 Parliament Library Building, New Delhi
4	31.01.2019	Minister of Parliamentary Affairs	Smooth functioning of the Interim Budget Session	G- 074, Parliament Library Building, New Delhi
5	16.02.2019	Home Minister	To have stock of situation in country due to terrorist attack on security personnels in Pulwama	G- 074, Parliament Library Building, New Delhi

### Research Work

- 13.22 Research Cell reviews/updates the material for Manual of Parliamentary Procedures in Government of India & Handbook on the working of Ministry of Parliamentary Affairs and provides advice/guidance on matters of parliamentary procedures and practices to Central Ministries/Departments and State Governments/Union Territory Administrations whenever the same is asked for. From time to time, notes and briefs are prepared on various Parliamentary and Constitutional matters.
- 13.23 Research Cell also prepare the annual Statistical Hand Book of Ministry of Parliamentary Affairs, update Citizen Charter of the Ministry and processes all relevant recommendations contained in the various reports of Administrative Reforms Commission.
- 13.24 Research Cell houses the Library of Ministry of Parliamentary Affairs, which is manned by the staff of Research Cell.
- 13.25 Research Cell handles Matters relating to Office of Profit, Powers, Privileges and Immunities of Members of Parliament and assignments relating to functions of Parliamentary Secretaries.
- 13.26 During the period 1.1.2018 to 31.3.2019, the important assignments handled by the Cell include revision of Manual of Parliamentary Procedures and Statistical Handbook.

### Participation in Gangotri-Dharali Culture Festival organised by Mt. Everest Foudation

13.27 Government officials working in different Sections acquire skills individually. However, the working atmosphere at workplace becomes boring and monotonous which might affect our work performance. To overcome this dungeon and breaking of silos with bonding among officials at different levels, we can achieve an atmosphere livelier. In the line with Government's policy on skill development by training its staff to be a sound and pro-active human in both physically and mentally, the Ministry of Parliamentary Affairs deputed a 15 member team to Gangotri-Dharali (Uttrakhand) to participate in Gangotri-Dharali Cultural Festival organised by Mount Everest Foundation during 29th October 2018 to 1st November 2018.

13.28 The objective of the event was to spread awareness among people, ways of preserving Culture and Heritage of Himalayas. It will help in social upliftment of local people and their life, also spread awareness about the increasing level of water pollution in the river Ganges and other major rivers of our country and about it's adverse impacts on our health system.

#### The members were:

S. No.	Name	Designation
1.	Shri Dharendra Choubey	Deputy Secretary
2.	Shri Anil Kumar	Under Secretary
3.	Shri Prodyot Bepari	Section Officer
4.	Shri J.N. Naik	Private Secretary
5.	Shri Arpit Tyagi	Assistant Section Officer
6.	Shri Jagvendra Niranjana	Assistant Section Officer
7.	Shri Navneet Bharti	Assistant Section Officer
8.	Shri Yashpal	Assistant Section Officer
9.	Shri Avinash Kumar	Assistant Section Officer
10.	Shri Jai Narain	Senior Secretariat Assistant
11.	Shri Nandan Kumar	Junior Secretariat Assistant
12.	Shri Prabhat Ranjan	Computer Programmer
13.	Shri Raj Kumar Paswan	Multi Tusking Staff
14.	Shri Amar Nath Singh	Multi Tusking Staff
15.	Shri Naresh Kumar	Multi Tusking Staff

The Group travelled together to and fro by road by a mini bus hired by this Ministry.



Ministry of Parliamentary Affairs team visited Dharali (near Gangotri), Uttarakhand.

13.29 Position of ATNs on Audit Paras in the Financial Year 2018-19

S. No.	Year	No. of Paras/PA reports on which ATNs have been submitted to PAC after vetting by Audit	Details of the Paras/PA reports on which ATNs are pending		
			No. of ATNs not sent by the Ministry even for the first time	No. of ATNs sent but returned with observations and Audit is awaiting their resubmission by the Ministry	No. of ATNs which have been finally vetted by audit but have not been submitted by the Ministry to PAC
	Upto 2018-19	Nil	Nil	Nil	Nil

**Budgetary Position**

13.30 The Budgetary position of the Ministry of Parliamentary Affairs is as under:-

In Thousand of Rupees ₹

Major Head	Object Head	Budget Estimates 2018-19		Revised Estimates 2018-19		Budget Estimates 2019-20		Actual Expenditure 2018-19 upto 31/03/19	
		Capital	Revenue	Capital	Revenue	Capital	Revenue	Capital	Revenue
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Major Head "2052" Secretariat General Services, 00.090 Secretariat 13 – Ministry of Parliamentary Affairs	13.00 - Establishment								
	13.00.01 - Salaries	--	109500	--	113900	--	119600	--	113899
	13.00.03 – Overtime Allowance	--	100	--	150	--	100	--	99
	13.00.06 – Medical Treatment	--	1500	--	1350	--	1350	--	1118
	13.00.11 – Domestic Travel Expenses	--	3000	--	4500	--	3500	--	4496
	13.00.12 – Foreign Travel Expenses	--	25000	--	20000	--	24500	-	2817
	13.00.13 – Office Expenses	--	17000	--	17000	--	17000	--	16989
	13.00.16 – Publications	--	1100	--	1300	--	900	--	1100
	13.00.20 – Other Administrative Expenses	--	8400	--	6300	--	6300	--	3682
	13.00.50 – Other Charges	--	10500	--	8100	--	8000	--	3098
	13.96 – Swachhata Action Plan 13.96.50 – Other Charges	--	1000	--	1000	--	1000	--	122
	13.99 – Information Technology 13.99.13 – Office Expenses	--	11500	--	11500	--	11500	--	11490
	<b>Total Major Head '2052'</b>		--	<b>188600</b>	--	<b>185100</b>	--	<b>193800</b>	--

**Activities undertaken for the benefit of the persons with disabilities**

12.31 This Ministry follows rules, regulations and instructions issued by the Department of Personnel & Training on the issue of benefits to the persons with disabilities in appointments etc. Framing of policy on this subject does not fall within the mandate/function of the Ministry.

**FUNCTIONS ALLOTTED TO THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**

**Functions assigned to the Ministry under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 made by the President under Article 77(3) of the Constitution of India: -**

1. Dates of summoning and prorogation of the two Houses of Parliament, Dissolution of Lok Sabha, President's Address to Parliament.
2. Planning and Coordination of legislative and other official business in both Houses.
3. Allocation of Government time in Parliament for discussion of motions given notice of by Members.
4. Liaison with Leaders and Whips of various Parties and Groups represented in Parliament.
5. Lists of Members of Select and Joint Committees on Bills.
6. Appointment of Members of Parliament on Committees and other bodies set up by Government.
7. Functioning of Consultative Committees of Members of Parliament for various Ministries.
8. Implementation of assurances given by Ministers in Parliament.
9. Government's Stand on Private Members' Bills and Resolutions.
10. Secretariat assistance to the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs.
11. Advice to Ministries on procedural and other Parliamentary matters.
12. Coordination of action by Ministries on recommendations of general application made by Parliamentary Committees.
13. Officially sponsored visits of Members of Parliament to places of interest.
14. Matters connected with powers, privileges and immunities of Members of Parliament.
15. Parliamentary Secretaries-functions.
16. Organisation of Youth Parliament Competitions in Schools/Colleges throughout the country.
17. Organisation of All India Whips' Conference.
18. Exchange of Government Sponsored Delegations of Members of Parliament with other countries.
19. Determination of Policy and Follow up action in regard to matters raised under Rule 377 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and by way of Special Mentions in Rajya Sabha.
20. Manual for handling Parliamentary work in Ministries/Departments.
21. The Salaries and allowances of the Officers of Parliament Act, 1953. (20 of 1953)
22. The Salary and Allowances of the Officers of Parliament Act, 1954. 30 of 1954)
23. The Salaries and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977).
24. The Leaders and Chief Whip of Recognised parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998 (5 of 1999).

APPENDIX – II  
(Vide Para 4.7)

<b>BILLS PASSED BY BOTH HOUSES OF PARLIAMENT DURING THE PERIOD FROM 06.01.2018 TO 13.02.2019</b>					
<b>L.S. = Lok Sabha, R.S. = Rajya Sabha</b>					
<b>14th SESSION OF SIXTEENTH LOK SABHA AND 243rd SESSION OF RAJYA SABHA</b>					
<b>Sl. No</b>	<b>Name of the Act</b>	<b>Date (s) of Introduction of Bill</b>	<b>Date of consideration and passing of Bill</b>		<b>Act Number &amp; President's Assent</b>
			<b>L.S.</b>	<b>R.S.</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>14th SESSION OF SIXTEENTH LOK SABHA AND 243rd SESSION OF RAJYA SABHA</b>					
<b>MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT</b>					
1.	The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2018	18.12.2017 LS	15.03.2018	22.03.2018	28.03.2018 12 of 2018
<b>MINISTRY OF FINANCE</b>					
2.	The Finance Bill, 2018	01.02.2018 LS	14.03.2018	#	29.03.2018 13 of 2018
3.	The Appropriation (No. 2) Bill, 2018	14.03.2018 LS	14.03.2018	#	29.03.2018 14 of 2018
4.	The Appropriation (No. 3) Bill, 2018	14.03.2018 LS	14.03.2018	#	29.03.2018 15 of 2018
<b>15th SESSION OF SIXTEENTH LOK SABHA AND 244th SESSION OF RAJYA SABHA</b>					
<b>MINISTRY OF AYUSH</b>					
1.	The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018	23.07.2018 LS	30.07.2018	09.08.2018	13.08.2018 23 of 2018
<b>MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS</b>					
2.	The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2018	23.07.2018 LS	31.07.2018	10.08.2018	17.08.2018 26 of 2018



Sl. No	Name of the Act	Date (s) of Introduction of Bill	Date of consideration and passing of Bill		Act Number & President's Assent
			L.S.	R.S.	
1	2	3	4	5	6
<b>MINISTRY OF FINANCE</b>					
3.	The State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2018	21.07.2017 LS	10.08.2017 *30.07.2018	18.07.2018	02.08.2018 19 of 2018
4.	The Fugitive Economic Offenders Bill, 2018	12.03.2018 LS	19.07.2018	25.07.2018	31.07.2018 17 of 2018
5.	The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2018	02.01.2018 LS	23.07.2018	26.07.2018	02.08.2018 20 of 2018
6.	The Appropriation (No. 4) Bill, 2018	07.08.2018 LS	07.08.2018	#	24.08.2018 29 of 2018
7.	The Appropriation (No. 5) Bill, 2018	07.08.2018 LS	07.08.2018	#	24.08.2018 30 of 2018
8.	The Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018	07.08.2018 LS	09.08.2018	#	29.08.2018 31 of 2018
9.	The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018	07.08.2018 LS	09.08.2018	#	29.08.2018 32 of 2018
10.	The Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018	07.08.2018 LS	09.08.2018	#	29.08.2018 33 of 2018
11.	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2018	07.08.2018 LS	09.08.2018	#	29.08.2018 34 of 2018
<b>MINISTRY OF HOME AFFAIRS</b>					
12.	The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018	23.07.2018 LS	30.07.2018	06.08.2018	11.08.2018 22 of 2018
<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b>					
13.	The Specific Relief (Amendment) Bill, 2018	22.12.2017 LS	15.03.2018	23.07.2018	01.08.2018 18 of 2018

Sl. No	Name of the Act	Date (s) of Introduction of Bill	Date of consideration and passing of Bill		Act Number & President's Assent
			L.S.	R.S.	
1	2	3	4	5	6
14.	The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018	23.07.2018 LS	01.08.2018	10.08.2018	20.08.2018 28 of 2018
<b>MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS</b>					
15.	The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018	19.08.2013 RS	24.07.2018	19.07.2018	26.07.2018 16 of 2018
<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>					
16.	The Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2018	05.04.2017 LS	02.08.2018	06.08.2018	The Constitution (102nd Amendment) Bill, 2018 11.08.2018
17.	The National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2018	05.04.2017 LS	10.04.2017 *09.08.2018	06.08.2018	14.08.2018 24 of 2018
18.	The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018	03.08.2018 LS	06.08.2018	09.08.2018	17.08.2018 27 of 2018
<b>MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT</b>					
19.	The Requisition and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2018	18.07.2017 LS	07.08.2018	18.07.2018	09.08.2018 21 of 2018
<b>MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS</b>					
20.	The National Sports University Bill, 2018	23.07.2018 LS	03.08.2018	09.08.2018	17.08.2018 25 of 2018

Sl. No	Name of the Act	Date (s) of Introduction of Bill	Date of consideration and passing of Bill		Act Number & President's Assent
			L.S.	R.S.	
1	2	3	4	5	6
<b>16th SESSION OF SIXTEENTH LOK SABHA AND 245th SESSION OF RAJYA SABHA</b>					
<b>MINISTRY OF FINANCE</b>					
1.	The Appropriation (No. 6) Bill, 2018	31.12.2018 LS	31.12.2018	#	16.01.2019  3 of 2019
<b>MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT</b>					
2.	The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2019	11.08.2017 LS	18.07.2018 *07.01.2019	04.01.2019	10.01.2019 1 of 2019
3.	The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2019	18.12.2017 LS	23.07.2018 *07.01.2019	04.01.2019	10.01.2019 2 of 2019
<b>MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT</b>					
4.	The Constitution (One Hundred and Twenty Fourth Amendment) Bill, 2019	08.01.2019 LS	08.01.2019	09.01.2019	The Constitution (103rd Amendment) Bill, 2019 12.01.2019
5.	The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018	18.07.2018 RS	20.12.2018	12.12.2018	19.12.2018 35 of 2018
<b>17th SESSION OF SIXTEENTH LOK SABHA AND 246th SESSION OF RAJYA SABHA</b>					
<b>MINISTRY OF FINANCE</b>					
1.	The Finance Bill, 2019	01.02.2019 LS	12.02.2019	13.02.2019	21.02.2019 7 of 2019

Sl. No	Name of the Act	Date (s) of Introduction of Bill	Date of consideration and passing of Bill		Act Number & President's Assent
			L.S.	R.S.	
1	2	3	4	5	6
2.	The Appropriation (Vote on Account) Bill, 2019	11.02.2019 LS	11.02.2019	13.02.2019	15.02.2019 5 of 2019
3.	The Appropriation Bill, 2019	11.02.2019 LS	11.02.2019	13.02.2019	15.02.2019 4 of 2019
<b>MINISTRY OF LAW AND JUSTICE</b>					
4.	The Personal Laws (Amendment) Bill, 2019		07.01.2019 *13.02.2019	13.02.2019	21.02.2019 6 of 2019

# The Bill as passed by Lok Sabha and transmitted to Rajya Sabha for its recommendation, was not returned to Lok Sabha within the period of fourteen days from the date of its receipt in Rajya Sabha. The Bill was deemed to have been passed by both Houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by Lok Sabha under clause (5) of article 109 of the constitution.

\*Agreeing to the amendments.

**LIST OF BILLS PENDING IN LOK SABHA AND RAJYA SABHA AT THE END OF 17th SESSION OF  
16TH LOK SABHA AND 248th SESSION OF RAJYA SABHA.**

**LOK SABHA**

**I. BILLS REFERRED TO JOINT COMMITTEES**

1. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Second Bill, 2015.

**II. BILLS NOT REFERRED TO STANDING COMMITTEE**

2. The High Courts (Alteration of Names) Bill, 2016.
3. The Constitution (Schedule Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2016.
4. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017.
5. The Dentists (Amendment) Bill, 2017
6. The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2018
7. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2018
8. The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2018
9. The Dam Safety Bill, 2018
10. The Central Universities (Amendment) Bill, 2018
11. The National Institute of Design (Amendment) Bill, 2018
12. The Trade Union (Amendment) Bill, 2019
13. The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019

**III. BILLS ON WHICH REPORTS PRESENTED BY STANDING COMMITTEE**

14. The Factories (Amendment) Bill, 2014.
15. The Electricity (Amendment) Bill, 2014.
16. The Lokpal and Lokayuktas and Other Related Law (Amendment) Bill, 2014.
17. The Merchant Shipping Bill, 2016
18. The Major Port Authorities Bill, 2016.
19. The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2017.
20. The National Medical Commission Bill, 2017.

21. The Chit Fund (Amendment) Bill, 2018.
22. The Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018
23. The Codes of Wages, 2017

#### **IV. BILL AS BY RAJYA SABHA**

24. The Constitutional (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2019

### **RAJYA SABHA**

#### **I. BILL, AS REPORTED BY JOINT COMMITTEE**

1. The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 1987.

#### **II. BILLS AS PASSED BY LOK SABHA**

2. The Whistle Blowers Protection (Amendment) Bill, 2015.
3. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015.
4. The Factories (Amendment) Bill, 2016.
5. The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017.
6. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017
7. The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018
8. The Representation of People (Amendment) Bill, 2018
9. The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018
10. The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2018
11. The Surrogacy (Regulation) Bill, 2018
12. The Consumer Protection Bill, 2018
13. The Muslim Women (Protection on Marriage) Bill, 2018
14. The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2018
15. The Companies (Amendment) Bill, 2019
16. The Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019
17. The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2019
18. The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019
19. The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018
20. The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2018

**III. BILLS REFERRED TO STANDING COMMITTEE**

21. The Allied and Healthcare Professions Bill, 2018
22. The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019.
23. The National Commission for Homoeopathy Bill, 2019.
24. The Constitution (One Hundred and Twenty-Fifth Amendment) Bill, 2019
25. The Registration of Marriage of Non-Resident Indian Bill, 2019
26. The International Financial Services Centres Authority Bill, 2019
27. The Cinematograph (Amendment) Bill, 2019
28. The National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019

**IV. BILLS NOT REFERRED TO STANDING COMMITTEE**

29. The Tamil Nadu Legislative Council (Repeal) Bill, 2012.
30. The Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies (Third) Bill, 2013.
31. The Delhi Rent (Repeal) Bill, 2013.
32. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019
33. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019

**V. BILL AS PASSED BY LOK SABHA AND AS REPORTED BY SELECT COMMITTEE**

34. The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2017.
35. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017.

**VI. BILLS ON WHICH REPORTS PRESENTED BY JOINT COMMITTEE AND PASSED BY LOK SABHA**

36. The Citizenship (Amendment) Bill, 2019.

**VII. BILLS ON WHICH REPORT PRESENTED BY STANDING COMMITTEE**

37. The Constitution (79th Amendment) Bill, 1992. (small family norms for legislators)
38. The Delhi Rent (Amendment) Bill, 1997.
39. The Provisions of the Municipalities (Extension to the Scheduled Areas) Bill, 2001.
40. The Seeds Bill, 2004.
41. The Indian Medicine and Homoeopathy Pharmacy Bill, 2005.

42. The Private Detective Agencies (Regulation) Bill, 2007.
43. The Pesticides Management Bill, 2008.
44. The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2008
45. The Mines (Amendment) Bill, 2011.
46. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Bill, 2011.
47. The National Commission for Human Resources for Health Bill, 2011.
48. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Amendment Bill, 2012.
49. The Building and Other Construction Workers Related Laws (Amendment) Bill, 2013.
50. The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Bill, 2013.
51. The Rajasthan Legislative Council Bill, 2013.
52. The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2013.
53. The Assam Legislative Council Bill, 2013.
54. The Registration (Amendment) Bill, 2013.
55. The Waqf Properties (Eviction of Un-authorized Occupants) Bill, 2014.

\*\*\*



Statement showing the date (s) for consideration of the Union Budget during the period from 06.01.2018 to 13.02.2019.

UNION BUDGET

Sl. No.	Subject	Lok Sabha			Rajya Sabha		
		Date (s)	Time Taken		Date (s)	Time Taken	
			Hrs	Mts		Hrs	Mts
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Presentation of Union Budget for 2018-2019	01.02.2018	01	47	01.02.2018	-	-
2.	General Discussion on Union Budget for 2018-2019	07.02.2018 08.02.2018	12	13	08.02.2018 09.02.2018	09	35
3.	Demands for Grants in respect of Budget (General) for 2018-19 relating to the following Ministries/Departments were submitted to the Vote of the House and Voted in full:	14.03.2018	-	06	#	#	#
	(1) Agriculture and Farmers' Welfare (2) Atomic Energy (3) AYUSH (4) Chemicals and Fertilisers (5) Civil Aviation (6) Coal (7) Commerce and Industry (8) Communications (9) Consumer Affairs, Food and Public Distribution (10) Corporate Affairs (11) Culture (12) Defence (13) Department of North Eastern Region (14) Drinking Water and Sanitation (15) Earth Sciences (16) Electronics and Information Technology (17) Environment, Forests and Climate Change (18) External Affairs (19) Finance (20) Food Processing Industries (21) Health and Family Welfare (22) Heavy Industries and Public Enterprises (23) Home Affairs (24) Housing and Urban Poverty Alleviation (25) Human Resource Development (26) Information and Broadcasting (27) Labour Employment (28) Law and Justice (29) Micro, Small and Medium Enterprises (30) Mines (31) Minority Affairs (32) New and Renewable Energy (33) Panchayati Raj (34) Parliamentary Affairs (35) Petroleum and Natural Gas (36) Planning (37) Power (38) Lok Sabha (39) Rajya Sabha (40) Secretariat of the Vice-President (41) Railways (42) Road Transport and Highways (43) Rural Development (44) Science and Technology (45) Shipping (46) Skill Development and Entrepreneurship (47) Social Justice and Empowerment (48) Department of Space (49) Statistics and Programme Implementation (50) Steel (51) Textiles (52) Tourism (53) Tribal Affairs (54) Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (55) Women and Child Development (56) Youth Affairs and Sports						
4.	Supplementary Demands for Grants (Fourth Batch) for 2017-18	14.03.2018	-	-	#	#	#
5.	(i) Supplementary Demands for Grants (General)- 2018-19 (First Batch) (ii) Demands for Grants (General)- 2015-16 Items (i) and (ii) discussed together in LS	31.07.2018 07.08.2018 31.07.2018 07.08.2018	04	46	#	#	#
6.	Supplementary Demands for Grants 2018-2019	20.12.2018 31.12.2018	02	36			

Note: # In Rajya Sabha various Demands are discussed on related Appropriation Bills

APPENDIX-IV - B  
(Vide para 4.10)

## INTERIM BUDGET-2019

Sl. No.	Subject	Lok Sabha			Rajya Sabha		
		Date (s)	Time Taken		Date (s)	Time Taken	
			Hrs	Mts		Hrs	Mts
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Presentation of Interim Budget for 2019-2020	01.02.2019	1	43	01.02.2019	-	-
2.	General Discussion on Interim Budget for 2019-2020	08.02.2019 11.02.2019	07	32	-	-	-
3.	Supplementary Demands for Grants (General)-2018-19 (Second Batch)	05.02.2019	00	01	#	#	#
4.	(i) Demands for Grants on Account 2019-2020 (ii) Supplementary Demands for Grants 2018-19 (Third Batch) Items (2) and (4) discussed together in LS	08.02.2019 11.02.2019	07	32	#	#	#

Note: # In Rajya Sabha various Demands are discussed on related Appropriation Bills

## STATEMENT SHOWING THE DATES, TIME TAKEN ETC., WHEN MOTIONS FOR CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS WERE DISCUSSED

Sl. No.	Form of the Motion and Moved by	Date of Discussion	Result	Time Taken	
				Hrs.	Mts.
1.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri V.P. Singh, Prime Minister.	21.12.89	Adopted (Voice Vote)	05	15
2.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri V.P. Singh, Prime Minister.	07.11.90	Negated 151-356	11	10
3.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri Chandra Shekhar, Prime Minister.	16.11.90	Adopted Ayes – 280 Noes – 214	06	34
4.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri P.V. Narasimha Rao, Prime Minister	July 12 & 15, 1991	Adopted Ayes – 240 Noes – 109 Abst - 112	07	35
5.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister.	27.05.96 28.05.96	While replying to the debate on the Motion of Confidence in the Council of Ministers, the Prime Minister announced that he was going to tender his resignation to the President. The Speaker there-upon observed that in view of the resignation announced by the Prime Minister on the floor of the House, putting of Motion of Confidence to the Vote of the House had become infructuous.	10	51
6.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri H.D. Deve Gowda, Prime Minister.	11.06.96 12.06.96	Adopted (Voice Vote)	12	20

Sl. No.	Form of the Motion and Moved by	Date of Discussion	Result	Time Taken	
				Hrs.	Mts.
7.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri H.D. Deve Gowda, Prime Minister.	11.04.97	Negatived Ayes – 190 Noes – 338 Abst - 5	12	50
8.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri I.K. Gujral, Prime Minister.	22.04.97	Adopted (by Voice Vote)	09	02
9.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister.	27.03.1998 28.03.1998	Adopted Ayes – 275 Noes – 260	17	56
10.	That this House expresses its Confidence in the Council of Ministers' moved by Shri Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister.	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	Negatived Ayes – 269 Noes – 270	24	58
11.	That this House express its Confidence in the Council of Ministers' moved by Dr. Manmohan Singh, Prime Minister	21.07.2008 22.07.2008	Adopted Ayes – 275 Noes – 256	15	11

**PRIVATE MEMBERS' BILLS INTRODUCED IN LOK/RAJYA SABHA DURING THE PERIOD FROM  
06.01.2018 TO 09.01.2019**

**LOK SABHA**

- (1) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new article 371K) by Shri Asaduddin Owaisi , M.P.
- (2) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 84, etc.) by Shri Asaduddin Owaisi, M.P.
- (3) The Prevention of Deaths Due to Heat and Cold Waves Bill, 2018 by Dr. Ramesh Pokhriyal „Nishank‘, M.P.
- (4) The Women Welfare Bill, 2018 by Dr. Ramesh Pokhriyal „Nishank“, M.P.
- (5) The Self Financing Professional Educational Institutions (Control and Regulation) Bill, 2018 by Dr. Ramesh Pokhriyal „Nishank“, M.P.
- (6) The Compulsory Furnishing of Bills for Goods and Services Bill, 2018 by Dr. Ramesh Pokhriyal „Nishank“, M.P.
- (7) The National Tourism (Sustainable Development and Promotion) Bill, 2018 by Shri Anurag Singh Thakur, M.P.
- (8) The Data Privacy and Protection Bill, 2017 by Dr. Shashi Tharoor, M.P.
- (9) The Death Penalty (Abolition) Bill, 2017 by Dr. Shashi Tharoor, M.P.
- (10) The Criminal Law (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 354D, etc.) by Dr. Shashi Tharoor, M.P.
- (11) The Cinematograph (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 4, etc) by Dr. Shashi Tharoor M.P.
- (12) The Archaeological and Natural Heritage Conservation Bill, 2017 by Shrimati Kavitha Kalvakuntla, M.P.
- (13) The Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new Chapter IIIA) by Shrimati Kavitha Kalvakuntla , M.P.
- (14) The Reservation in Posts and Services for Kapu Community of Andhra Pradesh Bill, 2018 by Shri Muthamsetti Srinivasa Rao, M.P.
- (15) The Supreme Court and the High Courts (Use of Official Languages and Other Provisions) Bill, 2018 by Shri Ajay Misra „Teni“, M.P.
- (16) The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2017 (Insertion of new section 8A, etc.) by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo, M.P.

- (17) The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.) by Shri Kalikesh Narayan Singh Deo, M.P.
- (18) The Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of the Schedule) by Shrimati Poonam Mahajan, M.P.
- (19) The Guardians and Wards (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new section 18A) by Shrimati Poonam Mahajan, M.P.
- (20) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 21) by Shrimati Poonam Mahajan, M.P.
- (21) The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new section 38A) by Shrimati Poonam Mahajan, M.P.
- (22) The Skill (Training and Education) Bill, 2018 by Shrimati Supriya Sule, M.P.
- (23) The Menstrual Hygiene Management (Awareness and Affordable Sanitary Napkin Distribution) Bill, 2018 by Shrimati Supriya Sule, M.P.
- (24) The Anganwadi Workers (Empowerment and Welfare) Bill, 2018 by Shrimati Supriya Sule, M.P.
- (25) The Compulsory First Aid Training in Schools Bill, 2018 by Shri Shivaji Adhalrao Patil, M.P.
- (26) The Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 22) by Shri Shivaji Adhalrao Patil, M.P.
- (27) The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 3, etc by Shri Shivaji Adhalrao Patil, M.P.
- (28) The Compulsory Establishment of Medical Centres in Schools Bill, 2018 by Shri Shivaji Adhalrao Patil, M.P.
- (29) The Tribal Children and Lactating Women in Jharkhand and Other States (Removal of Hunger, Malnutrition and Prevention of Starvation Deaths) Bill, 2017 by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (30) The Prevention of Crimes in the Name of Honour and Tradition and Prohibition of Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances Bill, 2017 by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (31) The Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new article 21B) by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (32) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc.) by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (33) The Indian Diaspora and Education Infrastructure (Brain Drain Cess) Bill, 2017 by Shri Rabindra Kumar Jena, M.P.

- (34) The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.) by Shri Rabindra Kumar Jena, M.P.
- (35) The High Court of Orissa (Establishment of a Permanent Bench at Balasore) Bill, 2017 by Shri Rabindra Kumar Jena, M.P.
- (36) The Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of article 123, etc.) by Shri Rabindra Kumar Jena, M.P.
- (37) The Consumer Goods Price Fixation Board Bill, 2018 by Shri Rajesh Ranjan, M.P.
- (38) The Jute Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2017 by Shri Rajesh Ranjan, M.P.
- (39) The Inter State River Water Authority Bill, 2017 by Shri Rajesh Ranjan, M.P.
- (40) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 85) by Shri Gaurav Gogoi, M.P.
- (41) The Prohibition of Using Telecommunication System for Hoax Calls Bill, 2017 by Shrimati Darshana Vikram Jardosh, M.P.
- (42) The Private Healthcare Sector (Regulation of Fees) Bill, 2017 by Shrimati Darshana Vikram Jardosh, M.P.
- (43) The High Court of Gujarat (Establishment of a Permanent Bench at Surat) Bill, 2018 by Shrimati Darshana Vikram Jardosh, M.P.
- (44) The Immoral Traffic (Prevention) Amendment Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc.) by Shrimati Darshana Vikram Jardosh, M.P.
- (45) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 324) by Shri Rajeev Satav, M.P.
- (46) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 148) by Shri Rajeev Satav, M.P.
- (47) The National Commission for Welfare of Farmers Bill, 2018 by Shri Rajeev Satav, M.P.
- (48) The National Agricultural Produce Price Fixation Tribunal Bill, 2018 by Shri Rajeev Satav, M.P.
- (49) The Physiotherapy Central Council Bill, 2017 by Dr. Kirit Premjibhai Solanki, M.P.
- (50) The Mental Healthcare (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 3, etc) by Dr. Kirit Premjibhai Solanki, M.P.
- (51) The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2017 (Insertion of new Chapter IVD) by Dr. Kirit Premjibhai Solanki, M.P.
- (52) The Tuberculosis (Prevention and Control) Bill, 2017 by Dr. Kirit Premjibhai Solanki, M.P.

- (53) The Right to Free and Compulsory Education for Children of Farmers Living in Drought Prone Areas Bill, 2018 by Shri Chandrakant Khaire, M.P.
- (54) The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2018 (Insertion of new sections 23A to 23C) by Shri Chandrakant Khaire, M.P.
- (55) The Juvenile justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2018 (Insertion of new section 15A) by Shri Chandrakant Khaire, M.P.
- (56) The Thalassemia Prevention Bill, 2018 by Dr. Dharam Vira Gandhi, M.P.
- (57) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 124) by Shri Gopal Chinayya Shetty, M.P.
- (58) The Special Marriage (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 4) by Shri Gopal Chinayya Shetty, M.P.
- (59) The Housing Facility for Destitute Senior Citizens, Widows and Orphan Children Bill, 2018 by Shri Dhananjay B. Mahadik, M.P.
- (60) The Historical Heritage Conservation Bill, 2018 by Shri Dhananjay B. Mahadik, M.P.
- (61) The Compulsory Career Guidance Bill, 2017 by Shri R. Dhruvanarayana, M.P.
- (62) The National Poverty Alleviation Fund Bill, 2018 by Dr. Boora Narsaiah Goud, M.P.
- (63) The Reservation of Vacancies in Posts and Services for Economically Backward Farmers Bill, 2018 by Dr. Boora Narsaiah Goud, M.P.
- (64) The Representation of the People (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new section 29AA) by Dr. Boora Narsaiah Goud, M.P.
- (65) The Constitution (Amendment) Bill, 2017 Amendment of article 124) by Shrimati Meenakashi Lekhi, M.P.
- (66) The Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new article 324A) by Shrimati Meenakashi Lekhi, M.P.
- (67) The Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of article 124) by Shrimati Meenakashi Lekhi, M.P.
- (68) The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the Schedule) by Shrimati Meenakashi Lekhi, M.P.
- (69) The Payment of Compensation to Victims of Vermin Wild Animals and Crop Raid Bill, 2017 by Adv. Joice George, M.P.
- (70) The National Green Tribunal (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 5, etc.) by Adv. Joice George, M.P.
- (71) The River (Conservation and Elimination of Pollution) Bill, 2018 by Shri Shirang Appa Barne, M.P.



- (72) The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 3, etc.) by Shri Shrirang Appa Barne , M.P.
- (73) The Solar Energy Promotion Bill, 2018 by Shri Shrirang Appa Barne, M.P.
- (74) The Rural Labour Welfare Bill, 2018 by Shri Shrirang Appa Barne, M.P.
- (75) The Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new article 21B) by Shri Sushil Kumar Singh, M.P
- (76) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 451) by Shri Sushil Kumar Singh, M.P.
- (77) The Fluoride Contamination (Prevention) Bill, 2017 by Shri Ch. Malla Reddy, M.P.
- (78) The Bamboo, Cane, Screw Pine and Mat Weavers and Workers (Welfare) Bill, 2017 by Dr. A. Sampath, M.P.
- (79) The Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.) by Shri Konda Vishweshwar Reddy, M.P.
- (80) The Rainwater (Harvesting and Storage) Bill, 2017 by Dr. A. Sampath, M.P.
- (81) The Renewable Energy Resources Commission Bill, 2017 by Shri Sunil Kumar Singh, M.P.
- (82) The Constitution (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of article 19) by Shri Konda Vishweshwar Reddy, M.P.
- (83) The Companies (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 134) by Shri Om Birla, M.P.
- (84) The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 (Insertion of new section 75B) by Shri Ninong Ering, M.P.
- (85) The Press Council (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 2, etc.) by Shri Ninong Ering, M.P.
- (86) The Right to Public Services Bill, 2017 by Shri Ninong Ering, M.P.
- (87) The Menstruation Benefits Bill, 2017 by Shri Ninong Ering, M.P.
- (88) The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Bill, 2018 (Amendment of section 5, etc.) by Shri Dushyant Chautala, M.P.
- (89) The Right to Information (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of sections 4 and 18) by Shri Dushyant Chautala, M.P.
- (90) The Extension of Central Government Health Scheme to Every District Headquarter Bill, 2018 by Shri Mullappally Ramachandran, M.P.
- (91) The Protection of Plants Bill, 2018 by Shri Mullappally Ramachandran, M.P.

- (92) The Prevention of Begging Bill, 2018 by Shri Sunil Kumar Singh, M.P.
- (93) The Women Farmers“ Entitlements Bill, 2018 by Shri Sunil Kumar Singh, M.P.
- (94) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 15, etc.) by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (95) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc.) by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (96) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 141) by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (97) The Labour (Welfare and Rehabilitation) Bill, 2018 by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (98) The Promotion and Protection of Intangible Cultural Heritage Bill, 2018 by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (99) The Special Infrastructure Development in Economically Backward Regions Bill, 2018 by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (100) The Betel Growers (Remunerative Price and Welfare) Bill, 2018 by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (101) The Ancient Monuments Preservation (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new sections 20D and 20E) by Shri Mullappally Ramachandran, M.P.
- (102) The Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc.) by Shri Mullappally Ramachandran, M.P.
- (103) The Central Sanskrit University Bill, 2018 by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (104) The Prevention of Bribery in Private Sector Bill, 2018 by Dr. Udit Raj, M.P.
- (105) The Working Women (Basic facilities and Welfare) Bill, 2018 by Dr. Udit Raj, M.P.
- (106) The Special Courts for Women Bill, 2018 by Dr. Udit Raj, M.P.
- (107) The National Agriculture and Farmers Commission Bill, 2018 by Shri Rodmal Nagar, M.P.
- (108) The Divorcee Women Welfare Bill, 2018 by Dr. Udit Raj, M.P.
- (109) The Prevention of Torture Bill, 2018 by Shri Om Prakash Yadav, M.P.
- (110) The Prevention of Enforced Disappearance Bill, 2018 by Shri Om Prakash Yadav, M.P.
- (111) The Educational Innovations Commission Bill, 2018 by Shri Om Prakash Yadav, M.P.
- (112) The Victims of Terrorism (Provision of Compensation and Welfare Measures) Bill, 2018 by Shri Ramesh Bidhuri, M.P.

- (113) The Abolition of Child Labour Bill, 2018 by Shri Ramesh Bidhuri, M.P.
- (114) The Provision of Health Card (For Persons Living Below Poverty Line) Bill, 2018 by Dr. Shrikant E. Shinde, M.P.
- (115) The Maintenance of Food, Potable Water and Fodder Supplies in Drought Affected Areas, Bill, 2018 by Dr. Shrikant E. Shinde, M.P.
- (116) The Ocean Thermal Energy Conversion Bill, 2018 by Dr. Shrikant E. Shinde, M.P.
- (117) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the First Schedule) by Shri Rajendra Agrawal, M.P.
- (118) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 75, etc.) by Shri Rajendra Agrawal, M.P.
- (119) The Compulsory Teaching of Environmental Education in Educational Institutions Bill, 2018 by Shri Rajendra Agrawal, M.P.
- (120) The Child Welfare Bill, 2018 by Shri Jugal Kishore Sharma, M.P.
- (121) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the Eighth Schedule) by Shri Sushil Kumar Singh, M.P.
- (122) The Farmers' Freedom from Indebtedness Bill, 2018 by Shri Raju Shetti, M.P.
- (123) The Farmers' Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Prices for Agricultural Commodities Bill, 2018 by Shri Raju Shetti, M.P.
- (124) The Population (Stabilization and Planning) Bill, 2018 by Shri Sushil Kumar Singh, M.P.
- (125) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the Seventh Schedule) by Shri Tej Pratap Singh Yadav, M.P.
- (126) The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new Chapter VA) by Shri Bhartruhari Mahtab, M.P.
- (127) The National Council for Professional Social Work Practitioners Bill, 2018 by Prof. Richard Hay, M.P.
- (128) The Private Schools (Regulation of Fee) Bill, 2018 by Dr. Boora Narsaiah Goud, M.P.
- (129) The Prevention of Acid Attacks and Rehabilitation of Acid Attack Victims Bill, 2018 by Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, M.P.
- (130) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new article 21B) by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (131) The Vedic Education (Compulsory Teaching in Educational Institutions) Bill, 2018 by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (132) The Cow Protection Bill, 2018 by Shri Nishikant Dubey, M.P.

- (133) The Compulsory Protection of Witness and Victims of Crimes Bill, 2018 by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (134) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 41) by Dr. Sanjay Jaiswal, M.P.
- (135) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2017 (Amendment of section 358) by Shri Sanjay Jaiswal, M.P.
- (136) The Right to Disconnect Bill, 2018 by Smt. Supriya Sule, M.P.
- (137) The Tuberculosis (Prevention and Eradication) Bill, 2018 by Smt. Supriya Sule, M.P.
- (138) The Gender Sensitization (Training and Education) Bill, 2018 by Smt. Supriya Sule, M.P.
- (139) The National Food Security (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc) by Shri Jagdambika Pal, M.P.
- (140) The Information Technology (Amendment) Bill, 2018 (Omission of section 66A) by Shri Jagdambika Pal, M.P.
- (141) The Armed Forces Law (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 45, etc.) by Shri Jagdambika Pal, M.P.
- (142) The Disaster Management (Amendment) Bill, 2018 Insertion of new section 46A) by Dr. Shashi Tharoor, M.P.
- (143) The Freedom of Literature Bill, 2018 by Dr. Shashi Tharoor, M.P.
- (144) The Sports (Online Gaming and Prevention of Fraud) Bill, 2018 by Dr. Shashi Tharoor, M.P.
- (145) The Women's Sexual, Reproductive and Menstrual Rights Bill, 2018 by Dr. Shashi Tharoor, M.P.
- (146) The Supreme Court, High Courts and District Courts (Use of Official Languages) Bill, 2018 by Shri Gopal Chiayya Shetty, M.P.
- (147) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Omission of article 44, etc.) by Shri Gopal Chinayya Shetty, M.P.
- (148) The Pineapple Board Bill, 2018 by Adv. Joice George, M.P.
- (149) The Jackfruit Board Bill, 2018 by Adv. Joice George, M.P.
- (150) The Farmers (Guaranteed Income and Welfare) Bill, 2018 by Adv. Joice George, M.P.
- (151) The Pepper Growers (Welfare) Bill, 2018 by Adv. Joice George, M.P.
- (152) The Industrial Employment and Environmental Protection Bill, 2018 by Dr. Dharam Vira Gandhi, M.P.

- (153) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 171, etc.) by Dr. Dharam Vira Gandhi, M.P.
- (154) The Abolition of Begging and Rehabilitation of Beggars Bill, 2018 by Shri Shivaji Adhalrao Patil, M.P.
- (155) The Women's (Reservation in Workplace) Bill, 2018 by Shri Shivaji Adhalrao Patil, M.P.
- (156) The Free and Compulsory Primary, Secondary, Higher and Technical Education Bill, 2018 by Shri Shivaji Adhalrao Patil, M.P.
- (157) The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new section 207A) by Shri Vinod Kumar Sonkar, M.P.
- (158) The Anganwadi Workers (Regularisation of Service and Welfare) Bill, 2018 by Shri N.K. Premachandran, M.P.
- (159) The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 3, etc.) by Shri N.K. Premachandran, M.P.
- (160) The ASHA Workers (Regularisation of Service and other Benefits) Bill, 2018 by Shri N.K. Premachandran, M.P.
- (161) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 142) by Shri Bhartruhari Mahtab, M.P.
- (162) The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2018 (Substitution of new sections 35A and 35B) by Shri Bhartruhari Mahtab, M.P.
- (163) The Employment Agencies (Regulation) 2018 by Shri Rabindra Kumar Jena, M.P.
- (164) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 160) by Shri Rabindra Kumar Jena, M.P.
- (165) The Indecent Representation of Women (Prohibition) Amendment Bill, 2018 (Insertion of new Chapter IIIA) by Shri Rabindra Kumar Jena, M.P.
- (166) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 7, etc.) by Shri Rabindra Kumar Jena, M.P.
- (167) The Real Estate (Regulation and Development) Amendment Bill, 2018 (Amendment of section 7, etc.) by Dr. Kirit Premijibhai Solanki, M.P.
- (168) The National Food Security (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2, etc.) by Dr. Kirit Premijibhai Solanki, M.P.
- (169) The Indian Easements (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 7, etc.) by Dr. Kirit Premijibhai Solanki, M.P.
- (170) The Right to Play Sports Bill, 2018 by Dr. Kirit Premijibhai Solanki, M.P.

- (171) The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2018 (Substitution of new section for section 3) by Shri Parvesh Sahib Singh, M.P.
- (172) The Compulsory Teaching of Knowledge Traditions and Practices of India in Educational Institutions Bill, 2018 by Shri Parvesh Sahib Singh, M.P.
- (173) The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Amendment Bill, 2018 (Amendment of the Schedule) by Shri Parvesh Sahib Singh, M.P.
- (174) The Official Government Meetings and Functions (Prohibition on serving Non-Vegetarian Food) Bill, 2018 by Shri Parvesh Sahib Singh, M.P.
- (175) The Cantonments (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new Chapter IVA) by Shri Chandrakant Khaire, M.P.
- (176) The Uniform Civil Code in India Bill, 2018 by Shri Chandrakant Khaire, M.P.
- (177) The Change of Name of Aurangabad City of the State of Maharashtra to Sambhaji Nagar Bill, 2018 by Shri Chandrakant Khaire, M.P.
- (178) The Distressed Widows and Single Women (Protection, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2017 by Shri Gajanan Kirtikar, M.P.
- (179) The Missing Children (Faster Tracking and Reuniting) Bill, 2017 by Shri Gajanan Kirtikar, M.P.
- (180) The Ban on Cow Slaughter Bill, 2017 by Shri Gajanan Kirtikar, M.P.
- (181) The Population Stabilization Bill, 2017 by Shri Gajanan Kirtikar, M.P.
- (182) The Drafting of Law in Plain Language Bill, 2018 by Shri Rajeev Satav, M.P.
- (183) The Women (Development and Welfare) Authority Bill, 2018 by Shri Rajeev Satav, M.P.
- (184) The Agricultural Workers Welfare Fund Bill, 2018 by Shri Rajeev Satav, M.P.
- (185) The Unemployment Allowance Bill, 2018 by Shri Rajeev Satav, M.P.
- (186) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of the Eighth Schedule) by Shri Faggan Singh Kulaste, M.P.
- (187) The Constitution (Scheduled Castes) and (Scheduled Tribes) Orders (Amendment Bill, 2018 [Amendment of the Schedules] by Shri Faggan Singh Kulaste, M.P.
- (188) The Prevention of Violence Against Doctors, Medical Professionals and Medical Institutions Bill, 2018 by Dr. Shrikant Eknath Shinde, M.P.
- (189) The Women (Empowerment and Welfare) Bill, 2018 by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (190) The Urban Areas (Equitable Development and Regulation) Bill, 2018 by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.

- (191) The National Agricultural Policy Commission Bill, 2018 by Shri Nihal Chand Chauhan, M.P.
- (192) The Water (Accessibility and Conservation) Bill, 2018 by Shri Anurag Singh Thakur, M.P.
- (193) The Population Control Bill, 2018 by Shri Vishnu Dayal Ram, M.P.
- (194) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 56, etc.) by Shri Bhanu Pratap Singh Verma, M.P.
- (195) The Companies (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 135) by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (196) The Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 2) by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (197) The High Court at Allahabad (Establishment of a Permanent Bench at Mahoba) Bill, 2018 by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (198) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 51A) by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (199) The Compulsory Teaching of Indian Spiritual and Human Service Philosophy Education in Educational Institutions Bill, 2018 by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (200) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 309) by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (201) The Suicide Prevention in Youth Bill, 2018 by Shri Anurag Singh Thakur, M.P.
- (202) The Single-Use Plastic (Regulation) Bill, 2018 by Shri Anurag Singh Thakur, M.P.
- (203) The Population (Stabilization & Planning) Bill, 2018 by Shri Anurag Singh Thakur, M.P.
- (204) The Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2018 (Insertion of new section 28A) by Dr. Prabhash Kumar Singh, M.P.
- (205) The National Sports Development Commission Bill, 2018 by Shri Nihal Chand Chauhan, M.P.
- (206) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new section 24A, etc.) by Dr. Prabhash Kumar Singh, M.P.
- (207) The Responsible Parenthood Bill, 2018 by Dr. Sanjeev Balyan, M.P.
- (208) The Ban on the use of Microbeads in Cosmetic Products Bill, 2018 by Shri A.P. Jithender Reddy, M.P.
- (209) The Declaring of Habitual Offenders Laws as void Bill, 2018 by Shri A.P. Jithender Reddy, M.P.
- (210) The Plastic Packaging (Regulation) Bill, 2018 by Smt. Meenakashi Lekhi, M.P.

- (211) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new article 31) by Shri Om Prakash Yadav, M.P.
- (212) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new article 275A, etc.) by Shri Om Prakash Yadav, M.P.
- (213) The Compulsory Military Training Bill, 2018 by Shri Om Prakash Yadav, M.P.
- (214) The Non-Resident Indians (Voting Rights and Welfare) Bill, 2018 by Shri Om Prakash Yadav, M.P.
- (215) The National Malnutrition Policy Commission Bill, 2018 by Shri Nihal Chand Chauhan, M.P.
- (216) The Protection of Human Rights Defenders Bill, 2018 by Shri A.P. Jithender Reddy, M.P.
- (217) The Women and Girl Child (Prevention of Atrocities) Bill, 2018 by Dr. Udit Raj, M.P.
- (218) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 16 and Ninth Schedule) by Shri Vinod Kumar Boianapalli, M.P.
- (219) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of article 51A) by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (220) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new articles 121A and 211A) by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (221) The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 88, etc.) by Dr. A. Sampath, M.P.
- (222) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Insertion of new article 16A) by Shri Dushyant Chautala, M.P.
- (223) The Fake News (Prohibition) Bill, 2019 by Shri Tej Pratap Singh Yadav, M.P.
- (224) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of articles 15 and 16) by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (225) The Heritage Cities and Sites (Conservation and Development) Bill, 2018 by Shri Bhairon Prasad Mishra, M.P.
- (226) The Protection of Women from Domestic Violence (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of section 5, etc.) by Shri Vinod Kumar Boianapalli, M.P.
- (227) The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 (Substitution of new section for section 497, etc.) by Shri Vinod Kumar Boianapalli, M.P.
- (228) The National Commission for Immigration Reform Bill, 2018 by Shri Gaurav Gogoi, M.P.
- (229) The Maintenance of Religious Harmony Bill, 2018 by Shri Gaurav Gogoi, M.P.



- (230) The Environment Protection (Management of Landfill Sites and Control of non-Biodegradable Garbage) Bill, 2019 by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (231) The Payment of Subsistence Allowance to Farmers and Agricultural Labourers Bill, 2018 by Dr. Udit Raj, M.P.
- (232) The Victims of Natural Calamities (Rehabilitation and Financial Assistance) Bill, 2018 by Dr. Udit Raj, M.P.
- (233) The Right to Work Bill, 2018 by Dr. Udit Raj, M.P.
- (234) The Protection of Rights of Wrongful Convicts Bill, 2018 by Dr. Kirit Premjibhai Solanki, M.P.
- (235) The Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of new article 85A) by Shri Nishikant Dubey, M.P.
- (236) The Forest Conservation (Amendment) Bill, 2018 (Amendment of sections 2 and 3) by Dr. Shrikant Eknath Shinde, M.P.
- (237) The Commission for Equitable Distribution of Benefits of Reservation to Scheduled Tribes Bill, 2019 by Dr. Prabhas Kumar Singh, M.P.
- (238) The High Court of Orissa (Establishment of a Permanent Bench at Bargarh) Bill, 2019 by Dr. Prabhas Kumar Singh, M.P.
- (239) The Rickshaw Puller and Road Side Mechanics (Freedom to Earn Livelihood) Bill, 2019 by Shri Gopal Chinayya Shetty, M.P.
- (240) The Children Pavement Dwellers and Sex Workers (Prevention of Abuse and Welfare Measures) Bill, 2019 by Shri Gopal Chinayya Shetty, M.P.
- (241) The National Commission for Female Farmers Bill, 2019 by Shri R. Dhruvanarayana, M.P.
- (242) The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of section 2, etc.) by Dr. Kirit Premjibhai Solanki, M.P.
- (243) The National Board for Creation of Small States Bill, 2019 by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (244) The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of section 11) by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.
- (245) The Right to Information (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of section 19) by Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel, M.P.

**RAJYA SABHA**

- (1) The Compulsory Protection of Witnesses and Victims of Crimes Bill, 2017 by Shri Rajkumar Dhoot, M.P.
- (2) The Heritage Cities and Sites (Conservation and Development) Bill, 2017 by Shri Rajkumar Dhoot, M.P.
- (3) The Environment Protection (Management of Landfill Sites and Control of Non-Biodegradable Garbage) Bill, 2017 by Shri Rajkumar Dhoot, M.P.
- (4) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (insertion of new articles 330A, 332A, etc.) by Shri V. Vijayasai Reddy, M.P.
- (5) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (amendment of articles 15 and 16) by Shri Vijayasai Reddy, M.P.
- (6) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (insertion of new article 21B) by Shri Ripun Bora, M.P.
- (7) The Companies (Amendment) Bill, 2018 by Shri Ripun Bora, M.P.
- (8) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2018 by Shri Sambhaji Chhatrapati, M.P.
- (9) The Contempt of Courts (Amendment) Bill, 2018 by Dr. K.V.P. Ramachandra Rao, M.P.
- (10) The Criminal Laws (Amendment) Bill, 2018 by Shri Hussain Dalwai, M.P.
- (11) The Prevention of Gender Pay Gap Bill, 2018 by Shri Hussain Dalwai, M.P.
- (12) The National Tribal Education Board Bill, 2018 by Shri V. Vijaysai Reddy, M.P.
- (13) The Farmers' Right to Guaranteed Remunerative Minimum Support Prices for Agricultural Commodities Bill, 2018 by Shri K. K. Ragesh, M.P.
- (14) The Universal Health Insurance and Healthcare Coverage Bill, 2018 by Shri Narayan Lal Panchariya, M.P.
- (15) The Illegal Immigrants (Identification and Deportation) Bill, 2018 by Shri Narayan Lal Panchariya, M.P.
- (16) The Information Technology (Amendment) Bill, 2018 by Shri Narayan Lal Panchariya, M.P.
- (17) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Bill, 2018 by Shri Sanjay Singh, M.P.
- (18) The Constitution (Amendment) Bill, 2018 (amendment of article 19) by Shri V. Vijaysai Reddy, M.P.
- (19) The Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 by Shri V. Vijaysai Reddy, M.P.
- (20) The Agricultural and Other Rural Workers (Protection and Welfare) Bill, 2018 by Shri Amar Shankar Sable, M.P.
- (21) The Downtrodden, Backward and Oppressed Youth (Development and Welfare) Bill, 2018 by Shri Amar Shankar Sable, M.P.

**GUIDELINES FORMULATED IN SEPTEMBER, 2005 TO REGULATE THE  
CONSTITUTION AND FUNCTIONING OF THE CONSULTATIVE COMMITTEES  
FOR VARIOUS MINISTRIES AND DEPARTMENTS.**

**1. Preamble**

An informal Consultative Committee system for various Ministries/Departments of the Government of India was instituted in 1954. It was given a formal shape in April 1969 with the issue of Guidelines to regulate the constitution and functioning of the Consultative Committees for various Ministries and Departments, in consultation with the Leaders of Opposition Parties/Groups.

**2. Objectives**

- To create awareness among the Members of Parliament about the working of Government.
- To promote informal consultation between the Government and the Members of Parliament on policies and programmes of the Government and the manner of their implementation.
- To provide an opportunity to Government to benefit from the advice and guidance of the Members of Parliament in relation to policy matters and implementation of programmes and schemes.

**3. Constitution and Dissolution**

- 3.1 Consultative Committees will be constituted for all Ministries/Departments of the Government of India, as far as possible. The Government will decide the composition of these Committees with due regard to the respective strengths of various parties in Parliament.
- 3.2 A Consultative Committee will have a minimum membership of ten and a maximum membership of thirty.
- 3.3. The membership of Consultative Committees is voluntary. A Member of Parliament desirous of serving as a Regular Member on a Consultative Committee shall send her/his request (in the enclosed proforma) providing options of Consultative Committees for three Ministries/Departments in order of preference to the Leader of his Party/Group in the Lok Sabha/Rajya Sabha, except Nominated Members and Members of small parties/groups (with less than five Members) who may send her/his preferences directly to the Ministry of Parliamentary Affairs. The Leader of the Party/Group will, in turn, after due consideration, forward her/his recommendation to the Ministry of Parliamentary Affairs. A Member of Parliament can become a Regular Member of only one Consultative Committee at any point of time.

- 3.4 Members of Parliament may also be appointed as Permanent Special Invitees on a Consultative Committee if they have special interest in the subjects of a particular Ministry/Department. A Member can be nominated as Permanent Special Invitee on one Consultative Committee only. However, such a Member will not be entitled to any TA/DA for attending the meetings of the Consultative Committee. A maximum of five Permanent Special Invitees will be allowed on each Consultative Committee.
- 3.5 The Ministry of Parliamentary Affairs will notify the membership of a Member of Parliament on a Consultative Committee taking note of the vacancy position and the preference of the Member of Parliament, on a first come first served basis.
- 3.6 A Member who is neither a Regular Member nor a Permanent Special Invitee may be invited to a meeting of the Consultative Committee as a special invitee if she/he has given notice of a subject for discussion and it has been included in the agenda or if she/he expresses her/his desire to participate in the discussion on agenda item(s) notified for the meeting of the Consultative Committee and her/his request has been approved by the Minister of Parliamentary Affairs. However, such a Member will not be entitled to any TA/DA for attending the meeting of the Consultative Committee.
- 3.7 A Regular Member of the Consultative Committee shall be entitled to receive TA/DA for attending the meetings held during Inter-Session period as per her/his entitlement.
- 3.8 The Minister in-charge of the Ministry/Department shall preside over the meeting of the Consultative Committee attached to her/his Ministry/Department. Whenever, for exceptional reasons, the Minister in-charge is not able to preside over the meeting already convened, it will either be presided over by the Minister of State of that Ministry/Department or it will be postponed.
- 3.9 A Consultative Committee may be dissolved if its membership falls below ten due to retirement/resignation of member(s). The remaining Members of such dissolved Committee will be requested to indicate their preferences as prescribed in paragraph 3.3 above for their nomination on the Consultative Committees where vacancies exist.
- 3.10 The Consultative Committees shall stand dissolved upon dissolution of every Lok Sabha and shall be reconstituted upon constitution of each Lok Sabha.
- 3.11 Ministry of Parliamentary Affairs will notify the constitution of Consultative Committees.

#### **4. Functions and Limitations**

- 4.1 The Consultative Committees provide a forum for free and open discussion on the policies, programmes and schemes of the concerned Ministries/Departments in an informal environment.
- 4.2 Members of Parliament are free to discuss any matter which can appropriately be discussed in Parliament. It would, however, not be desirable to refer on the floor of either House of Parliament to anything which might have taken place in a meeting of a Consultative Committee. This will be binding on both the Government and the Members.

4.3 The Consultative Committees will not have the right to summon any witness, to send for or demand the production of any file or to examine any official record.

## **5. Meetings**

### **Number of Meetings**

5.1 Six meetings of the Consultative Committees should normally be held during Session and Inter-session period. Of the six meetings of the Consultative Committees in a year, it shall be mandatory to hold four meetings. Of these, three meetings shall be held during inter-session periods and one meeting shall be held during either the session or inter-session period, according to the convenience of the Chairman of the Committee.

### **Meetings outside Delhi**

5.2 One meeting of a Consultative Committee in a calendar year may be held outside Delhi, anywhere in India, during an Inter-session period if the Chairperson of the Committee so desires.

### **Date of the Meeting**

5.3 Date for a subsequent meeting of a Consultative Committee may be decided in the previous meeting of the Committee, as far as possible.

### **Duration**

5.4 The duration of the meeting will be decided by the chairperson at her/his discretion depending on the business to be transacted.

### **Notice for the Meeting**

5.5 In order to facilitate making of adequate administrative arrangements for the meetings of the Consultative Committees and avoid bunching up of such meetings, the Ministries/ Departments concerned should, as far as possible, communicate the decision to convene the meeting to the Ministry of Parliamentary Affairs at least four weeks in advance of the meeting.

5.6 Notice for the meeting of a Consultative Committee will be issued to Members and invitees at least 10 days in advance during the Session periods and at least two weeks in advance during the Inter-Session periods by the Ministry of Parliamentary Affairs.

5.7 Notice for the meeting shall be sent to the residential addresses of the Members in Delhi during the Session periods and to their Delhi addresses as well as the permanent addresses during the Inter-session period.

### **Quorum**

5.8 There is no quorum fixed for conducting the meeting of a Consultative Committee.

## **6. Agenda**

6.1 The Agenda for the meeting of a Consultative Committee may be decided by the Chairperson in consultation with the Members, as far as possible. The Members may also suggest item(s) for inclusion in the Agenda for the consideration of the Chairperson.

- 6.2 As far as possible, the Agenda for a subsequent meeting of the Consultative Committee may be decided during the previous meeting of the committee.
- 6.3 The Agenda papers (both Hindi & English versions) [including the minutes of the last meeting, action taken report on the minutes of the last meeting and brief/notes on the agenda item(s) for the ensuing meeting] for the Consultative Committee meeting shall be sent by the Ministry concerned to the Ministry of Parliamentary Affairs at least 10 days in advance in order to ensure its circulation among the Members sufficiently in advance to facilitate informed discussions during the meeting.
- 6.4 Copies of the Agenda papers (in English & Hindi) must be supplied in adequate numbers (number of Members plus ten during the Session period and double the number of Members plus ten during Inter-session period, respectively) by the Ministry/ Department concerned to the Ministry of Parliamentary Affairs.
- 6.5 The Members may seek details or additional information on items/ additional items of the Agenda from the Ministry/Department concerned through the Ministry of Parliamentary Affairs.

## **7. Recommendations**

- 7.1 A brief record of the discussions held on the approved Agenda items of the meeting shall be maintained and circulated to the Members.
- 7.2 In case of unanimity of views in the Committee, Government will normally accept the recommendations of the Committee, subject to the following exceptions, viz.:
  - (i) any recommendation with financial implications;
  - (ii) any recommendation concerning security, Defence, External Affairs and Atomic Energy; and
  - (iii) any matter falling within the purview of an autonomous institution.

## **8. Administrative Matters**

- 8.1 The Ministry of Parliamentary Affairs shall be responsible for over-all coordination in respect of matters concerning the Consultative Committees.
- 8.2 Senior Officers of the Ministry/Department concerned shall attend the meetings of the Consultative Committee and will assist the Minister in making presentations on agenda items, providing information and clarifications etc.
- 8.3 All notices, agenda papers, minutes etc. shall be sent to the residential address of the Members in Delhi during the Session periods and to their Delhi address as well as the permanent address during the Inter-session periods.

## **9. SUB-COMMITTEE**

**No Sub-Committees of a Consultative Committee shall be constituted.**

**(Proforma referred to in paragraph 3.3 of the Guidelines)**

**NOMINATION ON CONSULTATIVE COMMITTEE**

I may be nominated on one of the following Consultative Committees in order of preference:-

1. ....
2. ....
3. ....

Signature.....

Name: \_\_\_\_\_

(in capital letters)

Member: Lok/Rajya Sabha

Party Affiliation:

Telephone and Fax Number at

(a) Delhi Address:

(b) Permanent Address:

To

The Under Secretary,  
Ministry of Parliamentary Affairs,  
Room No. 90, Parliament House,  
New Delhi.

**APPENDIX -VIII**  
**(vide ara 8.4)**

**List of Consultative Committees constituted for various Ministries  
for 16th Lok Sabha**

S. No.	Name of the Consultative Committee
1	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
2	Ministry of Chemicals and Fertilizers
3	Ministry of Civil Aviation
4	Ministry of Coal and Ministry of Mines
5	Ministry of Commerce and Industry
6	Ministry of Communications
7	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
8	Ministry of Defence
9	Ministry of Development of North Eastern Region
10	Ministry of Environment, Forests and Climate Change
11	Ministry of External Affairs
12	Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs
13	Ministry of Food Processing Industries
14	Ministry of Health and Family Welfare
15	Ministry of Home Affairs
16	Ministry of Human Resource Development
17	Ministry of Information and Broadcasting
18	Ministry of Labour and Employment
19	Ministry of Minority Affairs
20	Ministry of Petroleum & Natural Gas
21	Ministry of Power and Ministry of New & Renewable Energy
22	Ministry of Railways
23	Ministry of Road Transport & Highways and Ministry of Shipping
24	Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Drinking Water & Supply
25	Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
26	Ministry of Social Justice and Empowerment



S. No.	Name of the Consultative Committee
27	Ministry of Steel
28	Ministry of Textiles
29	Ministry of Tourism and Ministry of Culture
30	Ministry of Tribal Affairs
31	Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation
32	Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation
33	Ministry of Women & Child Development
34	Ministry of Youth Affairs & Sports

**APPENDIX-IX**  
**(vide para 8.5)**

**DATES OF MEETINGS HELD DURING THE PERIOD FROM 1.1.2018 to 31.03.2019 OF THE  
CONSULTATIVE COMMITTEES AND IMPORTANT SUBJECTS DISCUSSED THEREIN**

<b>Ministry of Agriculture and Farmers Welfare</b>	
Number of meetings	06
Dates of meetings	22.03.2018, 02.07.2018 (Rameswaram, Tamil Nadu), 02.08.2018, 01.11.2018, 20.12.2018, 06.02.2019
Subjects discussed	Millets (Coarse) Cereals, “Marine Fisheries – Mariculture in India, Integrated Farming systems for livelihood security and enhanced income, Climate resilient villages and their replication, Agri-entrepreneurship and start-ups for enhancing farmers income, Milk processing infrastructure in dairy cooperative sector.
<b>Ministry of Chemicals and Fertilizers</b>	
Number of meetings	01
Dates of meetings	28.11.2018
Subjects discussed	PMBJP-Affordable Medicines to All
<b>Ministry of Civil Aviation</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	02.01.2018, 07.01.2019
Subjects discussed	Role and Scope of cargo growth in Civil Aviation” and “skill development requirement in Civil Aviation. Open sky policy performance and Review.
<b>Ministry of Coal</b>	
Number of meetings	04
Dates of meetings	20.03.2018, 05.07.2018 (Neyveli, Tamil Nadu), 07.08.2018, 02.11.2018
Subjects discussed	Coal washing, Issue in Lignite Mining in India, Coal Evacuation infrastructure, Coal leakages
<b>Ministry of Commerce and Industry</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	05.04.2018, 09.08.2018, 08.01.2019
Subjects discussed	New Industry Policy, The Agriculture Export Policy, Infrastructural Development in DMIC

<b>Ministry of Communications</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	30.05.2018, 26.10.2018
Subjects discussed	National Digital Communications Policy-2018, Postal Life Insurance – Low Premium High Bonus.
<b>Ministry of Consumer Affairs, Food &amp; Public Distribution</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	05.04.2018, 03.01.2019, 28.01.2019 (Bangaluru)
Subjects discussed	“Review of BIS”, Review of National Sugar Institute, Kanpur, (i) Review of working of FCI and (ii) Review of working of BIS
<b>Ministry of Defence</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	26.07.2018, 17.11.2018 (Mumbai)
Subjects discussed	Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL), Indian Coast Guards
<b>Ministry of Development of North Eastern Region</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	04.01.2018, 14.06.2018
Subjects discussed	10% Gross Budgetary Support for North Eastern Region, (i) Issue related to North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation (NEHHDC) (ii) Livelihood scheme being implemented by M/O DONER; and (iii) Scheme of North Eastern Council.
<b>Ministry of Environment, Forest and Climate Change</b>	
Number of meetings	04
Dates of meetings	15.03.2018, 09.08.2018, 27.09.2018, 07.02.2019
Subjects discussed	Forest cover in India and State of Forest report, Biodiversity, Plastic Waste Management, Climate Change- Global Warming.
<b>Ministry of External Affairs</b>	
Number of meetings	04
Dates of meetings	22.03.2018, 09.08.2018, 27.12.2018, 12.02.2019
Subjects discussed	During the present Government, India’s relations with the Arab World, New initiatives of MEA regarding Consular services, MEA initiatives for Outreach to States, Discussion on Draft Emigration.

<b>Ministry of Food Processing Industries</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	25.05.2018 (Sonapat, Haryana) 13.09.2018
Subjects discussed	NIFTEM, (i) Scheme of Agro Processing Cluster and (ii) Scheme of Creation of Backward & Forward Linkages
<b>Ministry of Health and Family Welfare</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	04.04.2018, 08.08.2018, 27.12.2018
Subjects discussed	Maternal Health Programme, National Vector Borne Disease Control Programme, National Vector Borne Disease Control Programme.
<b>Ministry of Home Affairs</b>	
Number of meetings	01
Dates of meetings	06.07.2018 (Kochi, Kerala)
Subjects discussed	Immigration, Visa and Foreigners Registration & Tracking (IVFRT)
<b>Ministry of Human Resource Development</b>	
Number of meetings	01
Dates of meetings	13.02.2019
Subjects discussed	National Testing Agency (NTA) and New initiatives.
<b>Ministry of Information and Broadcasting</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	04.01.2018, 13.03.2018, 10.09.2018
Subjects discussed	International Film Festival of India (FFI), Bureau of Outreach & Communication (BOC), Indian Institute of Mass Communication (IIMC)
<b>Ministry of Labour and Employment</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	05.01.2018, 28.06.2018 (Tirupati)
Subjects discussed	Employee's Pension Scheme (EPS)- 1995.Welfare of Un-organised Workers.
<b>Ministry of Minority Affairs</b>	
Number of meetings	01
Dates of meetings	17.07.2018
Subjects discussed	Scholarship and Free Coaching Schemes of Ministry of Minority Affairs.

<b>Ministry of Petroleum and Natural Gas</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	03.01.2018, 11.06.2018 (Lucknow, UP), 08.02.2019
Subjects discussed	Launching of a New Policy Regime to increase domestic production, Strategic Oil Reserves, Steps taken to promote Gas economy.
<b>Ministry of Power and Ministry of New &amp; Renewable Energy</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	22.05.2018 , 07.08.2018, 27.08.2018
Subjects discussed	NTPC, PFC & REC functioning, Wind Energy”.
<b>Ministry of Railways</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	26.03.2018, 30.07.2018, 19.12.2018
Subjects discussed	SAFETY MEASURES IN RAILWAY OPERATION, Security of passengers on Indian Railways, Stations Development on Indian Railways.
<b>Ministry of Rural Development and Ministry of Panchayati Raj &amp; Ministry of Drinking Water and Sanitation</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	1.12.2018, 21.01.2019 (Gujarat)
Subjects discussed	(i) Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) (ii) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Review of National Aluminium Company Limited (NALCO)
<b>Ministry of Skill Development and Entrepreneurship</b>	
Number of meetings	01
Dates of meetings	12.06.2018 (Lucknow)
Subjects discussed	National Skill Development Agency/National Skill Qualifications Committee.
<b>Ministry of Social Justice and Empowerment</b>	
Number of meetings	04
Dates of meetings	23.05.2018, 09.08.2018, 29.10.2018 (Kochi), 04.01.2019
Subjects discussed	Scholarship Schemes pertaining to D/o SJ&E and D/o EPWD, Skill Development, Review of all Schemes being run Social Defence Division, National Overseas Scheme (NOS)

<b>Ministry of Steel</b>	
Number of meetings	04
Dates of meeting	07.02.2018, 15.05.2018 (Mount Abu), 24.10.2018, 28.01.2019 (Goa)
Subjects discussed	“Progress and Challenges in Steel Sector in year 2017-18”, “Development strategies for import substitution with focus on market and product development”, (i) Discuss strategies to improve the function efficiencies of Steel CPSES and (ii) Promoting quality of domestically manufactured steel and R&D for import substitution, (i) Safety in Steel Plants and (ii) Mininh activities of CPSEs under Steel Ministry.
<b>Ministry of Textiles</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	05.04.2018, 22.06.2018, 27.11.2018
Subjects discussed	Jute Sector, SAMARTH, Technical Textiles
<b>Ministry of Tourism</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	26.04.2018, 10.09.2018 (Kovalam, Kerala)
Subjects discussed	“Integrated Marketing & Publicity including Public Relation”, Tourism and sustainability
<b>Ministry of Tribal Affairs</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	18.01.2018, 09.10.2018, 03.01.2019
Subjects discussed	Forest Right Act, 2006, Issue related to Health of STs. Forest Rights Act
<b>Ministry of Urban Development and Ministry of Housing &amp; Urban Poverty Alleviation</b>	
Number of meetings	03
Dates of meetings	08.06.2018 (Surat, Gujarat), 29.10.2018, 03.01.2019
Subjects discussed	SMART CITIES, Urban Transport, Progress in Swachh Bharat Mission
<b>Ministry of Water Resources, River Development &amp; Ganga Rejuvenation</b>	
Number of meetings	04
Dates of meetings	09.02.2018, 11.07.2018 (Mussoorie), 20.11.2018, 08.02.2019
Subjects discussed	PARTICIPATORY GROUND WATER MANAGEMENT, Dam safety and DRIP Programme, “Surface Minor Irrigation and Repair, Renovation & Restoration (RRR) of Water Bodies”, Micro Irrigation.

<b>Ministry of Women and Child Development</b>	
Number of meetings	02
Dates of meetings	10.08.2018, 18.12.2018,
Subjects discussed	Discussion on Childcare Institutions shelter homes in India, ONE STOP CENTRE SCHEME

APPENDIX –X  
(Para 11.8)**Details of prize winners of various competitions conducted during the Hindi fortnight celebrated in the Ministry during 14th to 28th September, 2018**

S. No.	Competition	Prize winner		Prize
1	Noting-Drafting Competition in Hindi	1	Shri Rahul Agarwal, ASO	First
		2	Shri Navneet Bharti, ASO	Second
		3	Shri Jagvendra Niranjana, ASO	Second
		4	Shri Avinash Kumar, ASO	Third
2.	Hindi Typing Competition;	1	Shri Prodyot Bepari, SO	First
		2	Shri Avinash Kumar, ASO	Second
		3	Shri Baijnath Mahto, ASO	Third
			Shri Vijaypal, SSA	Third
3.	Hindi Quiz Competition	1	Shri Rahul Agarwal, ASO	First
		2	Shri Jagvendra Niranjana, ASO	Second
		3	Shri Uday Kumar Bihari, Stenographer Grade-D	Second
			Smt. Rekha Bharti, PA	Third
4.	Quiz Competition for Non-Hindi Employees	1	Shri Sanjit Kumar Das, ASO	First
		2	Shri P.K. Halder, Under Secretary	Second
		3	Shri J.N. Naik, PS	Third
		4	Shri N. Balachandran Nair, Consultant/Assistant	Third
5.	Hindi Essay Writing Competition	1	Shri Jagvendra Niranjana, ASO	First
		2	Dr. Pranav Bhardwaj, Junior Translator	Second
		3	Shri Baijnath Mahto, ASO	Second
		4	Shri Pankaj Kumar, ASO	Third
		5	Shri Vipin Katariya, DR	Third
6.	General Hindi Translation Competition	1	Shri Jagvendra Niranjana, ASO	First
		2	Dr. Pranav Bhardwaj, Junior Translator	Second
		3	Shri NavneetBharti, ASO	Third
		4	Dr. SheetalKapoor, ASO	Third
7.	Hindi Dictation Competition for MTS	1	Shri Anand Kumar, MTS	First
		2	Shri Ranjeet Singh, Staff Car Driver	Second
		3	Shri VipinKatariya, DR	Second
		4	Shri NazimHussain, MTS	Third



**Prize winners under the Hindi noting & drafting cash prize scheme to encourage original Hindi noting and drafting in the Ministry for the year 2017-18**

S. No.	Prize winners	Prize
1.	Shri Paresh Goyal, Consultant/Assistant	First
2.	Shri Jayanarayan, SSA	First
3.	Shri Avinash Kumar, ASO	Second
4.	Shri Pankaj Kumar, ASO	Second
5.	Shri Sadhu Ram, SSA	Second
6.	Shri Rahul Agarwal, ASO	Third
7.	Shri Vijaypal, SSA	Third

**APPENDIX - XI**  
**(Vide para 13.1)**

**NOMINATION OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON COMMITTEES, BODIES, COUNCILS,  
BOARDS ETC. SET UP BY VARIOUS MINISTRIES/DEPARTMENTS**

S. No.	Name of the Committee	Names of the Nominated MPs		Date of nomination
		Lok Sabha	Rajya Sabha	
1.	General Body of Sports Authority of Indian autonomous Organization under Deptt. of Sports .	Shri Anurag Thakur Shri Brijbhushan Sharan Singh	Smt. M.C. Mary Kom	03.01.2019
2.	Central Waqf Council under Ministry of Minority Affairs	Chaudhary Meboob Ali Kaiser Shri Muzaffar Hussain Baig	Shri. Kahkasha Praveen	04.01.2019

**NOMINATION OF MEMBERS OF PARLIAMENT ON THE HINDI SALAHAKAR SAMITI (HSS) OF  
VARIOUS MINISTRIES/DEPARTMENTS**

S. No.	Ministry/Department to which Hindi Salahakar Samiti attached	Names of the Nominated MPs		Date of nomination
		LOK SABHA	RAJYA SABHA	
1.	Ministry of Statistics & Programme Implementation	Shri Sharad Tripathi Smt. Darshana Vikram Jardosh	Shri Devender Pal Vats Shri Madan Lal Saini	18.01.2019
2.	Ministry of Commerce & Industry (D/o Industrial Policy & Promotion)	Shri Janak Ram Shri Ashok Kumar Dohre	Shri Gopal Narayan Singh Smt. Roopa Ganguly	21.02.2018
3.	Ministry of Drinking Water and Sanitation		Dr. Satya Narayan Jatiya Shri Ram Shakal	29.11.2018
4.	Ministry of External Affairs	Smt. Rama Devi Shri Ninong Ering	Shri Prabhat Jha Dr. V. Maitreyan	14.06.2018

**APPENDIX - XIII**  
**(vide para 13.7)**

**STATEMENT SHOWING THE SALARY, ALLOWANCE AND OTHER FACILITIES ADMISSIBLE TO MEMBERS OF PARLIAMENT.**

S. No	Item	Salary, Allowances and other facilities
1.	<b>Salary</b>	Rs. 1,00,000/- p.m. (Salary and daily allowance of MPs will be increased after every five years commencing from 1.4.2023 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 48 of the Income-tax Act, 1961. )
2.	<b>Daily Allowances</b>	Rs. 2,000/- w.e.f 01/10/2010. The MPs have to sign the register, maintained for this purpose by the Secretariats of the Lok Sabha/Rajya Sabha, on all the days (except intervening holidays for which no such signing is required) of the session of the House for which the allowance is claimed.
3.	<b>Other Allowances</b>	W.e.f. 01.04.208 Constituency Allowances @ Rs.70,000/- per month and Office Expense Allowance @ Rs60000/- per month out of which Rs. 20,000/- shall be for meeting expenses on stationery item etc. and postage; and Lok/Rajya Sabha Secretariat may pay upto Rs.40,000/- per month to the person(s) as may be engaged by a Member for obtaining secretarial assistance and one person shall be a computer literate duly certified by the Member..(It will be increased after every five years commencing from 1.4.2023 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 48 of the Income-tax Act, 1961.)
4.	<b>Telephones</b>	<p>1,50,000 free calls per annum on all the three telephones at Delhi residence, constituency residence and for Internet connectivity purposes pooled together. Trunk call bills adjusted within the monetary ceiling of 1,50,000 local calls per annum. Excess calls made over and above the quota allowed to be adjusted in the next year's quota.</p> <p>Where a Member does not utilize total free local calls available to him, the balance unutilized telephone calls shall be carried forward till his seat becomes vacant.</p> <p>A Member is entitled to use any number of telephones for utilizing total free local calls available to him at his residences in Delhi and constituency provided that the telephones should be in his name and installation and rental charges for telephones other than the three telephones provided to him will be borne by him.</p>

		<p>A Member may avail two Mobile phones (one in Delhi and another in constituency) with national roaming facility from MTNL and BSNL or any other Private Operator where services of MTNL or BSNL are not available for utilizing total free local calls provided that registration and rental charges for private mobile phone will be borne by him.</p> <p>A Member is also entitled to avail broadband facility from MTNL/BSNL on any one of the above-cited three telephones against ten thousand surrendered call units per annum. In addition to that a Member may also avail high speed FTTH with Wi-Fi services at Delhi residence subject to the condition that only up to Rs.2,200- per month are paid by the Government towards the charges of this facility directly to MTNL.</p>
5.	<b>Housing</b>	<p>Rent-free flats only (including hostel accommodation). If a Member is allotted bungalow at his request, he shall pay full normal rent, if he is entitled to such accommodation.</p> <p>Newly elected Member of Parliament reaching Delhi prior to publication of notification of his election by Election Commission, is entitled to transit accommodation.</p> <p>Monetary Ceiling of furniture - Rs. 1, 00,000/- (Rs. 80,000 for durable furniture + Rs. 20,000/- for non-durable furniture). (It will be increased after every five years commencing from 1.4.2023 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 48 of the Income-tax Act, 1961.)</p> <p>Free washing of sofa covers and curtains every three months.</p> <p>Tiles in bathroom, kitchen as demanded by MP.</p>
6.	<b>Water and Electricity</b>	<p>50,000 units of electricity per annum, (25,000 units each Light/Power meters or pooled together) and 4,000 kiloliters of water per annum beginning January every year. Members who have no power meters installed are allowed 50,000 units per annum on light meter.</p> <p>Unutilized units of electricity and water shall be carried over to the subsequent years. Excess units consumed shall be adjusted against the next year's quota.</p> <p>Joint entitlement for free consumption of electricity and water units if both husband and wife happen to be Members of Parliament and reside in the same accommodation</p> <p>On retirement/resignation/death, a Member or his family may be allowed to consume the balance units of electricity and water for that year within one month</p>

7.	<b>Medical</b>	As available to Grade-I Officers of the Central Government under CGHS.
8.	<b>Conveyance Advance</b>	w.e.f 01/10/2010, Rs.4,00,000/- on interest @ as applicable to the Central Government employees, recoverable within a maximum period of 5 years not extending beyond the tenure of MP.
9.	<b>Pension to Ex-MPs</b>	<p>(i) Minimum pension of Rs. 25,000/- per month to every person who has served for any period, as Member of Provisional Parliament or either House of Parliament and additional pension of Rs. 2000/- per month for every year of membership of Parliament in excess of five year.</p> <p>(ii) A period of nine months or more is reckoned equivalent to complete one year for the purpose of payment of additional pension.</p> <p>(Pension and Additional Pension to Ex-MPs will be increased after every five years commencing from 1.4.2023 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (v) of Explanation to section 48 of the Income-tax Act, 1961. )</p>
10.	<b>Family Pension to the spouse/ dependent of an MP dying in harness</b>	Family pension, equivalent to one half of the pension which a Member of Parliament would have received to spouse/dependent of deceased member/ex-Member - to the spouse for life (except when the spouse is ex-MP) or to the dependent till the person continues to be a dependent.
11.	<b>Travelling allowance</b>	<p>Rail- Travelling allowance has been withdrawn. A physically incapacitated Member shall be entitled to a companion in the same class in which he travels.</p> <p>Air- An amount equal to one fare. Also air fare for one companion in case of a blind/physically incapacitated MP.</p> <p>Steamer- An amount equal to one fare (without diet) for the highest class in the steamer.</p> <p>Road- (i) Rs. 16/- per km. (w.e.f 01/10/2010) (ii) Minimum Rs. 120/- to/fro from Delhi airport and residence at Delhi. (iii) TA by road when the places are not connected by mail, express and super fast trains; (iv) TA for air journey(s) during the short interval between two sittings of a Department related Standing Committee during budget session recess, limited to one air fare + DA for the days of absence; (v) road mileage for travel by spouse when not accompanying the Member to and fro railway station/airport in respect of journeys as permissible in a year; (vi) Member who is residing within 300 km distance from Delhi may travel by road and claim road mileage @ Rs. 16/- per km; (vii) Member/Spouse from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura may travel by road from residence in the constituency/State to the nearest airport; (viii) physically incapacitated member allowed to travel by road in lieu of rail/air journeys.</p>

12.	<b>Travelling Facility</b>	(i) Railway pass for MP for travelling in AC-I Class or Executive Class of any Indian Railways. Spouse can also travel with MP in the same class. (ii) Companion can also travel with MP in AC-II tier. (iii) Member having no spouse can take one person with him/her in AC-I/Executive class in addition to the companion allowed in AC-II tier. (iv) air travel to and fro Delhi for the MP from Ladakh - for the Member and the spouse or one companion; (v) to and fro air travel facility for the Member from the Andaman & Nicobar Islands and Lakshdweep and spouse or one companion between the Island and the mainland; (vi) blind or physically incapacitated Member can take an attendant in the air/rail journeys in which he himself travels in lieu of the companion in AC-II tier. (vii) Thirty four single air journeys in a year from any place to any other place in India either alone or along with spouse or any number of companions or relatives within this ceiling. (viii) adjustment of 8 excess air journeys against the next year's entitlement; (ix) carry forward of unutilized air journeys to subsequent years; (x) spouse or companion of a Member may travel alone to join the Member 8 times in a year against 34 air journeys available to the Member in a year; (xi) steamer passes for highest class of steamer for MPs from Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep and Spouse/Companion (without diet); (xii) to end fro air travel when the usual place of residence is inaccessible by rail, road or steamer, between the nearest place having rail service, (xiii) Members may travel by any Airlines for availing the air journeys available to them as Member of Parliament.
13.	<b>Travelling facility to Ex-MPs</b>	(1) Ex-MP alongwith a companion are entitled to free AC-II tier rail travel facility from one place to any other place in India, on the basis of an authorization issued for this purpose by concerned Secretariat of Parliament as the case may be.  (2) Entitled to travel alone in any train by any railway by AC-I.  (3) Steamer facility to Members belonging to Andaman & Nicobar Island and Lakshdweep between the island and the mainland of India.
14.	<b>Facilities to the family of deceased MP</b>	<b>Family of a deceased Member may retain:</b>  (a) Government accommodation for a period of 6 months from the date of death of such Member.  (b) Telephone facilities for a period not exceeding two months from the date of death of the Member.
15.	<b>Medical facilities for Ex-MPs</b>	CGH Scheme is applicable to former members of Parliament residing in cities covered by CGH Scheme on payment of contribution at the same rate as they were paying as Member of Parliament. This facility can be obtained direct from Director General (CGHS), Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.

16.	<b>Facilities to Members of prematurely dissolved Lok Sabha</b>	(a) With effect from 26.04.1999, the Members of prematurely dissolved Lok Sabha are allowed to utilize the balance of unutilized (i) free 1,50,000 telephone calls, (ii) 50,000 units of electricity, and (iii) 4,000 Kls. of water during the period from dissolution of the Lok Sabha till constitution of the new Lok Sabha. In case of excess consumption of such units, the same will be allowed to be adjusted in case the Member is elected to the new Lok Sabha against the quota that will be available to him, in the first year.
17.	<b>Travelling facility to the spouse of Member</b>	W.e.f. 01/10/2010, the spouse of a Member has been allowed to travel any number of times, by railway in first class air-conditioned or executive class in any train from the usual place of residence of the Member to Delhi and back; and when Parliament is in session, by air or partly by air and partly by rail, from the usual place of residence of the Member to Delhi or back, subject to the condition that the total number of such air journeys shall not exceed eight in a year. When Parliament is in session, and the spouse of a Member performs such journey or part thereof by road, a road mileage @ Rs.16/- per k.m. is allowed. When Parliament is in session, and such journey or part thereof is performed from some other place than the usual place of residence of the Member, then the spouse is entitled to an amount equal to actual air-fare or the air-fare from the usual place of residence to Delhi or back, whichever is less.
18.	<b>Facilities to the family of deceased MP</b>	Family of a deceased Member may retain:- (a) Government accommodation for a period of 6 months from the date of death of such Member. (b) Telephone facilities for a period not exceeding two months from the date of death of the Member.



## FACILITIES EXTENDED TO EX-MEMBERS OF PARLIAMENT

S. No.	Item	Admissibility
1.	<b>Pension</b>	<p>(i) Minimum pension of Rs. 25,000/- per month to every person who has served for any period, as Member of Provisional Parliament or either House of Parliament and additional pension of Rs. 2,000/- per month for every year of membership of Parliament in excess of five years without any maximum ceiling.</p> <p>(ii) A period of nine months or more is reckoned equivalent to complete one year for the purpose of payment of additional pension.</p> <p>(iii) Ex-MPs pension allowed irrespective of any other pension without any upper limit on the aggregate.</p>
2.	<b>Family Pension</b>	Family pension, equivalent to one half of the pension which a Member of Parliament would have received, to spouse/dependent of deceased member/ex-Member - to the spouse for life (except when the spouse as ex-MP) and to the dependent till the person continues to be a dependent.
3.	<b>Traveling facility</b>	<p>(i) Ex-MPs alongwith a companion are entitled to free AC-II tier rail travel facility from one place to any other place in India, on the basis of an authorization issued for this purpose by concerned Secretariat of Parliament as the case may be.</p> <p>(ii) Entitled to travel alone in any train by any railway by AC-I.</p> <p>(iii) Steamer facility to Members belonging to Andaman &amp; Nicobar Island and Lakshdweep between the island and the mainland of India.</p>
4.	<b>Medical Facilities</b>	CGH Scheme is applicable to former members of Parliament residing in cities covered by CGH Scheme on payment of contribution at the same rate as they were paying as Member of Parliament. This facility can be obtained direct from Director General (CGHS), Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi.
5.	<b>Facilities to Members of prematurely dissolved Lok Sabha</b>	(a) With effect from 26.04.1999, the Members of prematurely dissolved Lok Sabha are allowed to utilize the balance of unutilized (i) free 1,50,000 telephone calls, (ii) 50,000 units of electricity, and (iii) 4,000 kls. of water during the period from dissolution of the Lok Sabha till constitution of the new Lok Sabha. In case of excess consumption of such units, the same will be allowed to be adjusted in case the member is elected to the new Lok Sabha against the quota that will be available to him, in the first year.



संसदीय कार्य मंत्रालय  
भारत सरकार

Ministry of Parliamentary Affairs  
Government of India